खण्ड-290, अंक-6
सोमवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1893
(2 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६२३–६२७
प्रश्नोत्तर	६२७–६४६
प्रश्न संख्या २६ के सम्बन्ध में नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा की मांग ..	६४६–६४७
न्याय मन्त्री द्वारा शिक्षा मन्त्री के विपरीत सार्वजनिक रूप से कथित कुछ बातें कहे जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न	६४७–६४८
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १६७१ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	६४८
सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	६४८–६४६
तारांकित प्रश्न संख्या २७ के सम्बन्ध में नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा की मांग ..	६४६
श्रीमती कलावती, निवासी रामपुर, जिला जौनपुर की कथित हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	६४६–६५०
ग्राम करमैतेपुर, जिला फैजाबाद में २६/२७ मई, १६७१ की रात्रि में डकैती और हत्या की घटना के बारे में वक्तव्य (जारी) ..	६५०
छितौनी बांध के सम्बन्ध में चर्चा के बारे में सूचना	६५१
ग्राम करमैतेपुर, जिला फैजाबाद में २६-२७ मई, १६७१ की रात्रि में डकैती और हत्या की घटना के बारे में वक्तव्य	६५१–६५२
१६७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (जारी)	६५२
छितौनी बांध पर चर्चा के सम्बन्ब में व्यवस्था का प्रश्न	६५२–६५३
१६७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	६५३–७०४
छितौनी बांध तथा बाढ़ पर होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में जानकारी ..	७०४
नियम ५१, ५२ तथा ५६ के अतर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ..	७०४–७०५
केन्द्रिय विद्युत् वेतन मंडल की संस्तुतियों को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७०५–७१४
सरकारी सस्ती दुकानों पर चीनी का भाव बढ़ जाने के सम्बन्ध में नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा	७१५–७२२
छितौनी बांध तथा बलिया-बेरिया बांध टूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	७२२–७३७
नत्थियां	७३८–७४७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३७५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनोसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
के० एल० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण , श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह,श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्त, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रि पाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी राम,श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसालो देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह ,श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर ,श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री

रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपार्लासिह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेडी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरतसिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथसिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री

विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी,
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र, सिंह कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुरहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंशप्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :—श्री पी० डी० टन्डन राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थिति थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ अगस्त, १९७१

[श्री उपाध्यक्ष द्वारा कार्य-सूची की नत्थी (क) के प्रथम प्रश्न को पुकारे जाने के साथ ही अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर छितौनी बांध के सम्बन्ध में विचार के लिये समय की मांग करने लगे। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य प्रश्नों के उपरान्त अपनी बात उठायें। किन्तु फिर भी अनेक सदस्य बोलते रहे। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ आदि के विषय में जो सूचनाएं आई हैं, उनके लिये २ घंटे चर्चा करने के लिये समय दिया गया है। अतः माननीय सदस्य प्रश्नों को चलने दें। फिर भी कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे। अतः श्री उपाध्यक्ष ने ११ बजकर ६ मिनट पर १० मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। १ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। कुछ सदस्यों ने पुनः बिना श्री उपाध्यक्ष की अनुमति के बोलना प्रारम्भ कर दिया।]

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो कुछ आप बोल रहे हैं बिना मेरी अनुमति के, यह कुछ भी लिखा नहीं जायेगा, न रिकार्ड ही में छपेगा और न अखबार वाले ही उसको छापेंगे। आप लोग कृपया मेरा सहयोग करें, मैंने स्वयं इस पर दो घंटे की बहस स्वीकार की है। उस पर आपको अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य कृपया उत्तेजित न हों। मेरी इसमें असहमति नहीं है, पर इस तरह से जो आप कहते हैं मेरी भी समझ में नहीं आता है, रिपोर्टर्स को भी दिक्कत होती है।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम और हमारा दल आधा घंटा के लिये सदन त्याग करते हैं। (व्यवधान)।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

वेतन आयोग के विचाराधीन विषय

****१—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित) (जिला उन्नाव)—**

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सैय्यद अली जहीर की अध्यक्षता में नियुक्त १५ सदस्यीय वेतन आयोग के विचारणीय विषय क्या-क्या हैं और वह अब कब से अपना कार्य प्रारंभ कर देगा? क्या उक्त वेतन आयोग के समक्ष विचारणीय विषयों में पंचायतराज मन्त्रियों की उपलब्धियों एवं अन्य सुविधाओं को समावेशित किया गया है? यदि हां, तो उसका क्षेत्र क्या है?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्री सैय्यद अली जहीर की अध्यक्षता में नियुक्त वेतन आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :

(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार करना और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की आर्थिक दशा तथा मूल्यों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम निर्वाह वेतन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण की सिफारिश करना।

(२) इसी प्रकार की सिफारिश स्थानीय निकायों (जिला परिषदों, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया समितियों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं), तथा प्राइमरी स्कूलों, शासन से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं प्राविधिक संस्थाओं के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी करना।

(३) संसाधनों की उपलब्धता तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के निमित्त की गयी वचनबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त (१) और (२) के सम्बन्ध में की गई। सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों तथा शिक्षण संस्थाओं को क्या कदम उठाने चाहिए, इनके सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(४) ऐसे विशिष्ट मामलों पर, जो शासन के वित्त विभाग द्वारा आयोग को भेजे जायं विचार करना और सलाह देना।

आशा की जाती है कि वेतन आयोग अपना कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर देगा। वेतन आयोग पंचायत राज मन्त्रियों की उपलब्धियों के बारे में भी विचार करेगा, किन्तु अन्य सुविधायें आयोग के विचारणीय विषयों में नहीं आतीं। आयोग का क्षेत्र ऊपर उल्लिखित विषयों से स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ दूसरे दिन के लिए स्थगित है।

****२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—**

[स्थगित]

राजघाट नरौरा, जिला बुनन्दशहर में विद्युत् उत्पादन प्लांट

**३--श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि राजघाट, नरौरा, जिला बुलन्दशहर में प्लान्ट, विद्युत् उत्पादन हेतु स्थापित करने का निश्चय केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है?

वित्त एवं विद्युत् राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)--

जी नहीं।

श्री शिवराज सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, उसकी अंतिम अवस्था क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह प्रश्न एटामिक इनर्जी कमीशन के विचाराधीन है और उसने एक साइट सिलैक्शन कमेटी नियुक्त की है जो २-३ बार इस प्रदेश का भ्रमण भी कर चुकी है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गाजीपुर)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने कहा कि एक चयन कमेटी है जिसने विभिन्न स्थानों को देखा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसने किन-किन स्थानों को देखा है और उसने अपनी रिपोर्ट में किस स्थान पर लगाने की बात कही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस सम्बन्ध में उन्होंने नरौरा तथा झांसी में माताटीला स्थान का निरीक्षण किया है और इस समय इस सम्बन्ध में नरौरा में चयन कमेटी के सभापति महोदय अपनी यात्रा कर आए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एटामिक इनर्जी कमीशन के चेयरमैन, श्री साराभाई ने नरौरा में इस एटामिक स्टेशन को स्थापित करने की संस्तुति की है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह सही है कि डाक्टर साराभाई जी नरौरा गये थे, चूंकि साइड सेलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट उनके विचाराधीन होगी, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने नरौरा के बारे में अपनी संस्तुति कर दी है। लेकिन उनके एजेन्डा में नरौरा के बारे में उसे सबसे ज्यादा इम्पार्टेंस दी गई है।

श्री शिवराज सिंह--

क्या इस कथित एटामिक पावर कमीशन ने कोई अपनी रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार को भी दी है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सही है कि साइट सेलेक्शन कमेटी, मिर्जापुर भी गई थी और उसने रिहन्ड के पास का भी स्थान देखा है इस विद्युत्-गृह को बनाने के लिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई फैसला ले लिया है, जिसका उत्तर आया है—जी नहीं, इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है तो यह साइट सेलेक्शन का काम किस आधार पर हो रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

साइट सेलेक्शन कमेटी गठित इसलिए हुई है कि वह काम करे ताकि यह फैसला हो सके कि कहां पर एटामिक पावर स्टेशन बनाया जाए। प्रदेश सरकार बहुत पहले से इस बात के लिये जोर दे रही है कि यह पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनाया जाए और नरौरा में बनाया जाए।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

स्थान के संबंध में फैसला कब तक हो जाएगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आशा यह है कि ६ महीने के अन्दर हो जाएगा।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए कितना रुपया स्वीकृत है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार की ओर से माताटीला स्थान के बारे में भी यह सुझाव दिया गया है कि यह स्थान भी उपयुक्त हो सकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब यह निर्णय होगा कि नरौरा में नहीं कायम हो सकता है तो प्रदेश के हित में माताटीला में स्थापित होना भी हितकर होगा।

श्री शिवराज सिंह—

यह तो सही है कि इस चयन समिति ने प्रदेशीय सरकार को लिखित रूप से रिपोर्ट नहीं दी है लेकिन क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौखिक रूप से उन्हें डा० मूर्ति तथा डा० नाग ने बातचीत के मध्य ऐसा कोई आश्वासन दिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, जिन दिन यहां पर बजट विवाद समाप्त हुआ था, उस समय मैं उस कमेटी के अध्यक्ष से बातचीत करने दिल्ली गया था। वहां श्री एस० एन० चक्रवर्ती, ऐडवाईजर एटामिक एनर्जी कमीशन, डाक्टर के० एल० राव तथा अन्य कुछ शीर्षस्थ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी। व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने कहा था, उसको मैं सदन में लीक करना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा कि अधिकांश का मत यह है कि यह पावर स्टेशन यू० पी० में स्थापित हो।

विद्युत् कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस

****४—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—**

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को उचित रूप से लागू नहीं किये जाने के विरोध में प्रदेश के हजारों विद्युत् कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी सरकार को दी है? यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में क्या किया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विभिन्न कर्मचारी यूनियनों/संघों ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को नोटिस दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं तो ६ अगस्त, १९७१ से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण और 'फिटमेंट' संबंधी विवादों को सुलझाने के लिये परिषद् के वरिष्ट सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे विवाद जिन पर उक्त समिति द्वारा समझौता नहीं कराया जा सकेगा, संराधन के लिये शासन द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी को अभिदिष्ट किये जा सकेंगे। किसी मामले में समझौता न होने की दशा में उक्त अधिकारी शासन को आश्वयक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में यह बात भी सम्मिलित है कि विभिन्न विद्युत् संस्थानों के कर्मचारी अपने मैनेजर और जो मालिक हैं उनके साथ बैठकर फिटमैन चार्ट का जो वर्गीकरण है, इसका फैसला कर लेंगे वही सर्वमान्य होगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में विभिन्न यूनियन्स के पदाधिकारियों की राय से एक निर्णय लिया जायगा। इस सम्बन्ध में त्रिदलीय वार्ता भी हो चुकी है। उसके बाद फिटमेन्टस निश्चित किये हैं। उस पर भी आपत्तियां आयी हैं। उस पर कमेटी विचार कर रही है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री जी बतायेंगे कि जो तृतीय वेज बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार न केवल केसा के कर्मचारियों का बल्कि प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम और अधिकतम वेतन कम हो गया है, इससे बड़ा असंतोष है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस सम्बन्ध में जो भी अपत्तियां हैं उन पर १६ तारीख से एक उच्च-स्तरीय समिति बैठी है और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर रही है। १० तारीख तक निर्णय हो जायगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विद्युत डिपार्टमेंट के अन्दर दो तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं एक सरकारी और दूसरे कम्पनियों के कर्मचारी, और कम्पनियों के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है इसलिए तमाम कम्पनियों को खत्म करके गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया जाय?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो ऐसे संस्थान हैं जिनको अभी तक नहीं लिया गया कोई सरकार का उनके बारे में निर्णय नहीं है। लेकिन उनके कर्मचारियों के बारे में भी सरकार समय-समय पर ध्यान रखती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत् मंत्री बताएंगे कि कितने विद्युत् संस्थानों में फिटमैन चार्ट का वर्गीकरण स्वीकृत और लागू हो चुका है और कितने विद्युत् संस्थान बकाया हैं और जो बकाया हैं उनमें कब तक फिटमैन चार्ट के अनुसार सही वर्गीकरण हो जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिए, विवरण के लिए सूचना की आवश्यकता है। लेकिन जो सरकारी संस्थान है उस पर जो फिटमैन्टस इश्यू हुए हैं वह लागू हो रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री रामलगन दुबे—

[४थे बुधवार में प्रश्न संख्या ३७–३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हाइडिल सर्किल, अलीगढ़ द्वारा स्वीकृत पावर कनेक्शंस

*३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाइडिल सर्किल, अलीगढ़ में वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ की अवधि में कुल कितने पावर कनेक्शन्स स्वीकार हुए तथा उनमें से कितनों को लाइन देकर चालू कर दिया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४–५—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[६ठे बुधवार में प्रश्न सं० १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६—श्री कल्याण सिंह—

[३रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७–८—श्री नौनिहाल सिंह—

[६ठें मंगलवार में प्रश्न संख्या १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल तथा कूमायूं मंडल में नाजायज शराब तथा टिंचर की बिक्री

*९—श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मद्य-निषेध के बाद उत्तराखण्ड तथा गढ़वाल व कुमायूं मन्डल में कितने नाजायज शराब तथा टिंचर बिक्री के मामले पकड़े गये हैं ?

कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में मद्य निषेध के बाद क्रमशः ५०९ तथा २३६ शराब के अभियोग पकड़े गये। टिंचर के अभियोग में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

*१०—११—श्री राम प्यारे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१२–श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[६ठे बुधवार में प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद बिजली घर की क्षमता

*१३—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद बिजली घर की कितनी क्षमता है? क्या उन्हें यह पता है कि इस बिजलीघर की बिजली प्रायः फेल हो जाती है जिससे विद्यार्थियों और नागरिकों को बड़ा कष्ट होता है? क्या सरकार कोई नया जेनरेटर इलाहाबाद बिजलीघर में लगाने की योजना बना रही है?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

इलाहाबाद बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता (इनस्टाल्ड कैंपैसिटी) १२ हजार किलोवाट है परन्तु मशीनों के पुरानी हो जाने के कारण इस बिजलीघर से केवल ६/७ हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। बिजलीघर से बिजली कभी फेल नहीं होती है। विद्युत् वितरण लाइनों पर कभी-कभी खराबी हो जाने के कारण ही उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाती है जिसे सूचना मिलते ही जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाता है। यहां पर नया जेनरेटर सेट लगाने की कोई योजना नहीं है। बल्कि इलाहाबाद में २२० के० वी० का ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया गया है जहां से इलाहाबाद के बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है और इस प्रकार का वक्तव्य भी उनका समाचार-पत्रों में था, जब इलाहाबाद गये थे अप्रैल के महीने में, चार-चार बार बिजली फेल हो जाती है, इसका कारण यह है कि २२० किलोवाट का ग्रिड फंक्शन नहीं कर रहा है और बिजली कर्मचारियों के पास पहले चार वाहन थे जब मार्टिनबर्न कम्पनी थी अब केवल एक रह गया है इसलिए बुद्धजीवियों को कठिनाई होती है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी पिछली बार जब मई, सन् १९७१ को जो भयंकर तूफान आया था उससे इलाहाबाद की बिजली संचार व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त हो गयी है लेकिन अथक प्रयास करके उसे ठीक किया जा रहा है और माननीय सदस्य जिन साधनों की कमी के बारे में बतला रहे हैं अगर वहां का मैनेजमेंट अपनी कोई मांग प्रस्तुत करेगा तो उस पर विचार करेंगे।

श्री रामगोपाल संड—

क्या यह सही है कि वहां के रेजीडेंट इंजीनियर न दो साल हुए चार गाड़ियों के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था? सरकारें आईं और गयीं लेकिन कोई वाहन उनको नहीं दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं वहां के विद्युत् संस्थान में गया था और वहां के बारे में जानकारी प्राप्त की और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

*१४—श्री रामगोपाल संड—

[१४वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रिहन्द विद्युत् गृह की उत्पादन क्षमता

*१५—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि रिहन्द में ३ लाख किलोवाट की उत्पादन क्षमता वाले पावर हाउस में इस समय केवल ५० हजार किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हो रहा है? इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

रिहन्द बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता (इन्सटाल्ड कैपेसिटी) ३ लाख किलोवाट है और पूरे वर्ष लगतार उत्पादन करने की क्षमता (फर्म कैपेसिटी) १ लाख ५ हजार किलोवाट है। पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण जलाशय स्तर ८८० फु० के स्थान पर कुल ८४० फु० ही तक पहुंच पाया था इस कारण जलाशय अगली वर्षा तक चलाने के लिये रिहन्द से बिजली का कम से कम उत्पादन किया गया।

इस कमी को पूरा करने के लिये पास के प्रदेशों से बिजली का आयात किया जा रहा है।

*१६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*१७—श्री गोविन्द सिंह —

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८—श्री गोविन्द सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*१९—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिला पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन गांवों को सन् १९७१–७२ में सम्मिलित किया गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सन् १९७१–७२ में पौड़ी-गढ़वाल के ३९ गांवों के विद्युतीकरण करने के लिए सम्मिलित किया है। जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३= पर)

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलायेंगे कि वर्ष १९७०–७१ में जिला पौड़ी-गढ़वाल और जिला अल्मोड़ा में १० जून तक किन-किन गांवों को जिलेवार बिजली दी गई है?

श्री गोस्वामी राधा ;ष्ण—

१–४–१९७० से ३१–३–१९७१ तक की सूचना निम्न प्रकार है :—

जिला गढ़वाल में अमसौर, देवीलाल, बेलदा, दादामन्डी और बरंथना ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है।

जिला अल्मोड़ा में चमोली, नैनी, डाडगोलिया, जनौली एवं कालिका ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यह जो बिजली गांवों को दी जायगी वह कहां से दी जायगी और कब से आरम्भ की जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शीघ्र ही इसको प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है। साधन और सामान जुटाये जा रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

सन् १९७०–७१ में कितने गांवों में बिजली देने की योजना थी और क्या कारण है कि अन्य गांवों को बिजली नहीं दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है। जिन गांवों के बारे में सवाल पूछा गया है उसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

सवाल यह है कि सन् १९७०–७१ में कितने गांवों को बिजली दी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि गढ़वाल में १९७०–७१ में कितने गांवों को १० जून तक बिजली दी गयी इस की सूचना मैंने दे दी है।

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर में जिन गांवों का विद्युतीकरण बतलाया गया है उन गांवों में लाइन खींची गयी है अथवा रोशनी भी हो रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने यह उत्तर दिया था कि सामान और साधन जुटाये जा रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अल्मोड़े के जो गांव पड़े हैं वे कौन कौन हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अल्मोड़ा, नैनी, डाडगोलिया, जनौली एवं कालिका हैं।

श्री इन्द्रमणि—

क्या ये गांव अल्मोड़े में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

न हीं हैं तो आप उनको लिख कर सूचित कर दें।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

विद्युत् मंत्री ने पिछले दिनों यह घोषणा की थी कि पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के लिये पावर डिवीजन खोला जायगा तो इसको खोलने के लिये क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जितनी योजनायें हैं उनके अलावा भी कुछ योजनायें ली जा सकेंगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण जितना सन्तोषजनक होना चाहिये उतना नहीं हुआ है और पिछले दो-तीन वर्ष में जो वार्षिक लक्ष्य थे वे भी ठीक प्रकार से पूरे नहीं हो पाये हैं। तो यह आशा की जाती है कि नया सर्किल खुल जाने पर इसमें तेजी आयेगी।

श्री इन्द्रमणि—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव माननीय मंत्री जी ने बताये हैं वे क्या अल्मोड़े जिले में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री इन्द्रमणि—

मान्यवर, शायद हम गलत हो सकते हैं किन्तु मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ये गांव वास्तव में उस जिले में हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, हैं।

श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

मान्यवर, मैं भी अल्मोड़ा जिले का रहने वाला हूं और माननीय मन्त्री जी मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं किन्तु मैं नहीं समझता हूं कि ये गांव अल्मोड़ा जिले में हैं या अन्य किसी जिले में ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, ये गांव रानीखेत तहसील के आस-पास पड़ते हैं और इनका नाम चमोली, नैनी, डाडगालिया, जनौली, और कालिका हैं। इनमें से दो-चार गांव में मैं गया भी हूं।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिये और मैदानी इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिये क्या एक ही शर्त है अथवा अलग-अलग शर्तें हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये शर्तें अभी तक एक ही हैं किन्तु इन शर्तों को दोनों इलाकों के लिये अलग-अलग करने की मांग आई है क्योंकि १५ प्रतिशत रिटर्न पहाड़ी इलाके में नहीं हो सकता।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह शर्त लगा दी गई है कि उन्हीं गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी जहां कि १० प्रतिशत का रिटर्न हो जाय। तो पूर्वी जिलों में मुमकिन नहीं है कि वहां किसी गांव में बिजली पहुंचाई जा सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, हम लोगों का आधार कार्मशियल आधार पर रहता है और जो स्थिति आज हमारे प्रदेश की है उसके अनुसार यह कार्मशियल आधार होना भी चाहिए। मान्यवर, आपने देखा होगा, यदि सदन का सहयोग हमें प्राप्त हो जाय, जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो जाय बजट में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि हम सन् १९७९ तक प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा सकेंगे। फिर ये सारी बातें गौण हो जायंगी।

बलिया जिले में जल विद्युत् विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें

*२१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९६८ में बलिया जिला के जल विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें विभागीय लेखपाल श्री उमाशंकर श्रीवास्तव ने की थी जिसकी जांच सीनियर एकाउन्ट आफिसर एस० सी० मिश्रा ने की ? यदि हां, तो जांच रपट क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री उमाशंकर श्रीवास्तव, लेखपाल ने चीफ एकाउन्ट अफसर को प्री आडिट के लिये पन्द्रह मस्टर रोल जिनका कुल योग रु० ४,५०१.५० था भेजा था, और उन्हें पास करने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी।

सीनियर एकाउन्ट अफसर, श्री एस० सी० मिश्रा, द्वारा मामले की जांच कराई गई। जांच में एक खन्ड के व्यय का दूसरे खन्ड से दिया जाना, संदिग्ध भुगतान, संदिग्ध मस्टररोल, गलत अंगठा निशान, मस्टर रोलों का गलत सत्यापन, रबर से मिटाना, कटिंग तथा ओवर राइटिंग, फरजी नाम, दोहरा भुगतान, इत्यादि गंभीर बातें परिलक्षित हुयीं। बलिया खण्ड में ईंटों की ढुलाई में गड़बड़ी, अधिक भुगतान, एक कार्य के लिए दोबारा सामग्री लिये जाने का सन्देह, कैशबुक में कुछ बातों के उल्लेख की कमियां भी पायी गई थीं।

*२२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[६ठे सोमवार के लिए स्थगित]

*२३—श्री राम प्यारे, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री मैनेजर सिंह और श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

[६ठे सोमवार के लिये स्थगित]

रिहन्द से विस्थापित जनता के पुनर्वास क्षेत्रों में बिजली

*२४—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री रिहन्द से विस्थापित जनता के पुनर्वास क्षेत्रों में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पुनर्वास क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की अभी कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में कोयले के अभाव के कारण भट्ठों का बन्द होना

*२५—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में कोयले की गाड़ी न आने से प्रदेश के सैकड़ों भट्ठे बन्द हो गये हैं और निर्माण कार्यों में बाधा पड़ गई है ? यदि हां, तो सरकार इस परेशानी से निपटने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

जी हां, इस सम्बन्ध में दूसरे प्रयत्नों के अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी ने कोयले की समस्या के बारे में केन्द्रीय रेल मन्त्री जी को २१-६-१९७१ को लिखा था और २५-६-१९७१ को तार भी दिया। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय रेल मंत्री जी ने रेलवे के एक उच्च अधिकारी

को मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए ५ जुलाई, १९७१ को भेजा। उक्त अधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया कि रेल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए अधिक से अधिक वैगन व रेल की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। उन्होंने इस बात की भी सहमति दी कि अगर खदान से कोयला बरौनी ट्रक द्वारा लाया जाय तो रेल विभाग बरौनी में वैगन की बुकिंग व वैगन की सुविधा दे देगा। परिस्थितियों को देखते हुए शासन इस बात को भी प्रोत्साहन दे रहा है कि ट्रकों द्वारा प्रदेश में कोयला लाया जाय हालांकि यह मंहगा पड़ेगा।

२४ जुलाई, १९७१ को कोल एजेन्टों, भट्ठे वालों व ट्रक आपरेटरों की एक बैठक की गयी और इस समस्या पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। जो सुझाव दिये गये उन पर विचार कर के इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में कोयला रेल तथा ट्रक द्वारा इस प्रदेश में लाया जाय।

उपरोक्त मीटिंग के बाद हमारे अधिकारियों ने दिल्ली जाकर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बात की। रेलवे बोर्ड ने यह आश्वासन दिया है कि वे स्थिति के सुधारने में प्रदेश की पूरी मदद करेंगे और अधिक से अधिक रेकों व वैगनों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में रेलवे वैगनों द्वारा कितना कोयला आया और उसमें कितने कोयले की कमी हुई?

श्री बेनी सिंह---

सन् १९६९-७० में हमारे प्रदेश में १,०१८ रेलवे रेक्स कोयले के आये, २६,२०२ वैगन कोयले के आये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के मुकाबले में जो शार्टेज रही हैं, तो कितने वगन कम सरकार को उलब्ध हुए और जब से सरकार ने यह कोशिश की है उसके बाद कितने वैगन्स में और बढ़ोत्तरी हुई है?

श्री बेनीसिंह---

यह तो २५ तारीख की बात है, अभी तो कोशिश जारी है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है और उन्होंने रेलव बोर्ड को लिखा है तो उनके फिर लिखने पर कितना अलाटमेंट हुआ जिससे आने वाले वर्ष में कोयले के अभाव की पूर्ति कर सकें?

श्री बनी सिंह---

कहने पर वह हमको बड़ी लाइन से हर महीने में ६० रेक और छोटी लाइन से ५ रेक देने के लिये तयार हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश को वैगनों की सप्लाई कम हुई है? अगर हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री बेनी सिंह---

और जगह से कम तो नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा और कुछ जगह पर ऐसा हुआ है। उनका कोटा कम है। यदि कम कोटे वाले प्रदेश को थोड़ा भी माल मिल जाता है तो परसेंटेज बढ़ी हुई मालूम होती है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

जो सरकार कोयला भट्ठों को दे रही है तो क्या सरकार बतायेगी कि जो दाम ईंट का बढ़ गया है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल करेगी ?

श्री बेनी सिंह---

चूंकि कोयले पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री है और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रही है इसलिये कोयला नहीं आ रहा है। जब कोयला नियंत्रण नहीं कर पाते तो ईंटों का नियन्त्रण कर सकना संभव नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

यह नहीं बताया कि क्यों इस प्रांत को कम मिलता है। क्या आबादी के अनुपात पर कोयला मिलता है या किसी और विशेष आधार पर ?

श्री बेनी सिंह---

हमारे भट्ठों का एक इंडेंट जाता है कितनी जरूरत होती है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट आफ इंडिया कोटा निर्धारित करती है और रेलवे के वैगन्स निर्धारित करती है, लेकिन रेलवे वैगन्स के आने में दिक्कत हुई, कुछ गड़बड़ी रहीं, दूसरे बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि जो हमारे वैगन्स गये उनका माल चोरी चला गया, कुछ आ नहीं पाया और जितना रेलवे बोर्ड लाद सकता था वह लाद नहीं सका।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

विकास कार्यों को देखते हुए इस वर्ष कितना कोयला वह मंगाने जा रहे हैं जिससे भविष्य में कोयले का भाव न बढ़ सके और जनता को आसानी से मिल सके ?

श्री बेनी सिंह---

अभी इसका अन्दाजा तो नहीं लगा। अभी इंडेंट मांगे जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि कितने वैगन्स मिल जायंगे रेलवे से और कितना ट्रांस्पोर्ट होगा। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा कोयला इन दो महीनों में हम इकट्ठा कर पायें। बफर स्टाक हो जायगा तो अगले महीनों में वह चल जायगा।

श्री रामकरन सिंह---

मंत्री जी ने बताया कि कोयले की कमी को दूर करने के लिए ट्रक और रेक दोनों चीजों से कोयला आयेगा। इस प्रकार से तो कोयले के दाम में बढ़ोत्तरी हो जायगी। तो ऐसी स्थिति में ईंट को किस रेट पर बिकवायेंगे ? क्या इसकी कोई व्यवस्था सोच रहे हैं कि रेक और ट्रक से कोयला आवेगा तो ईंट पर कोई कंट्रोल रखेंगे कि ताकि लोगों को ईंट सस्ते रेट पर मिल सके?

श्री बेनी सिंह---

अभी तक तो इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं है क्योंकि कोयले पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, अगर उसको पूरा कर सके तब सोचा जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो रेल मंत्रालय से संपर्क स्थापित किया तो निश्चित रूप से उसका क्या फल निकला ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने अर्ज किया कि इस विषय में रेलवे मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया गया, कान्फ्रेन्स हुई, अपने एक आफीसर को रेलवे ने यहां भेजा, अभी भी संपर्क जारी है, अभी प्रयास हो रहा है?

रेंट कंट्रोल ऐक्ट की धारा ७-एफ के अन्तर्गत मुकदमे

*२६---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ७-एफ के अन्तर्गत १ फरवरी, १९७१ को कितने मुकदमे सरकार के विचाराधीन पड़े थे और उनमें से कितने ३ माह से अधिक समय से विचाराधीन रह चुके थे ?

श्री बेनी सिंह---

रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ७ एफ के अन्तर्गत १ फरवरी, १९७१ को राज्य सरकार के समक्ष ६४४ मुकदमें विचाराधीन थे और उनमें से ३९० मुकदमें ३ माह से अधिक समय से विचाराधीन रह चुके थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह क्वासी जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हैं और ७-एफ० के मातहत २ लाइन के ही बहुत से फैसले होते हैं। क्या वहां पर वकीलों को सुनवाई के अवसर पर जाने की इजाजत देंगे, जैसा कि कुछ समय के लिये किया गया था ?

श्री बेनी सिंह---

ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। इससे और देर लग जायगी। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि रेंट कन्ट्रोल विधेयक सरकार अगले सत्र तक लाने वाली है, इसलिये जो भी तरीका चल रहा है फिलहाल उसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर तवज्जुह देकर कि जब से रेंट कन्ट्रोल विधेयक लाने की लोगों ने सुना है पिछले ४--५ महीनों में, जिला स्तर के अधिकारी बहुत करप्ट हो गये हैं और मकान-मालिकों से मिलकर किरायेदारों को उखाड़ रहे हैं। क्या मंत्री जी नये कानून के आने तक इस अख्तियार को वापिस ले लेंगे ताकि किरायेदारों की बेदखली का आर्डर न दिया जा सके ?

श्री बेनी सिंह---

ऐसा करने से जरूरतमन्द लोगों को दिक्कत हो जायगी। यह करना संभव नहीं है। जब तक वह कानून बना हुआ है, उसके मातहत लोगों को काम करने देना चाहिये। अगर आप हमें कोई ऐसा केस दे दें जिसमें ज्यादती हुई तो उसमें हम इन्क्वायरी करा लेंगे, लेकिन इस प्रकार का जनरल आर्डर नहीं दिया जा सकता ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय कितने मुकदमे बकाया हैं और सब से अधिक पुराना मुकदमा कितना पुराना है ?

श्री बेनी सिंह---

जुलाई तक ७५७ मुकदमे बाकी थे। एक वर्ष पुराने ६ मुकदमे हैं।

श्री रामगोपाल संड---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई स्पेसीफिक केस बतायेंगे तो जांच की जायगी। मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि पत्रिका के मुख पृष्ट पर निकला था कि इलाहाबाद के रेंट कन्ट्रोल अधिकारी ने ५ हजार रुपया वसूला और डी० एम० ने उसको मुअत्तल किया। क्या उस अधिकारी के बारे में माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर जांच करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसमें आपका यह भी आ गया।

सुल्तानपुर जिले में भट्ठा चलाने के लिये भारत सरकार द्वारा दिया गया कोयला

*२७---श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९-७० में सुल्तानपुर जिले को भट्ठा चलाने के लिये भारत सरकार ने ३ रेक कोयला दिया था ? यदि हां, तो उसका वितरण किसके माध्यम से किस रेट पर किया गया और किसे कितना कोयला दिया गया ?

श्री बेनी सिंह---

वर्ष १९६९-७० में सुल्तानपुर जिले को नामांकित कोल एजेन्टों द्वारा ४९ वैगन (फोर ह्वीलर) भट्ठों के लिए आयात किया गया। एजन्टों ने स्वयं उसका वितरण किया। रेट के बारे में तथा किसको कितना कोयला दिया गया इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोल ट्रेडिंग कम्पनी चेतगंज, बनारस को तीन रेक कोयला दिया गया सुल्तानपुर के लिये लेकिन केवल एक रेक प्रतापगढ़ स्टेशन पर उतरा और बाकी कोयला ब्लैक कर दिया गया ?

श्री बेनी सिंह---

इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवकुमार पांडेय---

जिले से जो जवाब आया था उसमें यह था कि ७०/७१ में एक रेक कोयला दिया गया और सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये १९६९-७० का जवाब दे रही है। क्या यह सही है ?

श्री बेनी सिंह---

जो सवाल पूछा है उसका जवाब दिया है। अब क्या कागजात दफ्तर में आते हैं इसकी अगर जानकारी चाहें तो लिख कर दें।

श्री शिवकुमार पांडेय---

क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सूचना मान कर बतायेंगे कि जिलाधीश सुल्तानपुर ने इस कम्पनी को ५०-५० वैगन देने के लिये कहा था। इसके बाद इस कम्पनी के श्री हरिभजन ने दरख्वास्त दी उस पर से इस कम्पनी के लिये दो रैक कोयला की सिफारिश की गई। इसका केवल एक रैक कोयला आया और बाकी सारा कोयला ब्लक कर दिया गया ? क्या मंत्री जी इसको सही मानकर जांच करायेंगे और सदन को बतायेंगे कि इसमें क्या भ्रष्टाचार किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप लिखकर दे दीजिये। यह आपने नया सवाल खड़ा किया। (श्री उपाध्यक्ष के अगले प्रश्न को पुकारे जाने पर।)

श्री शिवकुमार पांडेय—

श्रीमन्, सुल्तानपुर में इसके सिवाय और कोई उद्योग नहीं है। इसमें यानी कोयले में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है.....।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप आगे बढ़ गये हैं फिर भी यह कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दीजिये अब हम आगे बढ़ गये हैं।

*२८—श्री रामलाल राही—

[५ब सोमवार के तां० प्र० संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर विद्युत् विभाग गोरखपुर का स्थानान्तरण एवं उसका निरस्त किया जाना

*२९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री को यह ज्ञात है कि सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, गोरखपुर का तबादला कई बार हो चुका है, परन्तु बार-बार कैन्सिल कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर का न तो बार-बार तबादला ही हुआ न निरस्त किया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि इनका पहला तबादला अक्तूबर ६९, दूसरा पहली मई, ७०, फिर २८ मई, १९७०, फिर पहली जून, १९७० और फिर अप्रैल, १९७१ में हुआ? एक बार तो श्री भूपाल सिंह एस०ई० चार्ज लेने के लिए गोरखपुर पहुंच भी गये लेकिन इनका तबादला स्टे कर दिया गया, इसका क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

३ दिसम्बर, ६९ को इनका तबादला गोरखपुर मंडल से लखनऊ के लिये हुआ था जो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इनका कोई तबादला नहीं हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या इस एस० ई० के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो सरकार क्या कर रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में विद्युत् परिषद् एक निगम है जो इसके बारे में पूरे अधिकार रखता है। जहां तक उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का प्रश्न है, मैं नहीं कह सकता। शायद नहीं आये और यदि आये होंगे तो विद्युत् परिषद् के पास आये होंगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इतने लोकप्रिय हैं कि बार-बार वहीं रह जाते हैं ? जब कोई शिकायत थी तो क्यों नहीं हटा दिये गये और कितने दिनों से वहां हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

लोकप्रिय हैं या नहीं यह तो माननीय सदस्य जो वहां के स्थानीय हैं वह विशेष रूप से जानते होंगे लेकिन यह मैं जानता हूं कि एक बार उनका स्थानान्तरण हुआ है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

वह कितने वर्षों से वहां हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

निश्चित तिथि तो मैं नहीं बता सकता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

तारीख नहीं, साल ही बता दें कि किस साल से वहां हैं ?

श्री बांकेलाल---

मन्त्री हैं तो क्यों नहीं तैयार होकर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मालूम हो गया आप तशरीफ ले आये हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जहां तक मेरी जानकारी है ६ जुलाई, १९६८ से वह वहां तैनात हैं।

श्री इन्द्रमणि ---

व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है तो मेरी जानकारी है या सरकार की जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय राम करन सिंह।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पहले प्रश्न पर मैं चार बार खड़ा हुआ, आपने मुझे मौका नहीं दिया। आपने माननीय राम करन और सुरेन्द्र विक्रम को मौका दिया। अब भी आपने सुरेन्द्र विक्रम को मौका दिया और राम करन को मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई ढंग नहीं है। अगर आप पर नजर पड़ेगी तो आप को मौका दूंगा।

श्री राम करन सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न तो मैं पूछना चाहता था महीलाल जी से। ख्वामख्वाह के लिये उन्होंने आपके लिये ऐसे शब्द इस्तेमाल किये जो नहीं करने चाहिये थे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके यहां ऐसा नियम है कि किसी भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का ट्रांसफर ५ साल के अन्दर नहीं होता है ? अगर ऐसा है तो किन कारणों से इनका ट्रांसफर कई बार करने की सोची जा रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, विद्युत् परिषद् ने किसी विशेष कारण से ही इनको वहां रखने का प्रयास किया होगा। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसके बारे में जानकारी लेकर दे दूंगा।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मन्त्री जी ने हर जवाब में विद्युत परिषद् की बात कही है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक बार ट्रांसफर हुआ और वह कैंसिल कर दिया गया। पहली जून को जो उनका दूसरा ट्रांसफर हुआ जो असलियत में तीसरा ट्रांसफर था, जिसके ऊपर भोपाल सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर चार्ज लेने के लिए गोरखपुर पहुंच गये लेकिन फिर उनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया और इसके बाद में इनका ट्रांसफर पंडितजी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब उनकी कलम से हुआ रामलखन जी की कलम से हुआ, माननीय अतीकुर्रहमान की कलम से हुआ, नारायणदत्त तिवारी जी की कलम से हुआ और उसके बाद उत्तर देते हैं सदन के अन्दर कि कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसको कैंसिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक गम्भीर प्रश्न है। विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है सुपरिंटेंडिंग शइंजीनियर के खिलाफ। आप मुझे नियम ४९ में टाइम दीजिये ताकि इन चीजों को सदन में उठाया जा सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, जहां तक सरकार को सूचना है केवल एक बार ३ दिसम्बर, १९६९ को इनका स्थानान्तरण हुआ। प्रणाली यह है कि किसी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या किसी का सरकार सीधे ट्रासफर नहीं करते। विद्युत् परिषद् ऐक्ट के अनुसार विद्युत् बोर्ड ही उनकी नियुक्ति करता है और इनके स्थानान्तरण भी वही करती है। सरकार के पास कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच के लिये सरकार आदेश देती है। स्थानान्तरण के बारे में कोई सुझाव या शिकायत आती है तो उनको अपने सचिव के जरिये आदेश देती है कि इस पर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय लेकिन अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में विद्युत् बोर्ड का ही होता है। मिनिस्टर का नहीं होता। ऐक्ट के अनुसार मिनिस्टर इसमें हस्तक्षेप करन का अधिकारी नहीं है।

*३०---श्री रामलाल राही---

[७वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३१-३२---श्री डी० पी० बोरा---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोंडा कचहरी के कर्मचारियों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व

*३३---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कचहरी माल तथा खजाना में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उनमें कितने हरिजन हैं और सन् १९७०-७१ ई० में नई कितनी भर्ती की गई है? उनमें कितने हरिजन लिये गये हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जनपद गोंडा में कचेहरी माल तथा खजाना में कुल २७४ कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से २२ हरिजन हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वर्ष १९७०-७१ में कुल २२ अस्थायी एवं लघुकालीन रिक्तियों पर नई अस्थायी नियुक्तियां की गई थीं जिनमें ९ हरिजन अभ्यार्थी भी लिये गये थे।

*३४—श्री माता प्रसाद—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

*३५—श्री हरीसिंह विष्ट—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ के भूतपूर्व जेल अधीक्षक द्वारा उनके कार्यकाल में जेल के अन्दर व जेलके वाहर किये निर्माण कार्य

*३६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व मेरठ जेल अधीक्षक ने जुलाई, १९६८ से १९७० तक के अपने कार्यकाल में जेल के अन्दर और बाहर क्या-क्या निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३९ पर)

*३७-३८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[६ठे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद गोंडा में शकर व गल्ले के लाइसेंस

*३९—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में शकर तथा गल्ले के दूकानों के वे लाइसेन्स समाप्त कर दिये गये हैं जो खाद्य पूर्ति कार्यालय द्वारा संचालित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या शासन ने दुकानदारों को जमानत की रकमें वापस कर दी हैं ?

श्री बेनी सिंह—

जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा केवल शकर के थोक दुकानदारों को लाइसेन्स प्रदान किये जाते हैं, जो कि अभी चल रहे हैं। फुटकर शकर के दुकानदार केवल इकरारनामे पर कार्य करते थे जो कि चीनी का विनियन्त्रण होने के फलस्वरूप स्वतः समाप्त हो गये। राजकीय सस्ते गल्ले के दुकानदार इकरारनामे पर कार्य करते हैं। देहाती क्षेत्र की गल्ले की दुकानें, पर्वतीय जिलों को छोड़कर, शासकीय आदेशानुसार नवम्बर, १९६७ से समाप्त कर दी गई हैं केवल शहरी क्षेत्र की दूकानें चल रही हैं। जहां तक राजकीय सस्ते गल्ले/चीनी के फुटकर दुकानदारों के जमानत वापसी का सम्बन्ध है, जो दुकानदार जमानत वापसी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हैं, उनकी जमानतें नियमानुसार शीघ्र वापस कर दी जाती हैं।

जनपद गोंडा में वनस्पति घी के लाइसेन्सों की अनियमितता निरस्त किया जाना

*४०—श्री सूरजलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९७०, से ३१ दिसम्बर, १९७० तक जनपद गोंडा में उन दुकानदारों के क्या नाम हैं जिनकी वनस्पति घी के लाइसेन्स अनियमितता के कारण कैंसिल किये गये हैं तथा उनमें से किन-किन पर मुकदमा कायम किया जा चुका है तथा किन-किन के मामलों की तफतीश पुलिस द्वारा की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसा केवल एक ही केस है।

सर्वश्री अयोध्या प्रसाद कृष्ण कुमार, थोक वनस्पति विक्रेता का, अतिरिक्त सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, वलरामपुर जिला गोंडा के दिनांक ३१ जुलाई, १९७० के आदेश द्वारा दोषी पाये जाने एवं रु० १,००० जुर्माना किये जाने पर, लाइसेन्स सं० ६ बी, दिनांक २५ सितम्बर, १९७० को निरस्त कर दिया गया।

*४१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तृतीय वेतन आयोग में नगरपालिका कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि को सम्मिलित करना

*४२—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या वित्त मंत्री तृतीय वेतन आयोग में नगरपालिका कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं । वेतन आयोग न केवल नगरपालिका कर्मचारियों के लिये वरन समस्त स्थानीय निकायों, प्राइमरी स्कूलों, शासन से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवम् प्राविधिक संस्थाओं के शैक्षिक एवम् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों पर विचार करने के लिए गठित किया गया है। अतः किसी एक वर्ग के संघों के प्रतिनिधि को उसमें सम्मिलित करना उचित न होगा ।

विधायकों को बस कूपन के स्थान पर पास देने पर विचार

*४३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या राज्य सरकार विधायकों को रोडवेज बसों के कूपन देने के बजाय पास प्रणाली लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बस कूपनों के बजाय बस पास दिये जाने की संभावना की जांच की जा रही है ।

*४४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[स्थगित]

प्रश्न संख्या २९ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मुझे यह निवेदन करना है कि अभी जो माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसके लिये मैं नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा करने हेतु नोटिस देता हूं कि इस पर आध घंटे की चर्चा की जाय । किसी अधिकारी के खिलाफ यदि विजिलेंस में इंक्वायरी चल रही हो और वह वहीं पर रहे तो यह महत्व का प्रश्न है । अगर आज मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे दें कि जिनके विरुद्ध इन्क्वायरी चल रही है । उनका स्थामान्तरण कर दिया जायगा तो मैं फिर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं समझूंगा ।

वित्त मंत्री(श्री नारायणदत्त तिवारी)—

सरकार विद्युत बोर्ड को सुझाव देती है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विजीलेंस में इन्क्वायरी चल रही हो उनके स्थानान्तरण के विषय में विद्युत परिषद तेजी से कार्यवाही करे ।

न्याय मंत्री द्वारा शिक्षा मन्त्री के विपरीत सार्वजनिक रूप से कथित कुछ बातें कहे जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी(जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं संविधान की धारा १६४ (२) के अन्दर स्पष्ट दिया हुआ है कि "The Councll of Ministers shall be collectlvely responsible to the Legislative Assembly of the State." मैंने एक अखबार आपके सामने प्रस्तुत किया है और नियम ३०१ के अन्दर आपको लिखकर दिया है कि इलाहाबाद के पास एक सभा में भाषण देते हुए माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने यह घोषणा की है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वह बुन्देलखंड का विकास नहीं कर रहे हैं और यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो बुन्देलखंड में विकास करता । इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने रिटार्ट किया कि शायद आप रात में घर से लड़कर आये हैं और कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप शिक्षा मंत्रालय लेलें । लेकिन इस पर स्वामी प्रसाद सिंह जी ने यह कहा कि मुझे कमलापति जी त्रिपाठी ने शिक्षा मंत्रालय नहीं दिया इसलिये मैं कैसे ले लूं । यह विवाद जनता के बीच हुआ है । मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी है, कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी है तो फिर इस प्रकार के विवाद होने पर किस प्रकार से ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटो रह गई है । इसलिये यह प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार जो वक्तव्य दिया गया है वह स्पष्ट रूप से संयुक्त जिम्मेदारी की उपेक्षा करता है कि यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो यह करता । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी रह गई है या समाप्त हो गई है । अगर समाप्त हो गई है तो फिर यह ड्यूली कांस्टीट्यूटेड गवर्नमेंट किस प्रकार रह गई है ?

कारागार मंत्री(श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

हमारे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि मैंने शिक्षा मंत्री जी का खंडन किया और यह कहा कि शिक्षा मंत्री हमारे बुन्देलखंड की उपेक्षा करते हैं और मैं शिक्षा मंत्री होता तो ऐसा करता और मुख्य मंत्री जी ने मुझे शिक्षा मंत्रालय नहीं दिया यह सब बिल्कुल असत्य है । जो कुछ मैंने कहा था वह यही कि बुन्देलखंड में शिक्षा का प्रसार होना चाहिये, नलकूप का प्रसार होना चाहिये क्योंकि अभी तक इसमें कमी है । सिर्फ उसका सारांश यही था कि जो मैंने बताया । शिक्षा मंत्री जो वहां पर मौजूद थे । उनसे मेरा कोई विरोध नहीं था । पता नहीं यह कैसे अखबार में छाप दिया गया ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस मीटिंग में शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, श्री हरिशंकर शर्मा और ७,८,१० हजार आदमी मौजूद थे, वह वहां के नागरिकों की आम सभा थी....

श्री उपाध्यक्ष—

जब मंत्री जी ने इनकार किया है तो फिर अब उस पर चर्चा का क्या सवाल है ।

श्री रामगोपाल संड---

वहां पर एक हास्यास्पद स्थिति हो गई थी और एक मंत्री दूसरे को इस तरह की बातें कह रहे थे, वहां पर जिलाधीश, एस०एस०पी० और सब अधिकारी यह सुनकर हंस रहे थे जबकि सरकार के विशिष्ट मंत्री खुले मंच पर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगा रहे थे । हम मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि वहां पर श्री स्वामी प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर मैं भी मुख्य मंत्री जी का विश्वास प्राप्त कर सका होता तो उन्होंने मुझे शिक्षा विभाग दिया होता और बुंदेलखंड की शिक्षा की प्रगति भी तब संभव होती । हजारों नागरिकों और अधिकारियों के समक्ष उन्होंने यह शब्द वहां कहे । इससे यह सिद्ध है कि मंत्रिमंडल का कोई सम्मिलित उत्तरदायित्व नहीं है और जिम्मेदारी नहीं है तो सरकार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

हंसी विनोद का भी स्थान जीवन में रहता ही है । माननीय शिक्षा मंत्री जी तो यहां नहीं हैं लेकिन माननीय जेल मंत्री ने अपनी बात जो उन्हें सफाई में कहनी थी वह रख दी और उनका कथन आपके समक्ष आ गया । इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी की बात नहीं है, आपको भी हक है मजाक करने का ।

श्री रामगोपाल संड---

इनका श्रीमन् वहां झगड़ा हुआ और इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं हमें मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा विभाग नहीं दिया वहां पर तुलसी जयन्ती थी वहां पर यह दोनों मंत्री लड़ पड़े और हमारा सिर भी यह सब देखकर झुक गया ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

आपने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात यहां नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव तो होना ही चाहिये लेकिन चूंकि मंत्री जी ने इस बात से इनकार कर दिया है और अब इसको ही हम माने लेते हैं । उन के बयान से कुछ ऐसी झगड़े की बात निकलती तब सामूहिक उत्तरदायित्व का सवाल होता ।

श्री रामगोपाल संड---

शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद आप व्यवस्था दें ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बिना किसी सिफारिश के दिनांक १६ जुलाई, १९७१ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ जुलाई, १९७१ को प्राप्त हो गई है, और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सदन को सूचित करना है कि मेरे पास यह तार आया है कि २ माननीय सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार हुये हैं । मैं इसे पढ़े देता हूं –श्री भगवत दयाल तथा श्री प्रेम नारायण

अहेरवार को दफा १४४ में गिरफ्तार करके दफा १८८ म सेंट्रल जेल तिहार में रखा गया है । यह कोतवाली दिल्ली से आया है कि उनको सेंट्रल जेल तिहार में रखा गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कृपया आप यह भी बता दें कि यह लोग दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह में पकड़े गये हैं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह लोग दिल्ली इंदिरा जी के हाथ मजबूत करने गये हैं ? यदि ऐसा है तो आप बता दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या २७ के सम्बन्ध में नियम ४६ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)–

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मैं आपका ध्यान नियम ४६ की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें यह है कि जो प्रश्न सदन के सामने आ जाय. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको लिखकर भेज दें . . . .

श्री शिवकुमार पांडेय—

तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे ? मैं अपने जिले के ८ सदस्यों की तरफ से बोलना चाहता हूं फिर भी आप मुझे रोकते हैं अगर हम न कहें तो हमारे जिले का यहां कोई नाम भी नहीं लेगा । श्रीमन् बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें ?

श्री शिव कुमार पांडेय—

श्रीमन् उनको तो दूंगा ही लेकिन आप भी यदि १/२ घंटे का समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी ?

श्रीमती कलावती, निवासी रामपुर, जिला ज़ौनपुर की कथित हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

श्रीमती कलावती, पुत्री श्री सोताराम, निवासी ग्राम रामपुर नद्दी, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर का विवाह कुछ वर्ष पूर्व रघुनाथ निवासी, ग्राम रामपुर, थाना सुजानगंज से हुआ था । रघुनाथ ने दिनांक १४–७–७१ को सुबह थाना सुजानगंज में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक १३/१४–७–७१ की रात्रि में आग लगने की आकस्मिक दुर्घटना के फलस्वरूप उसकी पत्नी कलावती की मृत्यु हो गई ।

२—थाने पर यह सूचना रोजनामचे में अंकित की गई । थानाध्यक्ष ने मौके पर जाकर पंचायतनामा तैयार किया । पंचायतनामें के अनुसार कलावती की मृत्यु इत्तफाकिया लालटेन की लौ से आग लग जाने के कारण जलने से हुई । थानाध्यक्ष ने शव मृतक के पति को अंत्येष्टि-क्रिया के लिये दे दिया ।

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

३--मृतक के पिता श्री सीताराम ने इस आशय का एक शिकायती पत्र और तार दिए कि उनकी पुत्री की मृत्यु दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या स्थानीय पुलिस की साजिश से की गई । इस शिकायत की जांच स्थानीय पुलिस उप-अधीक्षक कर रहे हैं । जांच निष्पक्ष रूप से हो सके इस दृष्टि से थानाध्यक्ष श्री महेश सिंह को पुलिस लाइंस में स्थानान्तरित कर दिया गया है । शासन द्वारा इस घटना की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने के लिये आदेश दे दिए गए हैं ।

४--इस घटना के फलस्वरूप किसी प्रकार का आतंक या असंतोष क्षेत्र में व्याप्त होने की बात सही नहीं है ।

ग्राम करमैतेपुर, जिला फैजाबाद, में २६/२७ मई, १९७१ की रात्रि में डकैती और हत्या की घटना के बारे में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

दिनांक २७ मई, १९७१ को सुबह ९ बजकर १० मिनट पर श्री मनीराम उर्फ मन्नी निवासी ग्राम करमैतेपुर, जिला फैजाबाद, ने थाना जहांगीरगंज पर जबानी सूचना दी कि २६/२७ मई, १९७१ की रात्रि में १४-१५ सशस्त्र डाकुओं ने उनके घर में घुसकर लूटमार की । प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्तों ने एक फायर किया और मारपीट की जिससे वादी के भाई लालजीत की मृत्यु हो गई ।

२--इस सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा ३९५/३९६/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और उसी दिन जांच प्रारम्भ की गई । यह सही नहीं है कि थाने पर रिपोर्ट लिखने में कोई हीला हवाला किया गया अथवा उप पुलिस अधीक्षक के कहने पर रिपोर्ट लिखी गई । यह भी सही नहीं है कि जब वादी थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया तो थानाध्यक्ष अभियुक्तों के साथ चाय पी रहे थे । वादी से थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

३--उप पुलिस अधीक्षक ने २७-५-१९७१ को ही घटना-स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मचारियों तथा पी०ए०सी० के एक सेक्शन को साथ लेकर अभियुक्तों की तलाश के प्रयत्न किये । पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्णण किया । छः अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । इनमें से भी तीन ने बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जांच जारी है ।

४--ग्राम करमैतेपुर में सुरक्षा की दृष्टि से वादी के घर पर पी०ए०सी० की एक सेक्शन तैनात की गई थी जो अभी वहां है । ग्राम वासियों में कसी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, आपने केवल वक्तव्य के लिए आज्ञा दी है । जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह तथ्य से परे है और आधारहीन है । वास्तविक घटना को छुपाया गया है । मेरी प्रार्थना है कि आप एक, दो प्रश्न पूछने की हमें आज्ञा दें?

छितौनी बांध के सम्बन्ध में चर्चा के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सदन को मैं सूचित कर देता हूं कि आज इस समय दो घंटे की बहस जो आपने मांगी है नियम ५१ के अन्तर्गत बाढ़ के संबंध में वह कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दी जायेगी ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मुझे सूचना दी गई थी कि वह कल होगी । कल बहस होती तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि एक घंटा आज हो जाय और एक घंटा कल हो जाय । अगर आपके....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की भावनायें इधर से सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज एक घंटा और कल भी एक घंटा और कल उसका जवाब देंगे ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, छितौनी बांध और बाढ़ इसके बारे में पिछली बार भी यह बात कही गई है कि बांध और बाढ़ के संबंध में अलग-अलग मंत्री जी वक्तव्य दें । आज भी बाढ़ और बांध दोनों को एक में मिलाया जा रहा है । यह लिखा भी है कि टैक्निकल बहस जो होनी चाहिये थी छितौनी के संबंध में वह अलग कर दें....

श्री उपाध्यक्ष—

आज आप पूरी बात कहने के अधिकारी हैं । उसका उत्तर भी कल दे देंगे मंत्री जी ।

श्री रामकरन सिंह—

मेरा निवेदन यह है कि छितौनी और मढ़ैया के संबंध में जो वक्तव्य आया है उसको बाढ़ मिनिस्टर दे दें और दूसरे पर रेवेन्यू मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक नहीं होगा । क्योंकि माननीय सदस्य जो बातें उठायेंगे । अगर अपनी बात के समर्थन में यही बात कहेंगे तो उसी का जवाब तो देंगे ।

ग्राम करमैतेपुर, जिला फैजाबाद में २६/२७ मई, १९७१ की रात्रि में डकैती और हत्या की घटना के बारे में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि क्या उप अधीक्षक की रिपोर्ट है कि थानाध्यक्ष अभियुक्तों से मिले हुये हैं ।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

माननीय, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी रिपोर्ट मंगायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो रिपोर्ट मौजूद है उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

इस रिपोर्ट में जो आज सरकार के पास है यह बिल्कुल झूठ है और वास्तविकता से परे है । क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पांच बजे शाम २६ तारीख को रोजनामचा लिखा गया था और २८ तारीख को पुलिस अधीक्षक मौके पर गये हैं तो रोजनामचे पर उन्होंने दस्तखत किये हैं और आज तक किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । क्या यह सब डकैती के मुल्जिमान को बचाने के लिये नहीं किया गया है । और क्या पुलिस अधीक्षक के पास रिपोर्ट है कि यह सब इन्सपेक्टर मुल्जिमान से मिला हुआ है और इसके रहते हुए कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस मामले में जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कुछ शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं पहले वहां के एस०ओ० जांच कर रहे थे । अब उनको हटाकर एस०आई०एस० को जांच दी गई है और दूसरे अधिकारी जो पहले जांच कर रहे थे उनके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने जांच नहीं की थी। वहां की जो रिपोर्ट आई है उसमें ठीक से कहा गया है कि रिपोर्ट लिखी गई ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३८,८०,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०-समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,५०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बहुत से साथी अपने सुझाव देना चाहेंगे । उन सुझावों के बाद में कहूंगा ।

छितौनी बांध पर चर्चा के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न । श्रीमन्, छितौनी बांध पर जो बहस की आपने आज्ञा दी है उस पर सिंचाई मंत्री का या मुख्य मंत्री का वक्तव्य आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखा जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

जैसा कि रामधारी जी ने कहा, जो बांध टूटा है उस पर सिंचाई मंत्री जी का और जो क्षति हुई है उस पर राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, हम लोग वहां देख कर आये हैं, हम लोगों की बात सुन ली जाय, उसके बाद वक्तव्य हो ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मैं आज ही बलिया से आया हूं । बाढ़ और कटान दोनों समस्यायें वहां हैं । मैं आज की बहस के लिये ही आया हूं फिर वापस चला जाऊंगा । तो बाढ़ और कटान दोनों पर वक्तव्य होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप लोगों की बात सुनी जायगी । उसके बाद वक्तव्य होगा ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण (क्रमागत)

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । श्रीमन्, मेरा यह कटमोशन दोनों ही अनुदानों में मान लिया जाय ।

मान्यवर, मुझे खेद है कि आज २४ साल की आजादी के बाद भी हमें अपने समाज के एक अंग को विशेष सुविधायें देने के लिये बजट में अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है । मान्यवर, आजादी के कुछ दिन पहले से और आजादी के बाद खासतौर से शासन का यह बराबर प्रयत्न रहा है कि समाज की वह कड़ी जो कमजोर है उसको विशेष सुविधायें देकर सुदृढ़ किया जाय परन्तु आप देखेंगे कि २४ वर्ष के इस विशेष प्रयत्न के बावजूद भी आज समाज के उस वर्ग की क्या स्थिति है । उसका अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता है जो एक-दो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा ।

मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से आप विचार करें तो आज भी मैं यह समझता हूं कि न केवल माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि समाज म जो निर्धनता है, जो गरीबी है जिसको दूर करने के नारे लगा कर हमारा वर्तमान शासकदल जनता का विश्वास प्राप्त करके विजयी होकर आया है, उस निर्धनता और गरीबी का ज्यादा से ज्यादा बोझ समाज के उसी अंग पर है जिसके लिये आज का अनुदान विशेषरूप से रखा गया है । यह वर्ग दो प्रकार की विषमताओं से पीड़ित है, आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री महीलाल]

सामाजिक विषमता को आप लें । मान्यवर, मुझ यह कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है किन केवल इस समाज क साथ जिसको पूजनीय गांधी जी ने "हरिजन" की संज्ञा दी और जिसके लिये भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद रखा गया, ही भेदभाव नहीं बरता जा रहा है बल्कि समाज में जातीयता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है । मुझे यह कहने में और भी ज्यादा तकलीफ होती है कि जब हमें किसी व्यक्ति के ग ; या अवगुण देखने होते ह तो गुण और अवगुण के नापने का पैमाना भी जातीयता हो जाता है और मान्यवर, मुझ यह कहने में तनिक भी झिझक नहीं है कि आज जातीयता का भेद-भाव हमारे समाज के बड़े से बड़े लोगों के मस्तिष्क को जकड़े हुये हैं । उसी का नतीजा यह है कि हमारा वह समाज जिसको पूज्य गांधी जी ने एक सूत्र में बांधा था आज जातीयता के नाम पर पिछड़ा हुआ है । यह नहीं देखा जाता कि माननीय चौधरी चरण सिंह की सरकार में क्या गुण और अवगुण हैं, बल्कि जब कभी कुछ कहना हुआ तो यह कह दिया जाता है कि जातीयता बहुत है । माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी की सरकार में भी गुण और अवगुण को न देख कर यह बात निर्भीक रूप से कह डालते हैं कि जातीयता का बोलबाला है । मान्यवर, किसी भी शासन की अच्छाई और बुराई का पैमाना आज हमारे समाज में जातीयता हो गया है । तो अगर मैं यह शिकायत करूं कि सामाजिक स्थिति में जितना सुधार आना चाहिये था उतना सुधार नहीं आया, उचित ही होगा । सामाजिक स्थिति और बिगड़ती ही है । उन लोगों ने जो जातीयता में यकीन रखते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं समाज को कमजोर किया है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । अभी हाल ही की बात है मैं बदायूं गया था । वहां पर एक अतिरिक्त न्यायाधीश हैं जो ट्रांसफर पर आये थे । परिगणित जाति के एक मुंसिफ उनसे मुलाकात करने गये । उन्होंने बैठने के लिये नहीं कहा बल्कि पूछा तुम्हारा नाम क्या है । मुंसिफ ने अपना नाम बताया रमेश चन्द्र । जज साहब ने पूछा, अच्छा क्या तुम ब्राह्मण हो" मुंसिफ साहब ने जवाब दिया, नहीं महाराज" । तब जज साहब ने कहा, "क्या तुम राजपूत हो" ? मुंसिफ साहब ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो शेडयूल्ड कास्ट का हूं । तब जज साहब ने कहा, "अच्छा, जाओ" जाओ । तो उन्होंने बैठने के लिये ही नहीं कहा बल्कि कमरे से भी निकाल दिया । बदायूं के अतिरिक्त न्यायाधीश की यह स्थिति है । दूसरी बात यह है कि उन्हीं के कार्यालय के मुन्सरिम या पेशकार न्यायधीश के पास गये ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

बदायूं के अतिरिक्त जज किस जाति से संबंध रखते हैं ?

श्री महीलाल---

इसे बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि वे किस जाति के हैं । मुन्सरिम साहब मुलाकात के लिये गये । बैठने के लिये नहीं कहा कि बल्कि नाम पूछा । उन्होंने जवाब दिया, "मोहम्मद अली खां" । उन्होंन कहा, तुम मुसलमान हो, तो जाओ, जाओ" । मान्यवर, यह हमारे समाज के न्यायाधीश की स्थिति है । मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे सचिवालय के ही एक उच्च अधिकारी से सम्बन्धित बात है । जिस समय वहां गवनर शासन या राष्ट्रपति शासन था, एक व्यक्ति का मर्सी पिटीशन आया जिस पर उक्त उच्च अधिकारी ने यह नोट दिया कि चूंकि यह व्यक्ति यादव जाति का है इसलिये इसका मर्सी पिटोशन मंजूर नहीं होना चाहिये । यह राष्ट्रपति शासन का उदाहरण है, एक उच्च अधिकारी का । अब आप अन्दाज लगा लीजियेगा कि राष्ट्रपति शासन में कैबिनेट स्तर का कौन अधिकारी काम करता था ।

एक अनुसूचित जाति के उप सचिव थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि शायद पंचायत राज के किसी विषय पर विचार विमर्श हो रहा था तो उन उच्च अधिकारी के ऊपर भी कुछ शासन के उच्च अधिकारी ह, उन्होंने कहा कि तुम अनुसूचित जाति के लोगों का संस्कार ऐसा नहीं है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को चला सको और उस पर राय दे सको। वह अधिकारी भी उप सचिव ग्रेड का अधिकारी था लेकिन बेचारा अपनी नौकरी के भय से कि कहीं चरित्र पंजिका में ऐसा कुछ नोट न आ जाय जिसकी वजह से उसकी उन्नति में बाधक हो, उसे सहन कर लिया और बड़ी दबी जबान से बदायूं और सचिवालय की घटना मुझे बतलायी। हम तो अशिक्षित लोगों को रोते हैं कि उनमें कोई शिक्षा नहीं है लेकिन ये तो समाज के उच्च कोटि के लोग हैं जिनका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि ये उच्च से उच्च श्रेणी के शिक्षित कहे जाने वाले लोग हैं जो समाज की जिम्मेदारी को सम्भाले हुये हैं। मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह विभाग जिसका सम्बन्ध समाज की कड़ी को मजबूत करने से है, उसके कमजोर रहने से पूरा समाज कमजोर रहेगा और २४ वर्ष तक उसकी सामाजिक स्थिति में भी कोई अन्तर नहीं आया। इसकी जिम्मेदारी मैं केवल शासक दल के लोगों पर ही नहीं डालता, इधर के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने शासक दल के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन शासक दल के लोगों की जो जिम्मेदारी है वह दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा आ जाती है, इसलिये कि उन्होंने जनता को विश्वास दिया है, जनता से वादा किया है कि हम गरीबी दूर करने के लिये आपका वोट चाहते हैं।

एक दूसरा उदाहरण मैं आर्थिक स्थिति का देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं तो पश्चिमी जिले का रहने वाला हू जहां की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत पूर्वी जिलों के अच्छी है। मैंने सुना है कि हमारी तरफ तो दो वक्त में एक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को खाना मिलता है लेकिन पूर्वी जिलों के भूमिहीन खेतीहर मजदूर निर्धनता के वश होकर गोबर तक से अनाज निकाल कर खाया करते ह। मेरे मित्र श्री राम किंकर जी कह रहे हैं कि यह बात सही है। यह स्थिति है गरीबी की। मैंने दो दृष्टि—समाजिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि के, दोनों प्रकार के उदाहरण आपके सामने रखे हैं कि २४ साल की कोशिशों के बाद भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इस वर्ग की क्या स्थिति है।

मान्यवर, जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, मुझे सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस विभाग को ज्यादा दिन नहीं चलाना चाहिय, इस विभाग की जरूरत ज्यादा दिन नहीं पड़नी चाहिये। इस मौके पर एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं जो मेरे ऊपर प्रतिक्रिया है, जो मैं अनुभव करता हूं। आजादी के पहले पूज्य महात्मा गांधी ने हरिजनों के प्रति एक सद्भावना पैदा की थी और समाज के लोगों का उनके प्रति एक सहानुभूति का दृष्टिकोण था लेकिन आज यह दृष्टिकोण हरिजनों के प्रति नहीं है, उसमें बहुत कमी आ गयी है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर ने भी इस वर्ग के अन्दर जो स्वावलम्बन की भावना को जाग्रत किया है वह भी दिन व दिन कमजोर होती जा रही है। स्वावलम्बन की भावना का ह्रास होता जा रहा है और शायद स्वर्गीय डा० अम्बेदकर ने इसीलिये सोचा था कि लोक सभा और विधान सभाओं में संरक्षण समाप्त हो जाना चाहिये। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है जैसा कि स्वर्गीय डा० अम्बेदकर का था कि इसके रहने से अनुसूचित जति के लोग टिकट न मिलने के भय से, रुपया मिले या न मिले इसके भय से, जीत गये तो मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं इसके भय से सही बात नहीं कह सकते हैं, वह अकेले में अनुभव भले ही करते हैं लेकिन असेम्बली और लोक सभा के स्तर पर, अपने इख्तियार इस भय से कहीं सच्ची बात कह दी तो मिनिस्ट्री से नाम कट जायगा, इसलिये सच्ची बात नहीं कह पाते शायद इसी कारण डा० अम्बेदकर न कहा था कि यह रिजर्वेशन लोक सभा, विधान सभाओं और दूसरी राजनतिक संस्थाओं का जो है उसे समाप्त किया जाय।

[श्री मङ्गीलाल]

मान्यर, अब में भी ऐसा ही अनुभव करता हूं। स्वर्गीय डा० अम्बेदकर ने अनुभव किया था कि हमारे नेताओं में आत्मविश्वास नहीं रहा, स्वावलम्बन की भावना नहीं रही, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग की स्थिति बड़ी दयनीय है। मान्यवर, इसका कारण यह है कि इस विभाग का जो डायरेक्टर बनाया जाता है वह सर्विस के रिजेक्टेड आदमी को बनाया जाता है। चा ह उसका मस्तिष्क कमजोर हो या दूसरे काम कर न पाता हो या जिसको सजा दी जाती है, वह डायरेक्टर बनाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे सौभाग्य से वह सदन में विराजमान है, वही डायरेक्टर बनाया जाता है जो कुछ कमजोरी महसूस करता है कि इसलिये बनाया गया है कि मुझे दंड दिया गया है। जब कुर्सी पर पहुंचता है, हेड आफ डिपार्टमेन्ट बनता है, तब भी वह भावना उस में नहीं आती है जो कि दूसरे हेड आफ डिपार्टमेन्ट में होती है। उसके वह अधिकार भी नहीं हैं जो कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर या दूसरे हेड आफ डिपार्टमेन्ट्स के हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे चोट लगी कि मैं डायरेक्टर हरिजन वेलफेअर बनाया गया और हेड आफ डिपार्टमेन्ट के अधिकार भी नहीं मिले।

दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के जो हेड आफ डिपार्टमेन्ट होते हैं वह भी आई०ए०एस० होते हैं और यह भी है, तो ऐसा क्यों है। इसका नतीजा यह है कि मैंने विभाग से साहित्य प्राप्त करने के लिये माननीय मंत्रीजी को टेलीफोन किया। मंत्री जी न घर पर मिले, न कार्यालय में। उप मंत्री को मिलाया तो मालूम हुआ कि उप सचिव से टेलीफोन कर लें। मैंने उनको टेलीफोन किया कि आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट दे दीजिये और राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली कमेटी की भी रिपोर्ट दे दीजिये। मुझे कोई सुबह मिला था लेकिन बाद में नहीं मिला। डायरेक्टर के यहां पूछा तो वह परसों छट्टी पर थे। उप सचिव भी कार्यालय में नहीं थे। इस संबंध में मुझे न आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट मिली और न राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली कमेटी की मिली।

मान्यवर, न मुझे शिड्यूल कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ही मिली जिसमें हर वर्ष हर प्रदेश के बारे में टीका टिप्पणी रहती है। इन कमेटियों पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ लेकिन उनकी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। राधाकृष्णन कमेटी बैठी थी और उसने कुछ सझाव दिये थे। वह रिपोर्ट आज तक इस सदन में विचार के लिये नहीं आयी। आचार्य जुगल किशोर, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय में वी०सी० है, की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी यह देखने के लिये शासन के विभागों में शिड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरा हुआ या नहीं। वह रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। मुमकिन है कि कहीं पड़ी हो या दीमक खा गयी हो। सरकार ने उस पर विचार ही नहीं किया। जब माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हों तो मैं चाहूंगा कि मुझे ही नहीं बल्कि सारे सदन को बतायें कि किस-किस विभाग में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये जो संरक्षण की व्यवस्था है उसकी पूर्ति हो गयी है और अगर नहीं हुई है तो उसके क्या कारण है ?

मान्यवर, अब मैं अगली बात माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। जब तक माननीय पंत जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, इस प्रदेश का हरिजन वर्ग यह अनुभव करता था कि कोई संरक्षक उसके सिर पर बैठा है। प्रति वर्ष माननीय पंत जी बजट बढ़ाते जाते थे और साथ ही सदन में यह भी घोषणा करते थे कि कोई भी ऐसा कार्य जो हरिजनों के हित के लिये होगा पैसे की कमी की वजह से नहीं रोका जायेगा। उनके शब्द मुझे आज भी याद है कि पैसे की कमी की वजह से हरिजनोद्धार की कोई भी योजना रोकी नहीं जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आपके द्वारा करबद्ध निवेदन है कि वे विधान सभा की पिछली प्रोसीडिंग्स निकलवाकर देखें कि प्रति वर्ष पूज्य पंतजी का यह आश्वासन रहता था। पिछड़े वर्ग की ३७ जातियां हिन्दुओं में से और २१ मुसलमानों में से आती हैं। हमारे अन्सारी भाई ने न २१ में

शामिल हैं और ये वे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के मुकाबले पर सीना तान कर हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ दिया था और मुस्लिम लीग का मुकाबला किया था। इन अन्सारी भाइयों की आजीविका का साधन कपड़ा बुनना है। थोड़े से लोग अन्सारियों में भले ही दूसरे काम में लग गये हों लेकिन ज्यादातर कपड़ा बुनने का ही काम करते हैं। बाजार में इन बुनकरों के कपड़े के मुकाबले में मिल का कपड़ा सस्ता मिलता है इसलिये इन लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी है।

इस बजट में आप देखें, जिसमें अन्सारियों का बजट भी शामिल है, १९ लाख ५० हजार रुपया रखा गया है। १९६९-७० में यह बजट २० लाख से कुछ ही कम था। लेकिन इस वर्ष उसमें ५० हजार की कमी कर दी गयी है। इस वर्ष इसको कुछ बढ़ाना चाहिये था। वह नहीं किया। मान्यवर, और विषमता देखें। दो विभागों का समाजकल्याण और हरिजन कल्याण एक ही डायरेक्टर है। हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों का जो ग्रेड है वह समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के ग्रेट से कम हैं। डायरेक्टर भी एक है, विभाग के मंत्री भी एक हैं, लेकिन दोनों विभागों के कर्मचारियों के वेतनों में अन्तर है, वे अलग-अलग हैं। और दूसरे विभागों की अपेक्षा तो बहुत ही कम है। अब आप ही सोचिये उपाध्यक्ष महोदय, कि हरिजन विभाग को प्रतिष्ठा कैसे मिले ? और कैसे उस विभाग को कोई महत्व दे। इसी कारण इस विभाग की दुर्दशा हो रही है।

पूज्य पंत जी ने इस विभाग को शिक्षा के साथ जोड़ा था। लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको वन विभाग के साथ जोड़ दिया है। मेरा निवेदन है कि इस विभाग को शिक्षा विभाग के साथ रहना चाहिये। अर्थात् शिक्षा और हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का मंत्री एक ही होना चाहिये। या अलग किसी ऐसे मंत्री के पास रहना चाहिये जिसके बारे में लोगों की यह राय हो कि वह जो कुछ कहेगा उसको शासन मानेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर चाहते हैं कि इन वर्गों का उत्थान हो तो कृपा करके वे स्वयं इस विभाग को ले लें, उनके पास जो और बहुत से विभाग हैं उनसे किसी को भी दूसरे को दे दें। जब यह विभाग उनके पास रहेगा, तभी इसकी कुछ तरक्की हो पायेगी। मेरे इस कथन से माननीय राजा साहब यह न समझें मैं ऐसा समझता हूं कि वे कार्य करने में असमर्थ है या कमजोर हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री के पास रहेगा तो नीचे के लोग कुछ डरेंगे, उनको भय रहेगा कि कहीं उनकी शिकायत उन तक न पहुंच जाय।

जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, एक सुझाव में तुच्छ सा देना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि अधिकारियों की चरित्र पंजिका में एक आइटम यह और बढ़ा दीजिये कि उसका व्यवहार हरिजनों के साथ कैसा रहा है। जब आप ऐसा कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह हरिजनों के साथ खराब व्यवहार करें। लगातार सरकार के आदेश तो निकलते हैं मगर उन पर आपके अधिकारी ध्यान नहीं देते। आपने रेजर्वेशन १८ प्रतिशत किया, जब हमने कहा कि वह पूरा नहीं हो रहा है, आपने २५ प्रतिशत कर दिया, २५ प्रतिशत में १० प्रतिशत ही पूरा हो पाया, जब फिर हमने सवाल किया तो ४५ प्रतिशत कर दिया गया। आप उसे बढ़ाते तो जा रहे हैं मगर यह नहीं देखते कि वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपके विधान मंडल सचिवालय में ही उनका प्रतिशत पूरा नहीं है—यानी चिराग तले अंधेरा देखने को मिल रहा है। आज स्थिति ठीक उसी तरह है कि अस्पताल में किसी रोगी ने शिकायत की कि उसको पेट भर ४ रोटी भी नहीं मिल रही है तो उसके लिये आदेश दे दिया गया किसको ६ रोटी दी जाय

मान्यवर, यह स्थिति है, आप व्यवस्था करें कि जो अधिकारी शासन के आदेशों के अनुसार वर्तमान नियमों का पालन न करें शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रापर रेप्रेजेन्टेशन न दें, उनके लिये अवश्य कोई दण्ड की व्यवस्था करें। आज तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज

[श्री महीलाल]

तक इस बिना पर कोई अधिकारी दंडित नहीं किया गया है कि उसने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रापर रेप्रेजेन्टेशन नहीं दिया ।

इनकी आर्थिक उन्नति करने के लिये, स्थिति संभालने के लिये यह बात शासक दल के सभी लोग स्वीकार करेंगे कि अनुसूचित जाति के ज्यादातर लोग खेतों पर काम करते हैं, लेकिन उस खेत के वे मालिक नहीं हैं । कमाते वे हैं, मेहनत वे करते हैं, लेकिन उसका मालिक कोई दूसरा होता है । इसीलिये तो उनको गोबर का अनाज निकाल कर खाना पड़ता है । हमारे पश्चिमी जिलों में यद्यपि नहीं खाते हैं ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

पूरब में भी नहीं खाया जाता ।

श्री महीलाल—

ठीक हो सकता है, न खाते हों यह अच्छी बात है । लेकिन हमने सुना अवश्य है । देवरिया के नेता गेंदा सिंह जी अक्सर यह कहा करते थे । राजा साहब की नजरें शायद वहां नहीं जाती है, क्योंकि वह राजा हैं । शायद इंग्लैंड का या किसी अन्य देश का यह किस्सा है कि जब उस देश के लोग भूखों मरते थे, तो उन्होंने अपने राजा से जाकर अनाज मांगा । किन्तु राजा ने अनाज देने के बजाय यह कहा कि जाओ गरम रोटियां खाओ । तो आप उस किस्म के लोगों में हैं ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आप (महीलाल) का कहना ठीक है, हमारे यहां यही स्थिति है ।

श्री महीलाल—

हमारी सरकार ने उनके आवास के लिये कुछ रुपया रखा है, किसी जिले में एक आदमी को मिल जाता है तो किसी में दो को, तो इस तरह से उनका उत्थान नहीं हो सकता है । आखिर आपका कोई लक्ष्य है ? आप इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे । आप अपने यहां व्यवस्था कर दें, पैसा इस बजट में ऊंट पटांग आइटम्स से काट कर, कि उनकी आबादी के लिये सरकार जमीन एक्वायर करके देगी और जरुरत पड़े तो उसकी कीमत इस डिपार्टमेन्ट के बजट से अदा करे ।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई नोट उनको लिखा था कि कोई अधिकारी यदि हरिजनों का रेप्रेजेन्टेशन पूरा न करे तो उसे दंडित किया जाय ।

श्री महीलाल—

मनफूल सिंह जी का नजरिया चौधरी साहब और त्रिपाठी जी को अलग-अलग करके देखने का मालूम पड़ता है । मान्यवर, मैंने यह कह दिया क्या कि इधर वाले कर सके उधर वाले नहीं कर सके ? आप अनेक बार चौधरी साहब के मुख से सुन चुके होंगे कि हमने यदि गलती की है तो क्या उसका मतलब यह है कि आप भी वही गलती करते रहेंगे । (व्यवधान) यह भी हमारी पार्टी में थे । जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की बात है, उधर गये हैं । बात वही है नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाने लगता है । उधर जाकर बैठ गये हैं तो बात कुछ करेंगे ही । जहां तक चौधरी साहब के शासन का सम्बन्ध है, हम उनसे ज्यादा शिकायत इसलिये नहीं है कि कभी बहुमत जनसंघ दल का रहा है और कभी आपके कांग्रेस दल का, उनका अपना कभी बहुमत सदन में

कहा ही नहीं वह चाहते थे कि भूमि भवन कर न माफ होना चाहिये, आज भी हमारी पार्टी यही कहती है, लेकिन मजबूरी में चौधरी साहब को माफ करना पड़ा। लेकिन मजबूरी थी। माफ किया। कहते थे कि सवा छः एकड़ तक लगान नहीं माफ होना चाहिये। लेकिन माफ किया। जो स्कूल जातीयता के नाम पर चल रहें हैं उनके साथ जाति का शब्द न रहे इसके लिये चौधरी साहब का सुझाव आया। तो बमुश्किल तमाम पास करवा पाये दस साल के बाद।

तो मकानों में जो आप रुपया देते हैं हर जिले में दो एक मकानों का दे दिया उससे सैकड़ों सालों में भी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। बजट में कटौती की जाय, बहुत से आइटम हैं, उपाध्यक्ष जी मौका दे दें तो मैं बताऊंगा कि यह पैसा बेकार जाता है। पहले मकानों की समस्या हल करने के लिये उनको मटीरियल न दीजिये, लेबर के लिये पैसा न दीजिये, जमीन एक्वायर करके दे दीजिये। हरिजन वर्ग के लोग सशक्त हैं उनका शरीर इतना बलवान है कि आपका माकान भी बनाते हैं, अपना मकान स्वयं बना लेंगे। (व्यवधान) गंगा प्रसाद जी, आपको मौका मिलेगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर वह जानकारी देना चाहेंगे, बैठ जांय, तब आप जानकारी लें।

श्री बांकेलाल---

हरिजन विभाग का जो पैसा है उस तरफ बैठने वाले हरिजन मेम्बर रामसूरत फर्जी दस्तखत करवा करके रुपया ले लिये, यह भी कुछ खाये होंगे, गंगा प्रसाद।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं बांके लाल से नहीं। मैं अपने भाई से एक जानकारी चाहता हूं, अगर वह दे सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

वह बैठे नहीं हैं।

श्री महीलाल---

हम एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। सब जानते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि गांव समाज की जो जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, या जो खाली बंजर पड़े हैं, उन बंजरों को सिंचाई विभाग के बुलडोजर और बड़ी-बड़ी मशीने हैं उनसे उनको बंजरों को तुड़वा कर जरखेज बनवाये। मशीनें बेकार पड़ी हैं। लोकलेखा समिति में इसकी बड़ी चर्चा है। उस मशीनरी से काम लीजिये। बंजर जमीन को तोड़ कर उन लोगों को आबाद कीजिये। उन लोगों की मदद कीजिये। इस तरह से भीख बांटने से, किसी को पांच सौ रुपया दे दिया, किसी को ढ़ाई सौ रुपया दे दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने समाज को भिखारियों का समाज बनाना चाहते हैं। अनुदान देंगे, अनुदान पर समाज के लोगों को जिन्दा रखने की चेष्टा करेंगे, यह उस समाज के लिये हितकर नहीं है। आप ऐसी योजना बनायें जिससे वे स्थायी रूप से सम्पन्न हो जायं। राजा साहब जानते हों न हों तो बेगम साहिबा जानती होंगीं। जो अनुदान हरिजन या बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलता है उसका आधे से ज्यादा रिश्वत में खर्च हो जाता है। कुछ नान-आफिशल लोग, नेता हैं, वह मदद करते हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी। जो आधा बचता है, उस आधे का ज्यादा पैसा मजदूरी की शक्ल में खत्म हो जाता है। तीन या चार रुपये रोज

[श्री मही लाल]

मजदूरी का नुकसान होता है। २५ रोज लग गये तो ७५ रुपये का नुकसान हो गया। यह पुराने किस्म का बजट चला आ रहा है।

मैं आशा करता था कि बजट में क्रान्तिकारी तब्दीलियां दिखायी देंगी। मुझे इसमें कोई तबदीली दिखाई नहीं दी। आप देखें कि भारत सरकार ने जन जातियों के कल्याण के लिये कुछ धनराशि दी है। उसमें ५० हजार रुपये में दो जोतें खरीदी जायंगी। सिनेमा दिखाने के लिये पब्लिसिटी वेन खरीदा जायगा। आप देखें कि कितनी गाड़ियां इस विभाग के पास पहले से ही हैं और कितना काम वह कर रही हैं ? क्या करूं श्रीमन्, मजबूर होकर जो दिल में लगी हुई बात है उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जीपों के अलावा आपको इसमें पंखों, स्टील की कुर्सियों, मेजों का जिक्र मिलेगा। आश्रम टाइप के तो स्कूल खुलेंगे और बच्चों के लिये लोहे की कुर्सी तथा मेज खरीदने की बात कर रहे हैं। उनकी आप कैसी जिन्दगी बनाने जा रहे हैं ? उनको नीचे बैठ कर खिलाइये लेकिन उनको पुष्ट भोजन दीजिये, पूरा भोजन दीजिये जो उनको नहीं मिलता है। मैं राज्य मंत्री से कहूंगा कि उनको हरिजनों से बड़ा प्रेम है लेकिन उन्होंने यह देखा होगा कि समाज कल्याण जो विभाग में अलग से अंग है उसमें भी शेडयूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन पूरा नहीं है। इसे जरा वह देखें।

मैं इन्डस्ट्री का बजट लेता हूं। इसमें क्या कैफियत है ? हर जिले में किसी में दो को और किसी में तीन को रुपया दे दिया। इस रुपये को खर्च कीजिये उन बच्चों पर जो बच्चे हाई स्कूल के बाद टेक्निकल एजूकेशन में जाते है, वहां से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री लेकर निकलते हैं उनके पुनर्वासन में यह रुपया लगाइये, उनको मशीन खरीद कर दीजिय। लेकिन होता यह है कि आधा रुपया भी लोगों को नहीं मिलता है। आप जरूर चाहते होंगे कि कमजोर तथा पिछड़े लोग ऊपर उठें लेकिन इस बजट में तब्दीली करके कुछ क्रान्तिकारी कदम उठा कर कुछ करने की कोशिश भी कीजिये। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं आज देखता हूं कि जो लोग पहले गांधी जी के वसूल के मुताबिक हरिजनों को अपना अंग मानते थे आज वह नसीहत कहां रह गयी ? जब वोट लेने का वक्त आता है तो हरिजन बस्ती में जाकर मेहतरों की बस्ती में जा करके चाहे प्यास हो या न हो पानी जरूर पीने के लिये मांगेंगे ताकि वोट पक्का हो जाय। भारत सरकार ने मलकानी साहब की अध्यक्षता में खास तौर से स्वीपर्स की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी की सिफारिशों को जरा आप देखें केवल वोट के वक्त मेहतर बस्ती में जाकर पानी पी लेने से उनका उद्धार नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमने देखा कि आज जो छात्रवृत्तियां हरिजन बच्चों को दी जाती हैं वह बहुत ही कम हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जाती है और जो मांगे उनकी होती हैं वे इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिये पूरी कर दी जाती हैं किन्तु इन हरिजन विद्यार्थियों और पिछड़े हुये वर्ग के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह इस प्रकार है--

	रुपया
कक्षा १ से कक्षा ३ तक	१
कक्षा ४ से कक्षा ५ तक	२
कक्षा ६ में	६
कक्षा ७ और ८ में	८
कक्षा ९ और १० में	१२
कक्षा ११ और १२ में	२७

साइंस के विद्यार्थियों के लिये ३५ रुपया और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों के लिये ७५ रुपया मासिक।

मान्यवर, जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे उस समय मैंने उनसे कहा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ायेंगे किन्तु अभी तक वह छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई गई। इसी सिलसिले में एक बात यह भी कहता चलूं कि आज जिस तरह का वातावरण सारे समाज में फैला हुआ है और हर आदमी के दिमाग पर छाया हुआ है चाहे वह कितना ही नौजवान और काबिल ही क्यों न हो, बिना सिफारिश के कहीं लिया जाने वाला नहीं है। इसलिये मेडिकल कालेजों के बारे में भी लोगों की राय यही बन गई है कि सिफारिश वहां भी चलती है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया इन हरिजन विद्यार्थियों का मेडिकल कालेजों में रिजर्वेशन बढ़ाइये। यह बात नहीं है कि आज हरिजन विद्यार्थियों की संख्या कम है। आपको यह कोशिश ही नहीं करनी चाहिये कि खाली सरकारी नौकरियों में ही उनके लिये रिजर्वेशन हो, अन्यत्र भी अनेकों अर्द्धशासकीय संस्थायें हैं जिनको कि आप करोड़ों रुपया ऋण और अनुदान के रूप में देते हैं उनमें आप इन पिछड़े और हरिजन विद्यार्थियों के लिये रिजर्वेशन करा दें। यदि आप ऐसा करा देंगे तभी गांधी जी के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

देहरादून में एक मास्टर रामस्वरूप है उन्होंने बताया कि उन्होंने ८० हजार रुपया भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये चन्दा किया किन्तु वह ८० हजार रुपया कर्मचारियों में एडवान्स कर दिया गया और इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एक भी पैसा नहीं दिया गया जो कि चन्दे का रुपया था। आज तक सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की। सन्त विनोबा भावे के मिशन में हजारों एकड़ जमीन प्राप्त हुई थी किन्तु उस जमीन का आज तक बटवारा सरकार ने नहीं किया है। देहरादून से हमें शिकायत मिली है कि वहां के बड़े-बड़े लोगों ने दान में मिली हुई जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अतः आप कोशिश कीजिये उन पर शर्त लगाइये जिनको कि आप कर्जा देते हैं, जिनको आप ऋण देते हैं, जिनको कि आप अनुदान देते हैं उन पर यह शर्त होनी चाहिये कि जो यह हमारा कमजोर वर्ग है

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

जिनको हरिजन और पिछड़ी जाति कहते हैं, उनको आप सर्विसेज में रिप्रिजेन्टेशन दें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी इस बात की कोशिश की है? विभाग आपके पास है, क्या आपने देखा है कि शासन के बजट से कितनी ऐसी संस्थायें हैं जो पोषित होती हैं? मैं समझता हूं उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है....

श्री अध्यक्ष--

आपको ४० मिनट हो गये और लोग भी बोलेंगे।

श्री महीलाल--

नहीं मान्यवर, वे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं, उकता नहीं रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बोर्डों में जो नौमिनेशन होता है उनके सम्बन्ध में यदि आप उस लिस्ट को उठा कर देखें तो पता चलेगा कि कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपने उसमें नौमिनेट किया है। मान्यवर, उनका नौमिनेशन नहीं होता और उसका नतीजा यह होता है कि जो पैसा इन हरिजनों के नाम पर, गरीबों के नाम पर और खादी ग्रामोद्योगों के नाम पर मांगा जाता है उससे किस तरह से ऐश किया जाता है और वह शब्द भी मेरे पास नहीं किन्तु यह कहता हूं कि कितना आनन्द उस पैसे के आधार पर लिया जाता है।

[श्री मही लाल]

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षायें होती हैं तो लिखित परीक्षा में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग क्वालिफाई करते हैं तो जनरल लिस्ट में उनका ४–५–६ वां नम्बर आता है तब भी जब इंटरव्यू होता है तो फिर निल। रिजर्व सीट पर भी नहीं चुने जाते, यह लोक सेवा आयोग का हाल है। जुडीशियरी में यह हालत है कि जुडीशयल मैजिस्ट्रेट की, मुन्सिफ की ४ रिजर्व सीट हुई और दो स्थान खाली रह गये तो खाली ही रह जाते हैं। आप कोशिश कीजिये कि वह उन्हें खाली रखे रहें ३–४ साल तक जब तक वह पूरे न हो जायं। पन्त जी के जमाने में शायद ऐसी कोई व्यवस्था थी, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो जुडीशियरी में हमारे बहुत से नौजवान लड़के जो एल० एल० बी० हैं, एल० एल० एम० हैं, उनको कहीं सर्विस में स्थान नहीं मिलता। दूसरी बात आप से निवेदन करता हूं, शिक्षा के साथ जोड़ने की बात कही। पिछले साल एक लड़का शायद आजमगढ़ का था, जो ऐग्रीकल्चर में एम० ए० में ऐडमीशन चाहता था। वह सहारनपुर तक भाग कर गया, गवर्नर साहब तक गया, मैं भी गवर्नर साहब के पास गया। गवर्नर साहब ने कहा कि हम हैल्पलेस हैं। लड़के को ऐडमीशन नहीं मिला। दाखिला। और तो क्या करायेंगे? मैं आशा करता हूं कि आप अपने विभाग में ऐसी ब्रांच खोलेंगे जहां हमारे लड़के हमारे क्या आपके ही, मैं ज्यादती कर जाऊंगा अगर अपने कहूं—जो छोटे-छोटे गरीब घरों से आये हैं, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पोलिटिकल प्रेशर नहीं है, उनको ऐडमीशन तो मिल सके आपके बिभाग द्वारा।

एक बात और कहता चलूं कि कैफियत यह है इस विभाग की कि अभी तक ट्रेन्ड टीचर्स तो बेकार पड़े हैं, लेकिन अनट्रेन्ड काम कर रहे हैं। ट्रेन्ड को मौका नहीं मिलता। स्थायी स्थान ६४ हैं और अस्थायी २४—ये तो राजपत्रित हैं। और अराजपत्रित कर्मचारियों में कुल हैं १,२०८, उनमें से ७०० बेचारे अस्थायी हैं। जहां तक छात्रावासों का संबंध है बहुधा चोरी होती है अनुदान में। कौंसिल में आपने उत्तर दिया जालौन के छात्रावास के लिये, तो छात्रावास चल रहा है, लेकिन जांच के बाद मालूम हुआ कि न छात्रावास है, न छात्र हैं, न मकान हैं, कागज पर छात्रावास चल रहा है। मुरादाबाद में दो छात्रावासों का रुपया बराबर एक हमारे नेता खाते रहें। शिकायत हुई, जांच हुई, साबित हुआ कि वे रुपया खा रहे थे। सरकार में रिपोर्ट पड़ी है, कोई ऐक्शन नहीं है। सनातन धर्म स्कूल मुरादाबाद में खुला, उन्होंने ६० हजार रुपया तक लिया, हरिजन कल्याण विभाग के नाम पर उन बच्चों के लिये जो संसार में पैदा ही नहीं हुये। हरिजन तो हरिजन, सवर्णों में भी पैदा नहीं हुए थे। मान्यता मिल गयी, अनुदान जारी है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से आपके रुपये का दुरुपयोग होता है। दोबारा मुझे आदेश न दें, इसलिये मैं स्वयं अपनेस्थान पर बैठ जाता हूं और आशा करता हूं कि जो आपत्तियां मैंने उठायी हैं और सुझाव दिये हैं उनका संतोषजनक उत्तर मंत्री जी देने का मुझे प्रयत्न करेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो अनुदान मंत्री जी ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय महीलाल जी ने रखा है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे भाई महीलाल जी ने रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन वे भी गवर्नमेंट रह चुके हैं भूतपूर्व, वे हमारे हरिजन सदस्य अथवा वर्तमान के जो भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं और हैं, उन्होंने अपने समाज के कल्याण के लिये कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जब भाई महीलाल जी गन्ना और पंचायत राज विभाग के डिप्टी मिनिस्टर थे उन्होंने भी मुख्य मंत्री चौ० चरण सिंह जी से हरिजनों के लिये कुछ नहीं कहा। और कहा होता तो वे अवश्य उनकी बात माने होते। लेकिन उन्होंने उस समय अपने समाज के लिये कुछ नहीं किया। यह बड़ी लज्जा की बात है। तुलसीदास जी ने ठीक

ही कहा है—"प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं" जिसको भी प्रभुता मिल जाती है वह अपने घर को भूल जाता है।

श्री महीलाल—

मैंने कोई गलत बात कही है ?

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

जो यह समाज है पूज्य गांधी जी की वजह से चेतना आयी है। इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस समय चले गये है लेकिन उनको मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि वर्तमान समाज में आज भी हरिजनों से बिना पैसा दिये बेगार ली जा रही है।

श्री बांकेलाल—

राजा और रानी तो आपने मिनिस्टर बना रखे हैं वे भला आपकी बात कैसे सुनेंगे ?

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं भाई बांकेलाल जी को बताना चाहता हूं कि हाउस में इस समय राजमंत्री बैठी हुई है। मैं तो सदन के सामने कह रहा हूं, फिर आप क्यों परेशान होते हैं। जब आप लेजपाल थे तब आपने हरिजनों का गला काटा था।

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

यह एक महत्वपूर्ण विषय है। परम्परा यह रही है कि बजट की बहस के समय कम से कम एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को सदन में होना चाहिये।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

यह जो बोल रहे हैं। इसको हमारे समय में न काटा जाय।

श्री बांकेलाल—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से सदन को यह बताना चाहती हूं कि चूंकि यह एक बहुत ही अहम मसला है सबसे ज्यादा जरूरी विभाग हरिजन कल्याण और समाज कल्याण का है। इसलिये मैं अपने प्रदेश के कल्याण के लिये मेम्बर साहबान को बताना चाहती हूं कि वे इस मसले में बहुत शांति से सुझाव दें ताकि हम लोग उन बातों को जानकर उन पर अमल कर सकें और आपकी सेवा कर सकें।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुये २४ वर्ष हो गये हैं। इन वर्षों में बहुत सी समस्यायें हल हो गई हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में शरणार्थी आये जिनकी समस्या हल हो गई है। लेकिन हरिजनों की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। गांधी जी की बदौलत हमारे हरिजन बालक शिक्षा पा रहे हैं। उन्होंने

[श्री गंगा प्रसाद गोंडा]

कहा था कि छुआछूत के संबंध में अच्छा कानून बनाया जाय। कानून बना भी है लेकिन उसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। आज भी देहात में हरिजनों के हाथ पहले का सा ही छुआछूत विद्यमान है। इसलिये मैं इस कानून में तरमीम करने के लिये मंत्री जी से कहूंगा। इसमें हरिजन विभाग के लोगों को अधिकार देने चाहिये। कलक्टर और एस० डी० एम० को अधिकार देने से इसकी पूर्ति नहीं होती है।

एक कमेटी हरिजन उन्मूलन समिति के नाम से बनाई गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं रखी गई। इसलिये इसको सदन के सामने लाकर लागू किया जाय जिससे अपने अधिकारों से वंचित लोग लाभ उठा सकें। मुझे यह भी कहना है कि हरिजनों की संख्या पढ़ने लिखने में अब ज्यादा हो गई है लेकिन इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। आज हरिजन समझने लगे हैं कि यह जो नई लहर समाजवाद की आ रही है, यदि हम नहीं पढ़ेंगे और होशियार नहीं होंगे तो हम लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जायंगे। इनके शिक्षा पाने के लिये हम जो वजीफा देते हैं कम है, जो उद्योग धंधों के लिये सहायता देते हैं वह बंद कीजिये और सारे उद्योग अनुदान को शिक्षा पर ही खर्च किया जाय जिससे हरिजन बच्चे आगे बढ़ सकें और समाज में अपने अधिकार प्राप्त कर सकें।

केन्द्रीय सरकार ने विमुक्त जातियों को बसाने के लिये आपको कुछ रुपया दिया है। इसके लिये आपने दो जिलों देहरादून और बहराइच को चुना है। जो कालोनी देहरादून जिले में बनी है के लिए मीरा बहन ने ७०० एकड़ भूमि ली थी। वहां पर बापू ग्राम सहकारी समिति के नाम से एक सोसायटी बनाई गई। सोसाइटी में ३० आदमी थे। यह हरिद्वार-ऋषिकेश रोड पर स्थित है। इसमें प्रारम्भ में १४ हरिजन रखे गये। उसमें नाम हरिजनों के थे लेकिन सवर्ण जाति के लोगों को रखा गया, पूंजीपतियों को रखा गया, सरमायेदारों को रखा गया। नाम बदलवा दिये गये हैं। अभी आश्वासन समिति ९ जुलाई, १९७१ को वहां गई थी तो मालूम हुआ कि केवल दो हरिजन रह गये हैं। यह वन विभाग की जमीन है इस पर बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं उनको इससे वंचित किया जाकर विमुक्त जाति के लोगों को रखा जाय। इस आजादी युग के २४ साल बाद भी बरवार, खटीक, पासी और कंजरों को १०९–११० में बंद कर दिया जाता है, कचेहरी से उनकी जमानत होती है। वे हलवाई करते हैं उनको केवल खाना मिलता है पैसा नहीं मिलता है। वह मुफ्त में काम करते हैं।

बाराबंकी जिले में एक कमियार फार्म है राजकीय है, वह बन्द पड़ा है। उस फार्म की जमीन विमुक्त जातियों में बांटने की कृपा की जाय। बहराइच की भी यही हालत है। वहां पर एक साहब ने अपने लिये तो जमीन अलग कर ली है और बाकी पर भागलपुर (बिहार) के लोगों को बसा दिया है और यहां के विमुक्त जातियों को दफा १०९/११० में जेल भिजवा दिये है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस जमीन को खाली कराकर उस पर विमुक्त जातियों को बसाने की कृपा करें।

आश्रम टाइप स्कूलों का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन वहां के अधिकारियों ने बच्चों का पेट काट कर अपना पेट भरा है। आप समाज में राजा है क्योंकि मंत्री का पद राजा का होता है। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन स्कूलों को देखें और वहां से भ्रष्टाचार को समाप्त करें।

आज हरिजनों के रिजर्वेशन के संबंध में जो चुनाव होता है उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है हर जिले में। उसका प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है लेकिन वहां मनमाने ढंग से चुनाव होता है। आज ही मैंने संख्या ३३ पर प्रश्न किया था कि जनपद गोंडा में कचहरी माल तथा खजाने में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। जबाव मिला कि २७४ कर्मचारी कार्य

रत हैं जिनमें सिर्फ २२ हरिजन हैं जबकि आज पढ़े-लिखे हरिजन घूम रहे हैं। १९७०–७१ में कुल २२ मिले थे जिनमें से सिर्फ ९ हरिजन को रखा गया था और उन ९ हरिजन में से भी ७ हरिजन को निकाल दिया, केवल २ हरिजन रह गये यह मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। यह जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है उसकी रक्षा के लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं ।

शिक्षा के सम्बन्ध में भाई महीलाल जी ने थोड़ा सा कहा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन विभाग का निदेशालय जो लखनऊ में है उसके जो निदेशक अग्रवाल साहब थे, जो अब चले गये, वह हरिजनों के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे और जो चपरासी लेकर जाता था उसको बदल कर दूसरा आदमी रखते थे तो माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ जो हरिजनों के हाथ का पानी भी नहीं पीते कोई कानूनी कार्यवाही करें ।

इसके साथ ही साथ देहातों और पहाड़ों में जिन विमुक्त जातियों को आपने बसाया और जिन्हें लोगों ने भगा दिया है उनको आप वहां स्थान दें और उन्हें बसाने की कृपा करें जिससे समाज से अपराध कम हो सके ।

आश्रम टाइप स्कूलों के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां जो घपला है उसके लिये एक इन्क्वायरी कमेटी बिठा दीजिये जो १ महीना या ३ महीने में अपनी रिपोर्ट दे और उसकी रिपोर्ट के अनुसार आप काम करें । यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, आप इस्तेमाल करते हैं फिर भी हरिजन लोग उस से वंचित रहत हैं और सारा पसा कर्मचारी लोग खा रहे हैं । जो हरिजन समिति बनी है उसमें परिवर्तन करना है । पहले वाली कमेटी अच्छी थी । अब तो इस कमेटी का कार्य ठप्प पड़ा है । कोरम भी पूरा नहीं होता है । आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि यह कमेटी चल सके और हरिजनों का लाभ हो सके ।

श्री अध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)––

एक मिनट में और चाहता हूं । अभी एक भाई ने कहा कि गांव समाज की हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है । उस पर भूतपूर्व जमींदारों और ऐसे लोगों का कब्जा है । लगान सरकार का माफ है और वह जमीन पड़ी हुई है । जो जमीन पड़ी हुई है उसको आज ग्राम समाज तहसीलदार वितरण नहीं कर रहे हैं । उस जमीन को आप वितरण करके भूमिहीन और हरिजनों को दिलाने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ जो अनुदान मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव महीलाल जी न रखा है उसका विरोध करता हूं ।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हरिजन समस्या पर मुझे बोलने का मौका दिया । आज हरिजनों की जो समस्या है और हरिजनों की जो हालत है वह हमारे राष्ट्र के लिये एक चुनौती है । इस चुनौती के नाम पर तथा हरिजनों की समस्या के नाम पर आज जो हमारा शासक दल कांग्रेस का है उसने इस लोक सभा के चुनाव में ३५० स्थान प्राप्त किये । जगजीवन राम ने को आगे को इतने स्थान प्राप्त किये क्योंकि वह उस समय शासक दल के अध्यक्ष थे । इसी प्रकार हम देखते ह और समझते हैं कि हमारे सभी दलों ने हमेशा ही हरिजनों का राजनैतिक शोषण भले ही किया हो लेकिन सामाजिक ढंग से जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणि]

वह वे आज से २० साल पहले थे वहीं पर आज भी हैं । सब से पहले वित्त मंत्री जी के भाषण में इन बातों को कहा गया है । उन्होंने अपना बजट भाषण ही समाजवाद से आरम्भ किया है।

समाजवाद के लिये २१ सूत्री कार्यक्रम इसमें दिया है । इस २१ सूत्री कार्यक्रम को हमारे उधर के बैठने वाले हरिजन सदस्य भी देखें कि इसमें हरिजनों के विषय में क्या कहा गया है । मैं मंत्री जी के भाषण को देख रहा था । इसमें सभी चीजों के बारे में आगे हमारी नीति क्या होगी, आगे हम प्रदेश में क्या करेंगे इसको उन्होंने अपने २१ सूत्री कार्यक्रम में कहा है लेकिन हरिजनों के विषय में एक भी शब्द इसमें उन्होंने नहीं कहा है । इसमें उन्होंने जहां एक तरफ विधवाओं, राजनैतिक पीड़ितों की पेंशन बढाने, श्रम योजना को लागू करने की बात कही है लेकिन हरिजनों के लिये सिर्फ इतना कहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विमुक्त जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ की कल्याणकारी योजनायें पूर्ववत् संतोषजनक रूप से चल रही हैं । पिछड़े वर्गों की शैक्षिक उन्नति पर विशेष जोर दिया जा रहा है और केवल शिक्षा संबंधी योजनाओं पर लगभग ६ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है । इन वर्गों की आर्थिक उन्नति की योजनाओं के लिये इस बजट में २१ लाख ८१ हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

अब यह जो बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका अध्ययन करना पड़ेगा उसमें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के साथ न्याय किया गया है या नहीं यह सारा बजट ६४२ करोड़ ५३ लाख का है । हमको यह देखना है कि इस बजट में हरिजनों को तथा अनुसूचित जातियों के लिये सही हिस्सा मिला है या नहीं । यह बात सही है कि इस बजट में हरिजनों की मद में जो बजट गत वर्ष ६,६९,६३,००० रुपये का था इस वर्ष वह ७,०८,८०,००० रुपया रखा गया है । यह बढ़ाया तो जा रहा है लेकिन जो हरिजनों पर खर्च होता है वह भी देखने की बात है । हरिजन के नाम पर जो बजट मिलता है वह खर्च होता है या नहीं यह देखने की बात अवश्य है। हरिजन और अनुसूचित जातियों के लिये जो रुपया रखा जाता है वह पूरा का पूरा खर्च नहीं होता है । जो रुपया रखा जाता है वह खर्च नहीं होता है । बहुत सी योजनाओं के नाम पर रुपया रखा गया लेकिन खर्च कम किया जाता है । आय-व्ययक अनुमानों पर वित्त सचिव ने जो स्मृति पत्र प्रस्तुत किया है उसके पेज ७० पर इस प्रकार दिया गया है "अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों –(२०६५,०००) आयोजनेत्तर आय व्ययक के अन्तर्गत अधीक्षण तथा जिला संगठन में वेतन तथा भत्ते और मानदेय में ४०,००० उद्धार एवं कल्याणकारी कार्यवाहो में उपनिवेशन बस्तियों के उन्मूलन के वजह से २४,००० और गोबिन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, लखनऊ में कुछ पदों के न भरे जाने से ३८ की कमी दर्शायी गई है। अंतिम लाइन है श्रीमन् इसके अलावा केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं की सीलिंग में कमी किये जाने की वजह से ७०,५३,००० की बचत हुई है । खाली ५,४ साल के बजट को उठाकर देखिये कि किस तरह से यह बचत होती है ।

अगर डिटेल से बजट को देखा जाय जो उनके पद होते हैं और जो पदों की भरती होती है उसमें हरिजन कम ही होते हैं उस मद में व्यय हो जाता है किन्तु जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह भी पूरी की पूरी उस मद में खर्च नहीं होती है । हरिजनों की छात्रवृत्तियां कम हो गई, उनकी बस्तियां बनाने में कमी हो गई । आप ६९-७० के पुनरीक्षित अनुमान देखें तो गत वर्ष में भी व्यय में कमी दर्शायी गई है और यदि आप इस सारे बजट का अवलोकन करें तो मालूम होगा कि जितनी भी मद हरिजनों के नाम पर दिया जाता है वह ठीक से व्यय नहीं की जाती है । इस से पहले के साल में भी हम राजस्व व्यय को देखते हैं तो पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत ६८ लाख और ७५ लाख व्यय की कमी की

संभावना बताई गई है । इस तरह से हम पाते हैं कि एक तो हरिजनों को बजट ही कम दिया जाता है वह उनके प्रतिशत के हिसाब से नहीं दिया जाता और जो दिया जाता है वह भी व्यय नहीं किया जाता ।

यह किताब जो अभी हरिजन विभाग ने प्रकाशित की है इसमें लिखा है "कि सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार अकेले अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की २१ प्रतिशत है । समस्त पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रदेश की कुल आबादी की ५० प्रतिशत से भी अधिक है । अतः इन जातियों की उपेक्षा करके समाज एवं प्रदेश की उन्नति की कल्पना करना स्वप्नवत् है ।" यह जो २१ प्रतिशत आबादी के लोग हैं उनके लिये जो इस साल योजना बनी है उसमें भी आप देखें कि कुल कितनी योजना है और उसमें से उनको कितना दिया जा रहा है । इस वर्ष की पूरी योजना २१४ करोड़ ५३ लाख की है लेकिन हरिजनों को इस योजना में से केवल २,२८,०९,०३६ रुपया दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उनके साथ कैसा व्यवहार है, हरिजन विभाग जरूर खुला है उसके नाम पर कुछ पद बने हुए हैं, कोई डायरेक्टर कोई मंत्री भले ही हो जाय कुछ हरिजन सुपरवाइजर हो जायं लेकिन इस बजट का भी आधे से ज्यादा पैसा एस्टैब्लिशमेन्ट पर खर्च हो जाता है और उनके उत्थान पर कुछ नहीं होता । यह बजट बहुत ही कम रखा गया है ।

हरिजन कल्याण की बात है या समाजकल्याण की बात है अभी जो पुस्तक विभाग के द्वारा प्रकाशित हुई है, यह निदेशक हरिजन विभाग ने इसके प्रस्तावना में जो लिखा है, मैं इससे सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सभी अफसर लोग इतनी स्पष्टता से ही समाज के सामने या विधानसभा के सामने अपने विचार रखें तो राज्य का कल्याण हो सकता है । वह लिखते हैं कि इस प्रदेश में अभी भी लगभग ४३ हजार ऐसे गांव हैं जहां इन जातियों के लिये स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है । आचार्य जुगल किशोर की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के लिये आयोजनागत विभिन्न योजनाओं के लिये २३ करोड़ रुपये के प्राविधान की संस्तुति की है, परन्तु केवल ७.२० करोड़ रुपये का ही परिव्यय निर्धारित किया गया है जोकि समस्याओं की गुरुता को देखते हुये बहुत ही कम है ।" तो हमारे कहने की बात नहीं है जब उनके डायरेक्टर (निदेशक) कहते हैं कि २३ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने दिया क्या ७ करोड़ और उसमें भी अगर आप ४-५ साल का बजट देखें तो पायेंगे कि हरिजन विभाग में ही बचत होती है ताकि बजट का घाटा पूरा किया जाय ।

जहां तक हरिजनों की समस्या का प्रश्न है, आज भी गांवों से चिट्ठियां आती हैं, विधान सभा में भी प्रश्न उठाये जाते हैं । आपने देखा होगा कि यहां पर ही सतिया कांड का प्रश्न उठा था । आपने यह भी देखा होगा कि उसे किस तरह से दबाया गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन किसी का भी दोष हो, यह तो जरूर है कि बेगुनाह सतिया मारी गयी । इस प्रकार का आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि मुजफ्फरगर में एक हरिजन के गांव को उठाया जा रहा है । यहां पर हमेशा ही प्रश्न उठाय जाते हैं कि हरिजनों पर कितने जुल्म हो रहे हैं लेकिन उनको रोकने के लिये न तो सरकार द्वारा और न इधर के पक्ष में बैठने वाल द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है । यह हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गयी है । हम कानून बनाते हैं आज जिनके हाथ में कानून का पालन करना है जो हमारे आफीसर हैं वे क्या चाहते हैं माननीय गुप्ता जी की सरकार हो, चाहे माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार रही हो, चाहे माननीय पंत जी की सरकार रही हो और चाहे माननीय कमलापति जी की सरकार हो और चाहे वह माननीय चौधरी साहब की रही हो, लेकिन किसी ने इसको कार्य-रूप में परिणित करने के लिये प्रयास नहीं

[श्री इन्द्रमणि]

किया है । वे लोग तो अपनी जगह पर बैठे हैं अर्थात् आफीसर वे नहीं चाहते हैं कि इन कानूनों को बदलें । स्कूलों में प्रधानाध्यापक, अध्यापक हरिजनों के लड़कों से पानी नहीं मंगवाते हैं, यदि वे ले भी आते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है । कितने ही मंदिरो की बात ऐसी है कि जहां पर हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । मेरी भूल अगर हो, या मैं अगर गलत न हूं तो क्षमा करें लेकिन हमारे जो माननीय सदस्य हैं, वे भी हरिजनों से वोट लेने तो भले ही चले जायं लेकिन जब वे बेचारे हरिजन यहां पर काम के लिये आते हैं तो उनकी बात नहीं सुनते हैं । हरिजनों में जो अधिकारी लोग हैं या जो उच्च अधिकारी हैं वे भले ही मंदिरों में चले जाते हों लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनको यहां पर कोई नहीं जाने देता है ।

मैदानों की हरिजन समस्यों की समस्या के बहुत से लोग कहेंगे लेकिन आज जो सबसे विकट समस्या है, वह है पर्वतीय हरिजनों की । न तो वहां पर उनके पास जमीनें हैं और न करने के लिए कुछ काम है । पहले वहां पर हरिजन लोग बढ़ई और लोहार का काम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे लेकिन वहां पर प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र यहां से बन कर जाते हैं । इस प्रकार से न उनके पास कोई काम-धंधा बाकी रह गया है और न कोई जमीन ही है । अतः उनको ऋषिकेश, देहरादून में जमीन मिलना चाहिये ।

जहां तक देश की रक्षा का संबंध है यह पर्वतीय इलाका चीन से लगा हुआ है लेकिन वहां पर सामंतवादी लोग इस गरीबी का फायदा उठा रहे हैं । आप माननीय सदस्य को देखते हैं । आप देखें कि वहां पर किस प्रकार से गरीबों का शोषण हो रहा है ...

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय सदन में कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री नहीं है । क्या इस प्रकार से कोई परम्परा रहेगी । श्रीमन्, इस समय कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं है....

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणि--

मेरा आपसे निवेदन था कि पर्वतीय जिलों के हरिजनों के लिये जैसा हमारे साथियों ने कहा ऋषिकेश मे और देहरादून मे जमीनें हैं लेकिन वे जमीनें बड़े-बड़े लोगों ने सहकारी समितियों के नाम पर अपने पास रखी हैं । इसलिये वे जमीनें उन लोगों को दे दी जायं । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार जानती है कि जो हमारा ढांचा हरिजनों के सुधार का है उस तरीके से हम फेल हो गये हैं वह तरीका गलत साबित हो गया है तो मुख्य मंत्री को यह सोचना चाहिये कि सारे विभाग को इस ढंग से बनायें ताकि हरिजनों की समस्या हल हो जाय । श्रीमन्, हर्ष की बात है कि आज राजे, महराजे और बड़े-बड़े नवाब साहब जिन्होंने हरिजनों पर हमेशा अत्याचार किये हैं इस विभाग के मंत्री बने हैं अगर भलाई करते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं । अन्त में मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं यह कह देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "अनटचैबिलिटी इज दि ब्लाट आन दि हिन्दुइज्म" महात्मा जी आज नहीं हैं । उनके कारण आजादी मिली है । वह ब्लाट आज भी लगा हुआ है । इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी योजना हरिजनों के संबंध मे लाये जिससे हरिजनों का सुधार हो । उसमें हम सब भी साथ देंगे ।

श्री रामकरन सिंह––

अध्यक्ष महोदय, मैंने निश्चित आपकी व्यवस्था जाननी चाही है कि अगर राज्य मंत्री सोशल वैलफेयर इंडिपेंडेंट मंत्री होते तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन जब इस विभाग के कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं रहना चाहिये । इनकी हरिजनों के प्रति यही हमदर्दी है । भाषण सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष––

मैं समझता हूं कि उनको सदन में आना चाहिये ।

श्री रामकरन सिंह––

मान्यवर, यह भी व्यवस्था दें कि जब तक वे न आवें तब तक हाउस को बन्द कीजिये ।

श्री अध्यक्ष––

जब तक मंत्री जी आवें इधर के सदस्य बोलेंगे ।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन कल्याण के अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर मैंने बड़ी गम्भीरता पूर्वक माननीय महीलाल और इद्रमणी बडूनी का भाषण सुना और यह आज एक सामाजिक समस्या हो गई है कि हमारे समाज के जो गिरे हुए लोग हैं जिनके साधन नहीं हैं उनको उठाना चाहिये चाहे वे किसी दल के हों । तो मेरा निवेदन यह है कि समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिनसे ऐसी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाय । हमारे उत्तर प्रदेश में पांच जातियों को जन-जातियों में घोषित किया गया । उनकी आबादी १.९५ लाख है । मैं समझता हूं कि इस आबादी पर जो धनराशि आज ७१–७२ में आवंटित की गई वह करीब २२.३६६ लाख रुपये राज्य संचालित योजनाओं द्वारा है और केंद्र संचालित योजनाओं में ६.५०० लाख रुपये हैं ।

आज अनुसूचित जाति के लिये जो पैसा रक्खा गया है कम है, कहना मेरे ख्याल से गलत होगा सरकार ने घोषणा की है कि जन जाति वाले नौकरियों में जायेंगे तो दो परसेंट रिजरवेशन दिया जायेगा । इसी तरह से मेडीकल कालेज में भी आरक्षण ९ प्रतिशत दिया जायेगा । साक्षात्कार में पैसेंजर ट्रेन का तृतीय श्रेणी किराया दिया जायेगा । तो इस तरह से काफी सहूलियतें सरकार देने जा रही है । जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, चाहे चरण सिंह जी की हो, चाहे गुप्ता जी की हो और चाहे त्रिपाठी जी की हो, सबका यह लक्ष्य रहा है कि हरिजनों का उत्थान किया जाय । श्रीमन्, गुजरात सरकार ने एक ऐसा अधिकारी रखा है जो इस बात को देखेगा कि ये जो रिजर्वेशन्स रखे जाते हैं इनका ठीक से पालन होता है या नहीं । मैं समझता हूं केंद्रीय सरकार ने भी होम मिनिस्ट्री में एक सैल कायम किया है जिसका काम है कि वह देखें कि अधिकारी लोग रिजर्वेशन्स का पालन कर रहे हैं या नहीं । इसी तरह से हमारे मंत्री जी को भी एक ऐसा सैल कायम करना चाहिये जो इस बात को देखे कि विभिन्न विभागों में जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन है या और जो सुविधायें हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में योजनाओं के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में जो खर्च किया जाता है वह बहुत ज्यादा है । मैं समझता हूं प्रशासन व्यय में ५६ प्रतिशत हम देते हैं । मध्य प्रदेश और पंजाब में भी यही हाल है । लेकिन खुशी की बात है कि

[श्री गोपालदत्त ओझा]

हमारे प्रदेश में हरिजनों के कल्याणार्थ जो योजनायें हैं उनके प्रशासन में जो खर्च किया जाता है वह बहुत कम है । पहली योजना में करीब ३ करोड़ ५४ लाख का खर्च है जिसमें प्रशासन पर ६ प्रतिशत खर्च हुआ । दूसरी योजना में ८ करोड़ ५४ लाख, जिसमें प्रशासन पर खर्च ५ प्रतिशत । तीसरी योजना में १ करोड़ ६० लाख, जिसमें प्रशासन पर खर्च हुआ ७ प्रतिशत ।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि हरिजनों की जितनी आबादी है उस अनुपात से धन नहीं दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि और विभाग भी तो हरिजनों के कल्याणार्थ काम करते हैं । शिक्षा के लिए लघु उद्योगों के लिये, आवास के लिए, पेय जल योजनाओं के लिये भी तो खर्च किया जाता है। यह तो विशेष परिस्थिति में उनके विकास के लिये अतिरिक्त धनराशि है।

श्रीमन्, १९६६ में जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में एक हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट दी है । उन्होंने ८ पहाड़ी जिलों के बारे में कहा है कि उनकी आवश्यकतानुसार इन १९–२० सालों के अन्दर कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी । जैसा कि इन्द्रमणी जी ने कहा, मैं मानता हूं कि पर्वतीय जिलों में हरिजनों की उपेक्षा की गयी है । जितनी आबादी है उसके अनुसार योजना आवश्यकतानुसार नहीं बनायी गयी । रिपोर्ट के पेज १०५ पर यह सुझाव था कि हरिजनों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में पुनर्वास योजना, बागबानी कृषि उत्पादन, भेड़ पालन की योजनायें होनी चाहिये । मकान के लिये जमीन दी जाय । बंजर जमीन आबाद करने के लिये दी जाय और मकान और कार्य स्थलों के लिये लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन प्राप्त की जाय । तो उस रिपोर्ट पर सरकार विचार करे और उसे कार्यान्वित करे ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजनों के बारे में और जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में कोई ठोस योजना नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जो विधवा महिलायें हैं उनके संबंध में सरकार ने योजना बनायी है । इस साल एक ऐसी योजना बनायी गयी है जिसमें ४,१५० विधवाओं को राहत मिलेगी । जिनके परिवार की आमदनी १०० रु० से कम है और किसी संस्था से जिनको सहायता नहीं मिलती उनको कुछ मासिक अनुदान दिया जायेगा । ऐसी व्यवस्था भी हमें बजट में देखने को मिलती है । इसी प्रकार से कुमायूं और गढ़वाल डिवीजनों की विधवाओं को जिनकी कि संख्या ३०० से अधिक है, ५०० अधिक का अनुदान दिया जायेगा । इस बजट में पर्वतीय क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिये भी प्राविधान किया गया है । इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इसमें भोटिया तथा अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और मैं सरकार को इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि उसने हरिजनों के लिये दो विशेष प्रायोजनायें खोलना तय किया है जिसमें से एक पिथौरागढ़ में होना चाहिये ।

एक सदस्य—

कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

एक बजे से २ बजे तक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान सन् १९७१–७२ के बजट की ओर दिलाना चाहता हूं । उत्तराखंड में भोटिया जाति को सन्१९६७ में अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया है। वहां

पर नान-भोटिया में असन्तोष है। उनकी संख्या भी बहुत है और उनके पास गुजर-बसर का कोई सहारा नहीं है। वे पढ़े लिखे भी नहीं हैं और धारचुला, मुन्श्यारी, मटवारी, जोशीमठ चौकी में नान–भोटिया रहते हैं।

श्री अध्यक्ष––

मैं आपको यह सूचना दे दूं––कोरम पूरा है।

श्री गोपालदत्त ओझा––

भोटिया लोगों की तरह नान-भोटिया लोग भी पिछड़े हुये हैं तथा गरीब हैं। उनको भी सहूलियतें दी जायें। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके आर्थिक विकास के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायें ताकि वे भी ऊपर उठ सकें। उनके रहने के लिये मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है चाहे वे हरिजन हों, या नान-भोटिया हों, उनके लिये जमीन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। वहां करीब १०,००० लोगों की आबादी ऐसी है जो कि मोबाइल है और घूमती रहती है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है और वे लोग पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। आप उनके लिये जमीन की व्यवस्था करें चाहे पिथौरागढ़ में ही या तराई भाभर में, कहीं पर भी हो, उनको जमीन अवश्य मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को अनुदान भी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जिस प्रकार से कि प्रदेश के ५१ जिलों में हरिजन कल्याण समितियों का गठन हो गया है उसी प्रकार से हमारे यहां पर इनका गठन होना चाहिये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के विकास के लिये आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां की समस्यायें सुलझाई जांय।

श्री अध्यक्ष––

श्री उमाशंकर शुक्ल. ..

श्री गोपालदत्त ओझा. . . .

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और।

श्री अध्यक्ष ––

आपने तो कहा था कि "अन्त में मैं कहना चाहता हूं।"

श्री गोपालदत्त ओझा––

वहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है और उद्योग-धन्धे पनप सकते हैं और इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां पर सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाये ताकि वहां के निवासियों को रोजी मिल सके। जो लोग वहां पर पढ़े-लिखे भी हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप इस बात का सर्वेक्षण करायें कि कितने ऐसे पढ़े-लिखे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही हैं और उनको नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें। उनको आप किसी भी विभाग में, चाहे पुलिस में, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० में नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)––

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने और सरकार की हरिजन नीति का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारी आदरणीया प्रधान मंत्री ने गत वर्ष दिसम्बर मास में बैकवर्ड क्लासेज फडरेशन को सम्बोधित करते हुये कहा था कि हरिजनों को बहुत ज्यादा

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

आरक्षण देने व विशेष सुविधायें देने से हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे देश का, कल्याण तभी हो सकता है जब कि हमारे देश का चतुर्दिक अभ्युदय हो और उसकी आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार की तरक्की की ओर ध्यान दिया जाय। किन्तु आप देखेंगे कि सरकारों की नीति क्या है ? वास्तव में हमारी सरकार की नीति हरिजनों के उद्धार करने की नहीं है। जैसे अंग्रेजों और मुसलमानों की नीति थी यानी डिवाइड ऐण्ड रूल की पालिसी वही नीति इनकी भी है। जिस वक्त अंग्रेज माइनारिटी या हरिजनों को सैपरेट एलेक्टोरेट या विशेष सुविधायें देने की बात कहते थे तब हमारे कांग्रेस की तरफ से एतराज होता था कि हमारे बीच यह खाई की आयोजना की जा रही है किन्तु बड़े खेद की बात है कि आज वही पालिसी हमारी सरकार भी अपनाये हुई है।

मैं मिसाल के तौर पर आपको बतलाता हूं कि इस बात पर बार-बार बड़ा जोर दिया जाता है एक हरिजनों का उत्थान किया जाय, हरिजनों की मदद की जाय, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। इसका कारण क्या है ? मुख्य कारण यह है कि हरिजनों और सवर्णों के बीच में एक खाई बना दी जाय। इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर वास्तव में उनकी इच्छा भलाई करने की होती तो पिछड़ा वर्ग ९५ प्रतिशत देहातों में रहता है। इस बात पर बार-बार जोर देने के बजाय अगर हम केवल अपने देहातों के उत्थान और तरक्की की कोशिश करें तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि इससे हमारे ९५ प्रतिशत हरिजन लाभान्वित होंगे और हमारे प्रदेश के ८० प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंच सकेगा। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो उन ९५ प्रतिशत आदमियों को लाभान्वित करने के लिये हम कुछ करें। आप देखेंगे कि हरिजनों का कल्याण और हमारे प्रदेश का कल्याण तभी हो सकता है जब हमारे देहातों का भला हो और देहातों का उत्थान तभी हो सकता है जब वहां एग्रो-इंडस्ट्रीज कायम की जांय।

मैं देख रहा हूं कि कोई एग्रो-इंडस्ट्री हमारे यहां नहीं कायम हो रही है। जो कुछ आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वह शहरों में रहने वाले जो ५ प्रतिशत हरिजन हैं उन्हीं के लिये आपने किया है और उसका परिणाम यह हुआ कि उनमें भी एजूकेटेड अनइम्पलायमेंट बराबर शुरू हो गया है तो जो कुछ आप कर रहे हैं वह सब शब्दों का मायाजाल है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं है। आज से २३ वर्ष पहले हरिजनों का जो हाल था वही हाल अब भी है। शिक्षा के सवाल को ही देखें, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य-चिकित्सा और सामाजिक समस्या को देखें, जहां पर वह समस्या पहले थी उसी जगह पर आज भी है। जमींदारों के चंगुलों से आपने जरूर निकाल दिया है लेकिन आज भी महाजनों के चंगुल में वे वैसे ही फंसे हुये हैं। जो महाजन लोग २ रुपये सैकड़ा सूद उनसे लेते थे, आज भी उनसे वही सूद ले रहे हैं।

बार-बार हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज की बात कह-कह कर आप सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। इससे हमारे राष्ट्र या देश का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपका भले ही इससे भला हो कि अपने को मजबूत करने के लिये उनसे आप कुछ वोट प्राप्त कर लें लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है उस पर भी विचार कीजिये। अगर सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों में खाई बना दी जायेगी तो हमारे प्रशासकों की योग्यता कम होती जायगी। एक शख्स है जो ८० प्रतिशत नंबर पाकर तब एक पद पर पहुंचता है और दूसरा ३५ प्रतिशत नम्बर पाकर ही उस पद पर पहुंच जाना चाहता है। आप टुकड़े देकर उनको खड़ा करना चाहते हैं जिससे समाज में हरिजन कम्पीट नहीं कर पाये लेकिन हरिजन लोग इसको समझते नहीं हैं। इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि सरकार ने यह किया है, सरकार ने वह किया है, उसके बारे में मैं दो शब्द आपसे कहना चाहता हूं। आज देखें कि सन् १ ६६ में लेबर वेज सम्बन्धी एक कानून बनाया गया ताकि मजदूरों को उनके काम करने के एवज में एक निश्चित मजदूरी दी जाय। उस पर क्या अमल हो रहा है, कहीं अमल नहीं हो रहा है। हरिजन को जिस तरह से पहले दिया जाता था उसी तरह से अभी भी दिया जा रहा है।

सीलिंग की बात आई थी कि निकली हुई जमीन हरिजनों को दी जाय लेकिन कहीं अमल नहीं हो रहा है। मेरी तहसील में एक मसला पेश हुआ था और सीलिंग की जमीन निकली थी परन्तु पता भी नहीं लगा और पट्टे कर दिये गये। मैंने जब एतराज किया तो कांग्रेस के मन्त्री ने कहा कि हरिजन तो नेक्सलाइट हैं। यह एटीचूड आपका है। आचार्य जुगल किशोर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या अमल हो रहा है। अस्पृश्यता निवारण का कानून बना था लेकिन कहीं अमल नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत कितने मुकदमें आपने चलाये हैं। मेरा तो ख्याल है कि हरिजन और गैर हरिजनों में खाई हमेशा के लिये पैदा करने के लिये आप ऐसा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में हरिजन और गैर हरिजनों को डिवाइड करने के लिये ऐसा किया गया है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि देहातों को उठाने की कोशिश कीजिये और वहां पर सबसे ज्यादा एग्रो-इन्डस्ट्री कायम कीजिये। वहां के हरिजनों को अन्य सुविधायें दीजिये। चिकित्सालय खोलिये ताकि हरिजनों को दवा मिल सके और १०-१० और २०-२० मील तक उनको दवा के लिये दौड़ना न पड़े। हरिजन बेचारे बे मौत मारे जाते हैं।

शाहजहांपुर में एक नई समस्या पैदा हो गई है। वह यह है कि एक बस्ती में जहां मेहतर सदियों से बसते थे, नगरपालिका सुपरसीड थी, अधिकारियों ने पैसा लेकर दूसरे लोगों को वह जमीन दे दी। हरिजनों ने सत्याग्रह किया, तार भेजे लेकिन हमारी सरकार के यहां अभी सुनवाई नहीं हुई है। यही हरिजनों के साथ हमारी हमदर्दी है। जब चौधरी साहब और गुप्ताजी की सरकार थी तो जो दरख्वास्तें भेजी जाती थी वह कम से कम एकनालिज तो हो जाती थीं लेकिन हमारे मौजूदा मुख्य मंत्रीजी की जो सरकार है, उनके दिमाग आसमान पर हैं, मैंने बहुत से खत लिखे लेकिन उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं भेजा जाता है। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक देहाती कहावत है उसको मैं माननीय सदस्यों को सुना देना चाहता हूं। "दुबले की बहुरिया, सब की सहलजिया।" यह गरीब देश है। यही कहावत गरीब पर लागू होती है। चाहे लोक सभा हो, विधान सभा हो, विधान परिषद् हो सुझाव बहुत आते हैं लेकिन परेशानी यह है कि उन पर अमल नहीं होता हैं।

मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं, चाहे इस तरफ के बैठने वाले साथी हों या उस तरफ के बैठने वाले साथी हों यदि चौधरी साहब विरोधी दल के नेता हों, इन सबसे पूंछना चाहता हूं कि केवल यह कह देने से कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, उन लोगों की स्थिति सुधर जायेगी। क्या आपने कभी उनकी स्थिति को सुधारने की बात सोची है, एक भी कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज विरोधी पक्ष से आवाज उठायी जाती है कि सरकार ने जो बजट रखा है वह कम है, गलत है और उससे हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं। मान्यवर, जब वह इधर थे तो हम भी उधर से यही बात कहा करते थे। लेकिन मैं उनसे पूंछना चहता हूं कि आप जब सरकार में थे, गद्दी पर बैठे थे और हमारे चौधरी साहब और कल्पनाथ सिंह जी मंत्री थे तो आप आज जो सुझाव दे रहें हैं उनके बारे में सोचा था कि इन पर अमल करें। अगर आपने, जो बात आप आज कह रहें हैं उस पर अमल नहीं किया तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि सरकार नें जो बजट रखा वह गलत है और हरिजनों के कल्याण के लिये नहीं है।

[श्री रामलाल राही]

मान्यवर, मैं न इस पक्ष की बात कहता हूं और न उस पक्ष की बात कहता हूं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे आपके सबके विचार है वह शोषक है। हमारे सबकी शोषण करने वाली विचारधारा है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक कथनी और करनी का फर्क नहीं मिटेगा और उस आवाज के प्रति जो सदियों से दबाया जाता रहा है, पीसा जाता रहा है कुछ उदारतापूर्ण दृष्टिकोंण नहीं अपनाएंगे तब तक केवल भाषणों से उनका कल्याण नहीं हो पायेगा। मान्यवर, आज २२–२३ साल हो गये आजादी प्राप्त हुये। कोई भी दल ऐसा नहीं जो यह कह सके कि मैं सरकार में नहीं रहा। २२–२३ साल में सभी लोग सरकार में रहे हैं। मैं अपने जनसंघी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग उनके पास रहा था तो उन्होंने क्या किया।

श्री छांगुर राम––

हर दल की सरकार रह चुकी है, यह तो स्पष्ट है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार का उनका विकास करने का कर्तव्य है या नहीं ?

श्री रामलाल राही––

अभी आप सुनियेगा। मान्यवर, कोई भी यह कहने का हकदार नहीं है कि हरिजनोंओं लिये उसने कुछ किया। जब जनरल बहस हो रही थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जब जमींदारी प्रथा थी तो उस समय हरिजन समाज का दंड, जूते और लाठी के बल पर शोषण होता था लेकिन आज भाषणों, वक्तव्य और प्रस्तावों के बल पर उनका शोषण हो रहा है। क्या हरिजन इसको समझता नहीं ? वह सब समझता है। लेकिन उनके सामने मजबूरी है। केवल एक मजबूरी उनके सामने है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर वह आर्थिक स्थिति से कमजोर न होता और रंचमात्र भी साधन उसके पास होते तो इस चालाकी से जो आप उस समाज से लाभ उठा रहे हैं, वह न उठा पाते। चौधरी गिरधारी लाल जी, नेता विरोधी दल, हरिजन समाज से हैं। महीलाल जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह भी हरिजन हैं और जो इस तरफ बैठने वाले हरिजन हैं, मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूं जिन्होंने सदैव तो शोषण किया ही है, पर मैं चौधरी गिरधारी लाल जी से, नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं जिन्होंने बजट पर अपने भाषण में हरिजनों के लिये बहुत से आंसू बहाये हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हरिजन के लिये क्या किया ? उन्होंने क्या किया सिवाय इसके कि बड़े-बड़े नेताओं की चापलूसी करते रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिये। अगर इनमें हरिजनों के प्रति वफादारी होती और गरीबों की सहायता करने की ख्वाहिश होती तो मान्यवर, हरिजनों की आज यह दशा न होती जो आज है।

मैं तो अपने पड़ोस में बैठने वालों को ही दोष देता हूं, और किसी को नहीं। मैं सोचता और कहता हूं कि अब न हरिजन की बात है और न सवर्ण की बात रह गयी है, आज एक पूंजीपति का क्लास है, अमीर वर्ग है, और एक सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग है। आज इन दो वर्गों की लड़ाई है, हमें इसको मिटाना है। आज अमीर शोषण कर रहा है गरीब का। हमें उसे देखना चाहिये और इस चीज को मिटाना चाहिये। यह चीज दूर तभी होगी जब गरीब लोग दृढ़ता दिखायेंगे, चौधरी साहब दृढ़ता दिखायेंगे, डा० सीताराम दृढ़ता दिखायेंगे, माननीय महीलाल जी दृढ़ता दिखायेंगे और यह कहेंगे कि हम जिस वर्ग से चुनकर आये हैं उसके कल्याण के लिये हम जान की बाजी लगा देंगे, भले ही हमें कुर्सी मिले या न मिले। जब आप यह कदम उठायेंगे तब जो सवर्ण लोग हैं कुर्सियों पर बैठते वाले, या तो उनको शर्म आयेगी, या फिर जो भयंकर प्रतिक्रिया होनी होगी वह होगी। (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दो मिनट और देने की कृपा करें। मैं रिजर्वेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। चौधरी साहब १५ वर्षों तक मंत्री रहे, महीलाल जी डिप्टी मिनिस्टर रहे, माननीय राम किंकर

जी भी मंत्री रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप मंत्री थे तो आपने अपने विभाग में कितने हरिजनों को नियुक्त किया ? उनका प्रतिशत कितना पूरा किया ? अगर केवल आपके विभागों में ५–६ प्रतिशत ही हरिजन रहे तो इसमें किसका दोष है ? क्या पं० कमलापति त्रिपाठी का दोष है ? यह आपका दोष है । इसलिये आज हमें पहले अपनी बुराइयों को देखना चाहिये ।

मान्यवर, एक प्रशासकीय बोर्ड ५६–५७ में बना था उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था नियन्त्रण अधिनियम, जिसके अन्तर्गत एक प्रशासकीय बोर्ड की स्थापना हुई थी । सन् ५६–५७ में गठित हुआ था । इसके निरीक्षक के सुपुर्द ३–४ जिले रहते हैं । इसमें निरीक्षक, टाईपिस्ट, चौकीदार व पत्र वाहक आदि कर्मचारी होते हैं । लेकिन आप देखें इनका वेतन कितना कम है । निरीक्षक की १२० रुपया तनख्वाह है, आंकिक की ८० रुपये, टाईपिस्ट की ६० रुपये चौकीदार व पत्र वाहक की २७ रुपये । ये तनख्वाहें मौजूदा हैं । सन् ६२ तक इन्हें महंगाई भत्ता व अन्य राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन ६२ के बाद ये बन्द कर दी गई । मान्यवर, यह फर्क क्यों ? एक ही विभाग मे काम करने वाले कर्मचारियों में स, एक को मंहगाई भत्ता दे रहे हैं दूसरे को नहीं, यह बात बिलकुल ठीक नहीं है । किसी को ५ रुपया मिले और किसी को ढाई, यह भेदभाव भी ठीक नहीं । इसको समाप्त करना होगा । मैंने, माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, इस संबंध में मंत्री जी को पत्र भी लिखा है । मैं उनसे आग्रह-पूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के मध्य जो भेदभाव शासन की तरफ से होता है, उसे आप समाप्त करें और उन्हें समान वेतन व भत्ता आदि प्रदान करें ।

इसी विभाग के अन्दर प्रोबेशन विभाग भी चलता है । सन् ६७ में इसके कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया गया और कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया तथा अधिकारियों के लिपिकों को भी बरखास्त कर दिया गया । तभी से वही स्थित अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है । चीफ मिनिस्टर मा० चौधरी चरणसिंह के समय में भी कोई निर्णय नहीं हुआ । अब मै वर्तमान मंत्री जी व मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या को हल करें और तमाम अधिकारियों व कर्मचारयों के दुःखों को दूर करके एक शांतिमय वातावरण बनायें ।

श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का इस दुःखभरे समाज के लिये अवसर दिया है । मैं पूज्य गांधी जी की एक उक्ति को यहां पढ़ देना चाहता हूं, जिसे यह हमारे कांग्रेसी भाई आज भूल गये हैं, स्मरण कर लें—"सवर्ण हिन्दुओं का यह समझना गलत है कि वह हरिजनों पर कोई ऐहसान कर रहे हैं, जो कुछ भी वह इस समय हरिजनों के लिये कर रहे हैं वह तो उसके युगों से किये गये पापों का बहुत देर से किया हुआ एक छोटा सा प्रायश्चित है ।" मान्यवर, जब से इस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, हमारे स्वर्गीय पंत जी सबसे पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, मुझे याद है यद्यपि उस समय मेरा लड़कपन था, लेकिन होश था, जो कुछ हमारी वेदनायें होती थीं, यदि वहां पहुंचाई जाती थीं, तो उन पर ध्यान दिया जाता था और देहातों में समाज के अन्दर एक चर्चा चलती थी कि सरकार उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है उनके लिये कोशिश कर रही है । लेकिन थोड़े ही समय बाद से जब से उसमें कमी आने लगी सामन्तवादी लोग पहले से ज्यादा निर्भीक होने लगे । अब पहले की अपेक्षा अधिक अत्याचार उन पर होना शुरू हो गया है । धीरे-धीरे इस गिरे हुये वर्ग के साथ उनका ध्यान हटता गया और वह पहले से भी बुरी दशा में आ गये ।

मान्यवर, श्री सम्पूर्णानन्द जी, जब मुख्य मंत्री बने तब मैंने अखबारों में देखा जब उन्होंने पद ग्रहण किया तो एक लाख रुपया अपनी उदारता से उनके लिये दिया था । लेकिन जैस

[श्री रामपति]

कि मुझे याद है पिछली बार जब चौधरी चरण सिंह ने साढ़े बाईस लाख जो हरिजनों का अनुदान था, उसमें से कम किया था। सोचने की बात है यदि हर जिले में ५० हजार रुपया पहुंचता तो तमाम आदमियों को गांवों कम में कम से पानी पीने की सुविधायें भी उपलब्ध हो जाती। इस तरह से ५० हजार नहीं तो कम से कम २५ हजार आदमियों को अवश्य उससे सुविधा होती। लेकिन जो साहब आते हैं वह इसमें अपनी मर्दानगी समझते हैं कि उनका गला घोंटा, जोर जुर्म करो यह अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री ने हमारे घर पर चिट्ठियां भेजीं, पुस्तिकायें भेजीं, कहा कि समाजवाद ला रहे हैं, हरिजनों को आवास के लिये जगह दे रहे हैं और आरक्षण का प्रबन्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवाद की व्यवस्था में सभी लोगों का सहयोग होना चाहिये। लेकिन कहना कुछ और करना कुछ और। यह द्वैतवाद की नीति और भी समाज को नीचे लिये जा रही है। इन लोगों को बसाने के लिये मैंने स्वतः निवेदन किया था। अपनी मर्यादा का कोई ध्यान न दे कर छोटे-छोटे लोगों से मिला जिनको अधिकार है, उनसे मिला। राजस्व मंत्री चतुर्भुज शर्मा जी से मिला। उन्होंने आवश्यक आदेश भेजने की जरूर कृपा की। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उनको बसाने के लिये नयी आबादी नहीं छोड़ी जाती है। अपनी बातों को एक प्रतिशत निभाने की कोशिश करें तो मुझे संतोष हो सकता है। मैं राजस्व मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह आवश्यक आदेश भेजें कि कम से कम एक परिवार के लिये पांच डिसमल जगह तो छुड़वा दें।

मान्यवर, थोड़ा सा शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरिजनों के लिये आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है क्या उसमें त्रुटि है और क्या आपको ध्यान देना चाहिये। आज लड़के विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं। जो लोग प्रवेश पायेंगे वह भी दो महीने के बाद, जैसे एल एल० बी०, बी०एड०, बी०काम की कक्षायें हैं, उनमें दो तीन महीने के बाद प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के बाद उनको वजीफा मिलेगा। लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट जुलाई से देगा। यह बिलकुल अनियमित कार्य है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। दशमोत्तर कक्षा के बाद कई माध्यम से वजीफा दिया जाता है जिसके कारण देर हो जाती है। इनकी पढ़ाई का मौलिक समय बीतने के बाद उनको रुपया दिया जाता है। उनको समय से सहायता मिलनी चाहिये। मान्यवर, मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट के हैं, अगर उनमें देखा जाय उनमें एक फीसदी भी हरिजन अध्यापक नहीं हैं। उसमें सरकार विशेष हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करती है यह कह कर कि उसकी कमेटी अलग है, सरकार का उसमें क्या अधिकार है। लेकिन रुपया आप देते हैं। मान्यता भी आप देते हैं। उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? १८ फीसदी, २० फीसदी हरिजन अध्यापकों को रखा जाये। जो हरिजन लड़के पड़ते हैं उनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई अन्याय किया जाता है तो उनकी सुनवायी करवाने के लिये कोई आधार नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में सरकार को सख्त आदेश देना चाहिये उन स्कूलों में आरक्षण के लिहाज से अध्यापक रखे जांय अन्यथा मान्यता नहीं दे सकेंगे।

मान्यवर, सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिये जाते हैं जैसे मकान बनाने के लिये कुआं बनाने के लिये या गृह उद्योग के लिये। मान्यवर, हर जिले में कलेक्टर महोदय इसके सभापति बनाये जाते हैं और हम विधायक उसके सदस्य होते हैं लेकिन कलेक्टर महोदय हरिजन सहायक आफिसर के माध्यम से अपनी मनमानी करते हैं और रुपया तब दिया जाता जब वह गरीब कर्ज लेकर पहले मकान अथवा कुआं बनवा लेता है और लिया हुआ धन सूद में ही समाप्त हो जाता है। यह दुर्व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। यह राजा रानी हरिजन कल्याण के मंत्री बना दिये गये हैं जिन्होंने सतत् हरिजनों पर अन्याय किया है, शासन किया है, जो सामंतवादी रहे हैं उन्हीं को आज सरकार ने हरिजनों का रखवाला बना दिया है। चाहिये तो यह था कि उसको मंत्री बनाया जाता जो इस वर्ग का होता, जो हरिजनों की सारी समस्याओं को समझता होता। यह कैसा समाजवाद है?

सहकारिता में रुपया देने के बाद कहा जाता है कि १०५ आदमी एक समिति बना लें और उसका रजिस्ट्रेशन करा लो । गरीब आदमी कहां रजिस्ट्रेशन के लिये दौड़ेगा ? होता यह है कि रुपये का दुरुपयोग होता है और आधा रुपया सरेंडर हो जाता है क्योंकि वह उपयोग में नहीं आ पाता है ।

हरिजनों को पानी पीने के लिये गांधी शताब्दि में दो लाख रुपये मेरे जिले को दिये गये थे । मेरे ब्लाक में कहा गया है कि पम्प के लिये १०० रुपये दिये जायेंगे जब कि वह ३०० रुपये से कम मे तैयार नहीं होता और वह रुपया फिर सरेंडर हो गया और उनको नहीं मिल पाया इस तरह से मृग तृष्णा दिखाई जाती है और व्यवहारिक रूप से कोई कार्य नहीं हो पाता है । १६ फीसदी लड़कों के दाखिले की बात बहुत पहले पास हो चुकी है लेकिन आज तमाम हरिजन लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं कहीं उनको प्रवेश नहीं मिलता । नौकरी में तो उनको अयोग्य कर दे दिया जाता है और इस तरह से वहां तो उनका पत्ता ही काट दिया जाता है लेकिन स्कूलों में उनक दाखिला नहीं मिल पाता है । अंग्रेजी सरकार के जमाने में वह सब नहीं था वह कम से कम आरक्षण देती तो थी और मुझे इसके लिये गोरखपुर से सुल्तानपुर बुलाया गया लेकिन आप केवल वाणी से आदर्शवादिता की बातें कह कर उनको अन्धेरे में रखते हैं ।

स्कूलों में इतनी कम जगह है कि मुश्किल से १० फीसदी छात्रों को स्थान मिल पाता है और बाकी इधर उधर भटकते रहते हैं । छात्रावास में भंडारी को भी ३५ रुपये वेतन मिलता है । क्या सरकार उनको मार डालना चाहती है ? तो यह जो अनुदान है उसे सरकार क्यों नहीं खत्म कर देती.....

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें । आप शब्दों में जाना चाहते हैं ।

श्री रामपति---

मान्यवर यह हरिजनों की ही अवहेलना नहीं है बल्कि हरिजन क्षेत्रों की अवहेलना है । सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या बताई है । मान्यवर, मैं भी धुरियापार क्षेत्र से आया हूं वहां पर जो स्थिति है वह अपार ही है । वहां पर कोई रास्ता नहीं है, कोई लाईन नहीं है । स सब ध में निवेदन करते-करते निराश होकर बठ गया हूं कि न काई इस तरह की व स्था नहीं हो ई है । अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो स का वहां पर हरिजनों का आरक्षण कराने अन्यथा जो अनुदान सरकार देती है उसे स्वीकार करे और हम लोगों को छोड़ दे मैदान में या तो मिटेंगे या लेंगे । (व्यवधान)

(श्री इन्द्रलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, सा लग रहा है कि यह सदन मान्य नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है । पहला नाम बोलने वालों में हमारा गया हुआ है किन्तु अभी तक मौका नहीं मिला है ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जब से इस सदन में यह बजट पेश हुआ है मुझे उसके किसी भी विषय पर बोलने का अवसर नहीं मिला है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो हरिजन और पिछड़ी जाति के जट के ऊपर बहस यहां चल रही है उसमें भाग लेने का मुझको मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इन्द्रलाल जी को बुलाया है ।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, गाज सदन में अनुसूचित और पिछड़ी जाति का अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं समर्थन देते हुये कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर कि ४-६ लाख जनता इस वर्ग की है। मान्यवर, जो भी सरकार इस सदन में बैठती है वह यही कहती है कि हम पिछड़े हुये और अनुसूचित जाति के लोगों का हित करेंगे किन्तु मैं अर्ज करूंगा कि आज भारत को आजाद हुये २२/ ३ साल हो चुके हैं लेकिन यह वर्ग जिस जगह पर पहले था आज भी उसी जगह पर बना हुआ है, उसमें कोई आमूल परिवर्तन उनके उत्थान के लिये नहीं हुआ है। शासन ने बराबर हरिजनों के उत्थान के लिये सरकारी नौकरियों और अन्य दूसरे स्थानों पर परसेन्टेज नियुक्त किया है किन्तु बार-बार शासनादेश हो जाने के बावजूद भी तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको इस बात से आश्वस्त कराते रहते हैं कि इन पिछड़ी जातियों का आप रिजर्वेशन क्यों नहीं करते। मान्यवर, मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है चाहे हम आज कितने ही समाजवाद के नारे लगायें, यह पिछड़ा हुआ वर्ग और पिछड़े हुये लोग जिस जगह पर पहले थे, उसी जगह पर आज भी बने हुये हैं उनको कोई प्रीफरेन्स देने वाला नहीं है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र कुमायूं में इन वर्गों के लिये जो सबसे बड़ी परेशानी है वह है भूमि की कमी की। अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो सर्व प्रथम इस वर्ग की आर्थिक और सामाजिक एवं आवासिक स्थिति में सुधार करना होगा। जब तक वहां के लोगों का ही जन-जीवन उच्च स्तर सामाजिक स्तर के बराबर नहीं होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक यह कहना कि उत्थान हो गया, यह निर्मूल बात होगी। अभी मैं निवेदन कर चुका हूं कि उस इलाके का जो तबका है वह ऐसा है जो कि बिलकुल बेरोजगारी में पड़ा हुआ है और आज भी वहां के हजारों परिवार भूमि के लिये तराई भावर में दर-दर भटक रहे हैं किन्तु आज एक ओर हमारा शासन सीलिंग में जमीन ले रहा है और दूसरी ओर भूमि बांट रहा है। आवास की वहां पर इन लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों के लिये आवास हेतु एक इंच भूमि का प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ है, वर्षों पूर्व मालधन चौड़ में कुमावती भूमिहीनों को भूमि दी गई थी किन्तु दस हजार की आबादी के लिये आज तक न तो चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया और न कोई सिंचाई साधन दिया गया, शिक्षा के भवन का प्रबन्ध होते हुये पक्की, बिलडिंग की भी सुविधा नहीं है।

जिला स्तर पर शासन द्वारा भूमिहीनों खेतिहर मजदूरों के लिये समितियों का गठन किया गया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिला स्तर की समितियों द्वारा अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। जहां तक अस्पृश्यता निवारण का संबंध है, मैं पुरजोर शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं कि शासन की ओर से कहा जाता है कि अस्पृश्यता मिटाई जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि वह दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। जहां पिछड़े लोगों के लिये रिजर्वेशन रखा गया है चाहे वह प्रेजुएट हो गये हैं फिर भी उनको स्थान उपलब्ध नहीं है। १८ परसेंट रिजर्वेशन की बाबत जिला स्तर पर कमेटियां कायम की गयी हैं और जब १८परसेंट का भी नौकरियों का कोटा पूरा नहीं हुआ है तो यह कहना और शासन से ऐसी विज्ञप्तियां निकाला जाना कि उनको ४५ परसेंट दे रहे हैं, यह कहां तक उचित है। यह एक मात्र भूल है और मैं समाज-कल्याण मंत्री महोदय और शासन से पुनः अनुरोध करूंगा कि यह बात जिला अधिकारियों से मालूम की जाय कि जब कभी भी वहां पर टेम्पोरेरी हो या परमानेंट नौकरी देने का सवाल हो तो जब सिलेक्शन होता है तो इस समाज में प्रेजुएट कैंडीडेट होते हुये भी क्यों नहीं इनको लिया जाता है?

जहां इन्हें भूमि देने का प्रश्न है यह विशेष विचारणीय है कई स्थान ऐसे हैं--रामपुर, लेटी, चुपड़ा, पाटकोट जहां पर लोग बृटिश शासन से भूमि पर बैठे हुये हैं, आवास कर रहे हैं। अब तक बन विभाग की अड़ंगेबाजी के कारण उन लोगों को परमानेंट रेट पर शासन से मान्यता नहीं मिली है जो कि मिल जानी चाहिये। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जिनको सदियां बीत चुकी हैं, आज भी जिस जगह पर वे बैठे हुये हैं वह भूमि उनको नहीं मिली तो यह आश्चर्यजनक बात होगी। साथ ही मैं दमुआं ढूगा, बागजाला, हल्दी खाल गांवों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां कि मैं अपने मंत्री महोदय को ले गया था। १९६३ में एक आदेश उनके हित में होता है कि

उनको यह जमीन अलाट कर दी जाय, लेकिन उस समय कह दिया गया था कि कुछ ऐसे लोग अवैधानिक रूप से बैठ गये हैं, जबतक उनकी बेदखली नहीं होगी तब तक अलाटमेंट का कार्य नहीं होगा। एक तरफ, हम सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, दिन पर दिन वहां पर एन्क्रोचमेंट बढ़ते जाते हैं तो यह माननीय मंत्री जी और इस शासन के देखने की बात है कि जिन लोगों का निष्कासन अभी तक नहीं हुआ है, जो बरसों से बैठे हुये हैं और जो० ओ० निकल चुका है, तो उनका निष्कासन न होकर जो अलाचमेंट नहीं किया जा रहा है इसमें मूल गलती किसकी है, इसके लिये शासन को जांच करनी चाहिये। तभी वास्तविक कुमावतो भूमिहीन भूमि प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक बोर्डर का इलाका है, जिसमें धारचूला, भुसारी, और जोशीमठ के इन्टीरियर इलाके आते हैं, उस ओर मैं शासन का ध्यान दिलाऊंगा जहां कि भोटिया व पिछड़े लोग बसे हुये हैं। वहां के स्थायी निवासी ऐसे हैं जो पिछड़े हुये हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा कि कश्मीर में शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया गया है, अगर यह एरिया भी शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाय तो उनको समानता मिलेगी और वे सुविधायें भी उनको उपलब्ध हो सकती हैं। एक सब से बड़ी दिक्कत यह है कि हरिजनों और पिछड़े हुये समाज के उत्थान के लिये जिला हरिजन समितियों का पुनर्गठन किया गया है, उससे कोई फायदा स्थानीय जनता को, वहां के समाज को, नवयुवकों को, बेरोजगारों को नहीं हो रहा है। इसके लिये, मान्यवर, मैं आपके द्वारा शासन से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इन जिला हरिजन समितियों को, अगर समाज उत्थान की बातें करनी हैं तो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरों के बजाय उनमें स्थानीय हरिजन विधायक रखे जायं। स्थानीय विधायकों को सभापति बनाया जाय और पी०सी०एस० को सेक्रेटरी बनायें तो सहानुभूति पूर्वक वे कुछ कार्यवाही कर सकेंगे। क्योंकि जहां तक जिला मैजिस्ट्रेट का सवाल है, उनके पास इतना काम रहता है कि वे उतना समय जितना कि देने की आवश्यकता है, उतना नहीं दे पाते हैं। जो अनुदान उनको दिया जाता है उस अनुदान के लिये मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उसके ७५ फीसदी का दुरुपयोग होता है। उसका कारण यह है कि जिला हरिजन कमेटियों को जो अनुदान दिया जाता है, उसमें जिला हरिजन अधिकारी एक गजेटेड आफिसर होता है लेकिन उसको क्षेत्र विकास अधिकारी के नीचे रखा जाता है इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बी० डी० ओ० के नीचे जो लोग होते हैं, ग्राम सेवक आदि वह उस अनुदान के बारे में वेरीफिकेशन करे, उससे कोई फायदा नहीं होता।

यों तो हरिजनों के बजट में काफी रुपया रखा जाता है। उनकी आवास व्यवस्था के लिये आप रुपया दे रहे हैं और वह रुपया जिले के हिसाब से बांट दिया जाता है। घरों के लिये आप जो रुपया देते हैं उसमें १००० रुपया हरिजनों को मिल नहीं पाता है। मेरा सुझाव यह है कि व्यक्तिगत अनुदान देने के बजाय अगर आप कम से कम ८-१० परिवारों की जहां बस्ती है वहां पर एक कालोनी उनको बसा दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अगर आप इन लोगों को सच्चे दिल से रोजगार देना ही चाहते हैं तो जिला अधिकारी से मालूम कीजिये कि प्रत्येक जिले में इसी सन् में जनवरी से अब तक कितने स्थान अस्थायी या स्थायी भरे और उनमें से कितने पर हरिजनों को रखा गया। जो रिजुएट हरिजन लोग हैं उनको भी नहीं रखा गया है। जहां तक समितियों का सवाल है उनमें एक तिहाई पिछड़ी जनता का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। लेकिन जब पूरे रूप में उनको प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया जाता है तो भलाफिर वे कैसे हरिजनों का भला कर सकते हैं।

कई वर्ष पूर्व हरिजन निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर सोशल वर्कर्स रखे जाते थे। २-३- साल से उनको अलग कर दिया गया है। पिछड़े समाज के उत्थान में इनको फिर से रख लिया जाय तो बहुत से हरिजनों की इससे बड़ी भारी सेवा होगी।

[श्री इन्द्र लाल]

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको कार्यरूप में पारित करने की कृपा की जाय ।

*श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जब भी माननीय सदन में अनुसूचित जातियों के बारे में कोई बहस शुरू होती है तो यह देखने में आया है कि हर सदस्य इस बात को बताता है कि यह वर्ग पिछड़ा हुआ है। हर माननीय सदस्य इस बात को महसूस करता है कि हरिजन वर्ग पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब यह सवाल उठता है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन है तो कोई भी दल आज तक यह दिल खोल कर महसूस नहीं कर पाया कि वह इसके लिये जिम्मेदार था। हर दल शासन में शामिल हो चुका है और हर दल इसके लिये जिम्मेदार है लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिये तैयार नहीं है । चाहे कोई सरकारी पक्ष का हो अथवा विरोधी पक्ष का हो, इस बारे में उनके चरित्र में कोई अन्तर नहीं है, केवल नाम का अन्तर है । एक नागनाथ हैं तो दूसरा सांप नाथ । हरिजनों के लिये दोनों ही विषधर हैं । वही कारण है कि अभी तक यह वर्ग हर मानी में अभी तक पिछड़ा हुआ बना रह गया है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ।

इससे पहले जो सरकार माननीय चरण सिंह जी की थी और जिनकी पार्टी के सदस्य माननीय महीलाल जी ने कुछ सुझाव भी दिये थे । मैं उनके सुझावों से शतप्रतिशत सहमत हूं लेकिन उनके राज्यकाल में हरिजनों के ऊपर जितना दमन हुआ उतना और किसी के काल में नहीं हुआ । उनके जमाने में एक डाकू अभियान चलाया गया था । लेकिन डाकुओं के नाम पर हरिजनों की जो पिटाई हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । अगर उन लोगों के नाम गिनाऊं तो बात बहुत बढ़ जायगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस पक्ष के लोगों से उम्मीद करूंगा कि अगर यह दल नहीं कर सका तो कोई कारण नहीं है कि आप जिम्मेदारी से भाग जायं। आपको करना चाहिये। जनता ने आज बता दिया है कि उधर जो लोग बैठे हुये हैं वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । आप अपने चरित्र को अपने व्यवहार को आज से बदलिये । पहले वाले अपने व्यवहार को छोड़िये । मैं गरीब घराने से आया हूं इसलिये मैं जानता हूं कि मंत्री जी के पास जब से यह पोर्टफोलियो है जब लोगों के दिल में शक पैदा हो सकता है, भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि उनके नाम के आगे राजा शब्द लगा हुआ है । राजा हमेशा प्रजा का शोषण किया करता है। इसलिये लोगों में शक पैदा हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसको दूर करने की कृपा करें । अगर बिल्ली को चूहे का रक्षक बनाया जायेगा तो वह उसकी रक्षा नहीं करेगी बल्कि उसका भक्षण करेगी । इस लिये इसकी सफाई मंत्री जी व्यवहार रूप में दें।

आज तक जो काम किया गया है उससे अलग तरीके से, असली रूप देकर ऐसा व्यवहार दिखायें जिससे यह समाज आगे बढ़ सके । माननीय महीलाल जी ने जो सुझाव दिया है वह बड़ा अच्छा है । यदि इस पर अमल किया जायेगा तो साल भर में परिवर्तन आ सकता है। पहला सवाल नौकरी का है । चाहे जिले के अधिकारी हों या सूबे के अधिकारी हों अगर उनके अधीनस्थ नौकरियों में इनका कोटा पूरा नहीं होता है तो उनकी चरित्र पुस्तिका में एंट्री होनी चाहिये। मंत्री जी २--४ अधिकारियों को सस्पेंड करें और उनको बतायें कि तुम को इन कारणों से मुअत्तल किया जा रहा है । अगर ऐसा वे करेंगे तो क्या मजाल है कि इनका कोटा पूरा न हो । आप यहां कानून बनाते हैं लेकिन जिला के अधिकारी उसका पालन कराते हैं तो वे जानते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारे ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा सुझाव यह है कि जो छात्रवृत्ति आप शिक्षा के लिये देते हैं वह एक मात्र उनका सहारा है। उसका रेट बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसको बढ़ायें तभी उनको सुविधा हो सकती है। जमीन को जो मुख्य समस्या है उसमें आप आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं लेकिन जितना आपके अधिकार में है उसे तो करें। गांव समाज की जितनी जमीन है वह सुरक्षित रखी जाती है उसका बंधन आप अगर तोड़ दें और सारी जमीन बिला किसी रोक टोक के प्रधान के अधिकार से लेकर उसको एक जगह बैठकर जो भूमिहीन हैं उनमें ईमानदारी से बंटवा दें तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। लेकिन यह आज तक नहीं किया गया।

अपने प्रदेश में जो नसबन्दी चल रही है उसमें इन लोगों को जमीन का लालच देकर बधिया किया जा रहा है। चाहे चकबन्दी विभाग हो, तहसील वाले हों, पंचायतवाले हों, यानी कोई भी हों, आप लोग गांवों में जाकर देखिये। हम लोग जो गांवों के रहने वाले हैं और गरीब समाज से आये हैं, हम लोग जानते हैं कि उनको यह लालच दिया जाता है कि अगर तुम नसबन्दी करा लोगे तो तुमको २–४ बीघे जमीन दे दी जायेगी और वह गरीब जमीन के लालच में ऐसा काम कराने के लिये तैयार हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि यह लालच देना छोड़ कर आप जमीन का बटवारा करें तो जो आपके नाम के सामने कलंक है, मैं समझता हूं कि यह गरीब जनता सोचेगी कि जो काम हरिजन विभाग में रह कर डाक्टर सीताराम नहीं कर सके वह राजा साहब ने किया है, यह सचमुच गरीबों के शोषक नहीं हैं बल्कि उनके रक्षक है। अगर वह यह काम करेंगे तो हमेशा के लियें गरीब समाज में अमर हो जायंगे।

दूसरे जो गांवों में उनकी परिस्थिति है, मजदूरी का जो सवाल है, तो यह वर्ग मजबूर हो कर अपना परिश्रम बेचता है। लेकिन जो आज उनकी सामाजिक हालत गांवों में है वह मानवता के खिलाफ है। जो रात दिन दूसरों के यहां काम करता है, वह अपनी मजदूरी मांगने का भी हकदार नहीं है कि इतने उचित रेट पर हम आपके यहां मजदूरी करेंगे वरना नहीं। उसको आज मजबूर करके काम कराया जाता है। जो जहां कहीं यह आवाज उठती है यह समझ कर कि यह देश आजाद है, हम भी आजाद, हैं, वहां उनको बहुत मारा पीटा जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं है।उनके जिले में जो लोग मजदूरी करते हैं उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्त्ताओं को पुलिस द्वारा पीट पीट कर जेलों में बन्द किया गया है, आजभी बन्द है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आज तक जो काम हुआ है उससे अलग व्यवहारिकरूप से काम कर के हरिजनों को ऊपर उठायें। इस सरकार के प्रति आज गरीबों को इतनी आस्था हो गयी है फिर अगर आप यह काम नहीं करेंगे और आपका वही चरित्र रहा जो पिछली सरकार का रहा है तो अब वस समय नहीं है, देश का गरीब आग रहा है, वह समझ रहा है कि उसको वैसे धोखा दिया जा रहा है और आपकी हालत भी वही होगी जो पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों की हुई।

इन शब्दो के साथ मैं मंत्रीजी से पुनः निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैं दे रहा हूं उन पर गम्भीरता से विचार करके हरिजनों की मदद करने की कृपा करें।

श्री देव राम (जिला गाजीपुर)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरिजन विभाग मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान की योजनाये चलाती है। प्रारम्भिक शिक्षा, आर्थिक विकास, आवास, स्वास्थ्य तथा अन्य परियोजनाये बजट में वर्णित हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में बजट देखने से पता चलता है कि पोस्ट मैट्रिक क्लासेज में जितना भी खर्च है वह केन्द्रीय सरकार अनुदान स्वरूप देती है। राज्य सरकार अपने साधनों से कोई भी अनुदान पोस्ट मैट्रिक क्लासेज के लिये नहीं देती है। जब कभी कोई लड़का इंटरमीडिएट, बी० ए० या एम०ए० में फेल हो जाता है तो उसको फीस की सुविधा राज्य

[श्री देवराम]

सरकार द्वारा नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि इन छात्रवृत्तियों का आधार गरीबी है। यदि वह किसी वजह से, वजीफा समय पर पान की वजह से, घर में बीमारी की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से फेल हो जाता है तो दूसरे साल पोस्ट-मैट्रिक क्लासेज में राज्य सरकार को अपने साधनों से उसकी पढ़ाई निःशुल्क करनी चाहिये। क्योंकि अमीर आदमी के लड़के २, ४ बार फेल होने के बाद भी अपना नाम लिखाकर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से गरीबी के सिद्धान्त को मानकर उनकी फीस माफ की जाती है और छात्रवृत्ति भी दी जाती है तो कम से कम एक मौका राज्य सरकार को उन्हें देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार पर भरोसा न रखकर अपने साधन से पोस्ट मैट्रिक क्लासेज के लड़कों को फीस माफी की सुविधा प्रदान करनी चाहिये। जहां तक इन छात्रों को वजीफा देने का सवाल है आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता में एक हरिजन मूल्यांकन समिति गठित की गई थी जिसने हरिजन छात्रों के वेतन सम्बन्धी सहायता को बढ़ाने की अपनी सिफारिश की थी लेकिन अभी तक किसी सरकार ने भी जो यहां पर बनती रही है उसकी सिफारिशों को कार्यान्वयन नहीं किया है। २७ रुपया बी० ए० के छात्रों को वजीफा दिया जाता है। इस महंगाई के जमाने में यह धनराशि बहुत हीं कम है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस हरिजन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को लागू करे।

जहां तक भूमि सम्बन्धी सुविधा हरिजनों को देने का सवाल है ये हरिजन बहुधा खेतिहर मजदूर हैं। इनके भूमि देने के बारे में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो प्राथमिकता है वह बहुत बाद में दी गई है। मैं चाहता हूं इनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय जिससे हरिजनों को जमीन प्राप्त हो सके और ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसमें भूमिहीन, हरिजन मजदूर शब्द को ही शामिल करना चाहिये और रेविन्यू ऐक्ट के अन्दर उसी प्रकार से संशोधन करना चाहिये। बहुत से हरिजन बेगार में पकड़ लिये जाते हैं जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे जबरिया बेगार ली जाती है। इस मौजूदा सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे फोर्स्ड लेबर लेने का कोई प्रयत्न न कर सके। यदि सरकार विधायन द्वारा फोर्स्ड लेबर को दस्तन्दाजी को कानून घोषित करे इस प्रकार की रिपोर्ट हो तो थानेदार उसकी जांच कर सके और उसको सजा दिलाई जा सके। आज देखा जाता है कि जमीन से बेदखल करने व हरी बेगार लेने के लिये फर्जी मुकदमे दायर कर दिये जाते हैं। जहां कहीं भी इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो हरिजनों पर फर्जी मुकदमे चलाते हैं ताकि हरिजन अपनी जमीन से इस्तीफा देने के लिये बाध्य हो सकें। इसलिये सरकार जिला स्तर पर कोई ऐसी समिति जिलाधीश के अन्तर्गत गठित करे जो यह जांच करे कि इस तरह से ज्यादती तो नहीं हो रही है। इसलिये सरकार को किसी ऐसे कानून की व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे इन लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे बाहर से चलाये जाते हैं उनसे इन गरीबों को मुक्ति मिल सके।

जहां तक उद्योग का सवाल है बहुत से हरिजन लड़के टेक्नीकल ट्रेनिंग लेकर अपने घर पर बैठे हुये हैं। इनके पास कोई साधन नहीं है कि कोई काम शुरु करके अपनी जीविका चला सकें। ऐसी स्थिति में सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह इनके लिये लांग टर्म लोन की व्यवस्था करे। बैंक नेशनलाइज होने के बाद से सरकार को इनके लिये ४,५ हजार रुपये तक की गारन्टी लेनी चाहिये क्योंकि इनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है और न कोई साधन है जिसके बदले में देकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकें। इसलिये इस विषय में सरकार को आगे आना चाहिये और हिम्मत के साथ सरकार को गारन्टी लेनी चाहिये भले ही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से या सरकारी और किसी संस्था से इसकी जांच करा ली जाय कि अमुक

व्यक्ति किस ट्रेड में शिक्षित है और वह काम कर सकता है। जब तक उनके उत्थान के लिये ठोस कार्यवाही नहीं की जायगी तब तक वे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते और न समाज में बराबर आ सकते हैं।

बार बार यहां सर्विसेज में उनके प्रतिशत के बारे में सवाल उठते हैं और सरकार उनका उत्तर देती है कि वह सेवा के उपयुक्त नहीं पाये गये इसलिये उसको स्थान नहीं मिले। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा राधा कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट की तरफ, इस रिपोर्ट में उन के विषय में ५१ मुख्य सिफारिशें की गई थीं, उनमें से केवल एक सिफारिश ही सरकार ने मानी है और न पिछली सरकारों ने ही उन सिफारिशों को माना है। केवल एक सिफारिश कि जब तक उन का १८ प्रतिशत पूरा न हो तब तक उगका २५ प्रतिशत आरक्षण क्लास ३ सर्विसेज में रहेगा और चतुर्थ श्रेणी में जब तक उनका १८ प्रतिशत पूरा न हो तब तक उसमें उनका आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेगा, मानी गई है। परन्तु बहुत दुख की बात है कि आज तक जिलों को इस प्रकार की सूचना कोई अप्वाइंटिग अथारिटीज को नहीं भेजी गई है कि जिस की वजह से क्लास ३ में २५ प्रतिशत तथा क्लास ४ में २५ प्रतिशत का आरक्षण हरिजनों को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिये सरकार हर जिले के अप्वाइंटिंग अथारिटी के पास, जिला धीश और विभागीय अध्यक्षों के पास एक सरकुलर भेजे और आदेश दे कि इन नियमों का और इस आरक्षण का सख्ती के साथ पालन किया जाय।

जहां तक हरिजनों के आरक्षण की पूर्ति का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार की होम मिनिस्ट्री के एडीशनल सेक्रेटरी श्री एम० आर० ग्रार्डी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें एक हाई पावर कमेटी के निर्माण की सिफारिश की गई थी और उस पर होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को लिखा भी है कि वे अपने यहां एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल की समिति का निर्माण करें जो हर विभाग से रिपोर्ट मंगाया करे कि विभाग की नियुक्तियों में कितनी नियुक्तयां परिगणित जातियों की की गई और कुल साल में कितनी हुई और उनका कितना प्रतिशत रहा और यह उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट हर राज्य के विधान सभा में पेश करे और उस पर वहां विचार हो।

इसके अलावा लोक सभा की एक और समिति केन्द्र में बनी है कमेटी आन वेलफेयर आफ शिड्यूल कास्ट एन्ड शिड्यूल ट्राइब्स, उसकी यह चौथी रिपोर्ट मेरे पास है। इस समिति के एक सभापति होते हैं, २० लोक सभा के सदस्य, १० राज्य सभा के सदस्य, एक डिप्टी सेक्रेटरी और एक अन्डर सेक्रेटरी होते हैं। इसी तरह की एक समिति का निर्माण विधान मंडलीय स्तर पर किया जाना चाहिये ताकि यहां भी जो आरक्षण है वह कार्यान्वित हो सके। जिस तरह से हमारे यहां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समिति है और अन्य समितियां हैं उसी तरह से एक विधान मंडलीय समिति कौंसिल और विधान सभा के सदस्यों की गठित की जाय जो सरकार के सारे विभागों के अध्यक्षों को बुलाकर उनका साक्ष्य ले सके और उनसे मालूम कर सके कि इनके आरक्षण का प्रतिशत क्यों पूरा नहीं हुआ और वह समिति अपनी रिपोर्ट सदन की मेज पर हर वर्ष रखे और उस पर सदन विचार करें। केन्द्र में इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हर मंत्रालय में एक सम्पक अधिकारी रखा हुआ है और हर विभाग में लियाजां आफिसर रखे गये हैं जो साल भर तक नीच के स्तर से सारी रिपोर्टस मंगाते रहते हैं और वह रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी जाती हैं। जब तक इसी तरह की कोई व्यवस्था यहां भी नहीं होगी तब तक यह आरक्षण कागज पर ही रहेगा और पूरा न हो सकेगा।

इसी सम्बन्ध में मैं कमिश्नर शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स ने ६५–६६ की रिपोर्ट में १४ सिफारिशें की हैं वह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

[श्री देवराम]

The Government of Gujrat have issued instructions to all the Heads of Departments and Officers that if any instance in which reservation orders are not followed comes to the notice of the State Government, the Officers concerned will be held personally responsible for the omission This salutary step should be taken not only by all other State Governments but also by the Government of India."

(गुजरात सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को अनुदेश प्रसारित किया कि यदि कोई भी उदाहरण जिसमें आरक्षण आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। राज्य सरकार के समक्ष आयेगा तो सम्बन्धित अधिकारी आरक्षण के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यह स्वस्थ कदम, केवल सभी राज्य सरकारों को ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी उठाना चाहिये।)

यदि विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी आरक्षण की पूर्ति नहीं करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से दायित्व उनके ऊपर होगा।

हरिजन विभाग में हरिजन कर्मचारी बीसों वर्षों से काम कर रहे हैं पर उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है। नये लोग केवल ८-९ महीनों से ही काम कर रहे हैं, दो दो, तीन तीन प्रोमोशन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो हरिजन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फील्ड वर्क कर रहे हैं, उनको अधिकारियों, इन्सपक्टरों या ए० डी० ओ० के पदों पर नियुक्त किया जाय। इस विभाग में क्लर्कों को तो जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, सुपरवाइजर बना दिया जाता है लेकिन जो लोग २०-२०, २१-२१ साल से काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं यहां पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और सरकारी पक्ष से भी अपील करता हूं कि वे भी इसका समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विभाग में ३-४ साल पहले जो ८ परसेन्ट का रिजर्वेशन होता था, वह अब घटा कर ७ परसेन्ट कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जहां तक स्टाफ का प्रश्न है २-२ या ३-३ सुपरवाइजर ब्लाक स्तर पर रखे जायं और हर ब्लाक स्तर पर एक ए० डी० ओ० की पोस्ट हरिजनों के लिये आरक्षित रखी जाय। गत वर्षों में यहां पर एक समिति आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता में गठित हुयी थी, अनुदान वितरण के सम्बन्ध में। मैं चाहूंगा कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसे उसी रूप में माननीय मंत्री जी कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे। हरिजन विभाग की ओर से एक समिति राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में गठित हुयी थी, उसने जो सिफारिश की हैं उनके आधार पर नियुक्ति की प्रतिशत पूरी कराने का प्रयास करेंगे।

(इस समय ३ बज कर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके उपरान्त माननीय बल्देव सिंह आर्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुयी। मेरी माननीय मत्रीजी से प्रार्थना है कि उसने जो सिफारिशें की थीं उनको भी पूरा करने की कृपा करेंगी। मैं नहीं समझता हूं कि हरिजनों के बारे में कभी कैबिनेट में चर्चा हुयी ोगी और न वहां पर इस प्रश्न के बारे में मौका ही मिला होगा। मैं चाहूंगा कि वे हरिजनों ी समस्या के सम्बन्ध में कैसे इसे सुलझायेंगे, इस पर कैबिनेट स्तर पर विचार करें जैसे कि हले राजा शासन के नाम पर थे फिर क्रांतिकारी प्रजा के राजा कहलाये जाने में सफलीभूत हुए। हमारी बेगम साहिबा तो क्रान्तिकारी हैं परन्तु मुंह से कह नहीं पाती हैं,

वे इस क्रांतिकारी आवाज को, हरिजनों के संरक्षण को, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये अपने सुझाव मंत्री जी को देगी और कैबिनेट द्वारा कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि सरकार द्वारा जो मजदूरी की घोषणा की गयी है, उस के लिये न तो कोई विधेयक ही लाया गया है और न सरकार ने कोई कार्यक्रम ही रखा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो मजदूरी वाला विधेयक है उसे लाया जाय ताकि देहात में काम करने वालों को मजदूरी लेने का आधार बन सके। और उस आधार पर उसके द्वारा रात दिन जो वे कुचले जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मजदूरी नहीं दी जाती उसके आधार पर वह सब उनको मिल सकें। दूसरी बात यह है कि हरिजन विभाग के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है। न ही उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस विभाग को मैजिस्ट्रैरियल या निरीक्षण अधिकार दिये जायं जिससे सरकार उनके आधार पर अपनी कार्यवाही कर सके। इस विभाग के लिये जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाय जिससे हरिजनों के प्रति जो अन्याय किया जाता है या जो उनका अनुपात है उसके आधार पर वह कार्यवाही करे। प्रदेश में एक आयोग गठित किया जाय और उसकी जो सिफारिशें हों उसको जिला स्तर पर प्रदेशीय स्तर से पूरा किया जाय। हमारे इस विभाग द्वारा हरिजनों को अनुदान या कूप निर्माण सम्बन्धी अनुदान मिलती है उसकी व्यवस्था वितरण की बड़ी गन्दी है।

हम बीस साल से देख रहे हैं कि इससे न हरिजनों को लाभ हुआ है और न होने वाला है। हम मंत्री जी से कहेंगे कि इस सम्बन्ध में वे नीति बनायें और अनुदानों के सही वितरण की योजना बनाकर जिले के विधायकों की मीटिंग बुलाकर योजना बनाई जाय। मैं कह सकता हूं कि आज सरकार ने कोई भी सर्वेक्षण नहीं कराया होगा। इसकी सूची विभाग के पास नहीं होगी। हम चाहेंगे कि इसका तुरन्त सर्वेक्षण कराया जाय। जैसे उद्योग सम्बन्धी अनुदान है जो चमार है, वह चमड़े का काम कर सकता है, जो कोरी है वह कपड़े का काम कर सकता है और इसी तरह से मेहतर आदि हैं वे अपने अपने काम कर सकते हैं। इसकी कोई सूची विभाग के पास नहीं है। इसकी ब्लाकवाइज सूची तैयार कर ली जाय और उसके आधार पर हरिजनों को और मजदूरों को सहयता दी जाय जिस से इन्डस्ट्री बढ़ाई जा सके। सहायता क्या होती है कि वह इनेगिने हलवाहों और चरवाहों की दे दी जाती है। हम चाहते हैं कि इसका सही उपयोग हो और इसका भी सर्वेक्षण कराये जो कूप निर्माण की बात है इसमें अभी भी सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाता है इसकी पूर्ति नहीं हुई है। इसका सर्वे न गांव वाइज और न ब्लाक वाइज ही किया गया है कि कितने गांवों में हरिजनों के कुएं बना दिये गये हैं और कितने शेष हैं जिससे हम लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ सकें।

ऐसे बहुत से गांव और मोहल्ले हैं जिनमें हरिजनों को पानी पीने की सुविधा नहीं है। उनका सर्वे कराया जाय। इसी तरह से जो गांव की आबादी है उसका सर्वे कराया जाय कि कौन से गांव निचले हिस्से में हैं जहां हरिजनों की आबादी है क्योंकि आबादी घनी होने के कारण उन्हें उठने बैठने और चर्चा करने का भी अवसर नहीं होता। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपनी राय मुख्य मंत्री को देंगे और उसे विधेयक में सम्मिलित करायेंगे कि उनके रहने की जो समस्या है उसको हल कर दें। उनको मकान बनाने के लिये जमीन ही दे दें। कोई प्लाट हों उनको एवबायर कराकर उनको दिला दें। अगर उनके लिये मकान न बन सकें तो एक स्वच्छ स्थान पर वे अपनी मड़ैया डालकर ही रहने की व्यवस्था कर लें। हम चाहते हैं कि हरिजन विभाग की तरफ से इसकी भी व्यवस्था हो।

दूसरी बात, हरिजन विभाग की तरफ से जो पुस्तकालय चलाये जाते हैं उनमें से ९० प्रतिशत हरिजन बस्तियों में नहीं चलते हैं। बुद्धिजीवी और होशियार लोग इस ग्रान्ट

[श्री इन्द्रजीत]

को ले जाते हैं। इसी तरह से जो विद्यालयों को छात्रावास दिये जाते हैं, कोई भी छात्रावास नहीं चलता, वहां कोई छात्र नहीं रहता। मुफ्त में ग्रान्ट खा जाते हैं। तो यह जो क्रान्तिकारी कही जाने वाली सरकार है, इन सब चीजों को देखे। जो शोषण करने वाले लोग हैं--बेगम साहब आप तो नबाव रही है, आप गरीबों की बात क्या जाने। लेकिन आपके दिल में जरूर है, आप मुंह से नहीं कहतीं। तो इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया जाय और ब्लाक कमेटी में, प्रधानों में भी रिजर्वेशन हो।

गृह निर्माण के लिये जो सरकार के द्वारा रुपया दिया जाता है, उसका भी उपयोग नहीं होता। जो हरिजनों के साथ अन्याय किया जाता है उसके लिये जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जाय और उसके द्वारा डी० एम० और एस० पी० को राय दी जाय और उसी के आधार पर कार्य हो। हरिजन लोग अपने हरिजन अधिकारी को या विधायक को रिपोर्ट देते हैं, वह रिपोट पड़ी रहती है, उसकी जांच नहीं होती है। अगर जिला स्तर कमेटी होगी तो क्या कायवाही हुई, कितनों को सजा दी गयी इस बात को वह देख सकते हैं।

दूसरी बात, जिला स्तर पर ऐसी कमेटी भी गठित की जानी चाहिये जो हर जिले में औद्योगिक अनुदान की व्यवस्था को देखे। जैसे हर जिले में दस आदमियों को उद्योग देने की बात होती है तो उसको उनमें वितरित न करके सरकार के द्वारा ही उद्योग चलाये जायं और दस की जगह पांच आदमियों को उसमें नियुक्त किया जाय आप अगर दस आदमियों को वह पैसे देते हैं तो उनमें से केवल २-३ ही काम कर पाते हैं। अगर नौकरी के रूप में उनको नियुक्त करेंगे तो एक व्यक्ति नियुक्त होने पर चार आदमियों की बेरोजगारी समाप्त होगी। इस प्रकार बेरोजगारी दूर करने में एक बड़ा योगदान होगा। सरकार करोड़ों रुपया इसमें खर्च करती है लेकिन एक प्रतिशत उद्योग भी नहीं चल रहे हैं। इस रुपये को इस तरह से खर्च करगे तो काफी लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आपने हरिजन कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं। हरिजन कल्याण बजट पर सरकारी पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा बहुत सी बातें कहीं गयी हैं। हिन्दुस्तान को आजाद हुये २३-२४ वर्ष बीत गये हैं और इन वर्षों में हरिजन कल्याण की दुहाई देने वाले, प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले तथा समाज में सुधार लाने वाले नेता हर बजट में सफाई देने की कोशिश करते रहे हैं कि हम हरिजनों के लिये फलां-फलां काम करेंगे और उनके कल्याणार्थ अनेकों योजनायें बनायेंगे, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सारी बातें कपोल कल्पित रही हैं। आजादी के पश्चात् से इन २३-२४ साल की लम्बी अवधि में हरिजनों तथा खेतिहर मजदूरों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है।

(श्री बांके लाल द्वारा कुछ कहने पर)

बांके लाल जी, बैठिये, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं।

सरकार के विभागों का कार्य मुझे देखने का अधिक अवसर मिला है और मैंने देखा है कि उनमें बहुत सी गड़बड़ियां होतो रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि उनमें सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है सिवाये इसके कि सच्चाई पर पर्दा डाला गया हो। उनकी सारी कार्यवाहियों में दुनिया भर की खुराफात भरी हुयी है। हर जगह हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और अनेकों जुल्म वे लोग सहन कर रहे हैं। उनके जुल्मो-सितम की कहानी मैं आपको कहां तक सुनाऊं। सरकार ने उनके उत्थान के लिये बजट

में कुछ रकम रखी है। विरोधी पक्ष कहता है कि सरकार ने इस मद में करोड़ों रुपया रखा है और वे कटौती का प्रस्ताव लाये हैं। मान्यवर, बड़े-बड़े लोगों को ऐशोआराम के लिये अरबों-करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हरिजनों के कल्याण के लिय तो सरकार ने कुछ ही धनराशि रखी है और इसको भी लोग दूसरे ढंग से सोचने लगे हैं। देहात में बदमाशों का बोलबाला है।

मैं बी० के ० डी० पर चार्ज लगाना चाहता हूं। बी० के० डी० की गवर्नमेन्ट ने गुन्डा ऐक्ट पास किया। गुन्डा ऐक्ट के पास हो जाने के बाद जमींदारों की साजिश से और पुलिस की साजिश से और जातिगत भावना से इस ऐक्ट में गरीब और हरिजनों क. चालान किया जाता है, ऐसी मिसाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक हरिजन नेता थे। उनको पुलिस ने जमींदारों की साजिश से गोली मार दिया और कह दिया गया कि डाकू मारा गया। मैं बी० के० डी० के लोगों से पूछना चाहता हूं। जिला आजमगढ़ में मोहम्मदाबाद थाना है और उसके अन्तर्गत कोरमा नामक गांव है। वहां पर एक हरिजन लड़का कक्षा १० में पढ़ता था। अभी तो वह बेचारा विद्यार्थी ही था और उसके विद्यार्थी जीवन में ही वहां के थानेदार ने जमींदार के कहने पर उसका चालान दफा १० में कर दिया। इसलिये कि जो थानेदार है वह गांव के बड़े लोगों से मिला हुआ है और उनके कहने पर यह बात हुई है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सारी कार्यवाही जो भी चल रही है, सरकार के पास जब कभी भी कोई शिकायती आवेदन-पत्र भेजा जाता है, कोई फरियाद की जाती है तो यहां की सरकार बराबर उन्हीं अधिकारियों के पास जांच करने के लिये भेजती है। नतीजा यह होता है कि पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी उन हरिजनों को तबाह करने की कोशिश करते हैं और उनको तरह तरह के मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यहां पर हरिजनों के लिये तरह तरह की चीजें कह कर लम्बे चौड़े भाषण दिये जाते हैं। लेकिन आजादी आने के बाद हरिजन कल्याण के नाम पर जो भी कानून की नौटंकी गरीब हरिजनों के साथ खेली गयी उससे प्रदेश के हरिजनों का कोई फायदा नहीं हुआ, बार-बार कहा जाता है कि हम तुम्हारे लिये कल्याण करने जा रहे हैं, हम कल्याणकारी कदम उठाने जा रहे हैं लेकिन एक रत्ती भी काम नहीं हुआ।

जहां तक गरीबों को, हरिजनों को, भूमिहीनों को जमीन देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनके अनुदान देने की बात हो, चाहे जो कुछ भी हो नहीं के बराबर काम हुआ है। आजादी से पहले कहा गया था कि आजादी आने पर गरीबों को जमीन मिलेगी, सभी लोग खुशी से रहेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये सारी बातें हुई ? जमींदारी हटने पर एक इंच भी जमीन गरीबों को नहीं मिली। उन्हीं जमींदारों को जिन के पास काफी जमीन थी, उन गरीबों से मुआविजा लेकर जमींदारों को बांटा गया। जितने ताल्लुकेदार थे, जितने राजे महाराजे थे, जितने जमींदार थे, उनको एक इंच जमीन भी नहीं बंटी, उल्टे उनको मुआविजा मिल गया। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं कि चकबन्दी अधिकारियों द्वारा गरीबों के ऊपर बड़ी जबरदस्त डकैती डाली गयी है। जिन हरिजनों के पास एक बीघा, दो बीघा जमीन थी उनकी जमीन की मालियत कम करके जमींदारों के नाम कर दी गयी है। और बड़े काश्तकारों के जमीनों की ऊंची मालियत करके गरीबों के सिर मढ़ दी गई। नतीजा यह हुआ है कि जिन हरिजनों के पास १ बीघा जमीन थी, दो दो बीघे जमीन थी वह घट कर १५–१६ बिस्वा ही रह गयी है और जिनके पास २००–३०० बीघे जमीन थी वह उससे बढ़ कर ४००–५०० बीघे तक हो गयी है।

[श्री श्याम लाल]

इसी तरह से सन् ६० से लेकर सीलिंग से निकाली गयी जमीन जो गांव समाज की भूमि है उसे गरीबों के अन्दर बांटने की बात की जाती है लेकिन गरीब आदमी कोई जमीन नहीं पाता। जो पैसे वाले बड़े लोग हैं, वे लेखपालों से व अन्य अधिकारियों से मिलकर पैसा खर्च करते हैं और उनको वह जमीन मिल जाती है। अगर आबादी के पास, हरिजन बस्ती के पास कोई गांव समाज की जमीन है जिसमें हरिजन अपने बैलों के लिये नांद व खूंटा गाड़ना चाहता है तो लेखपाल उसके ऊपर ११५ सी० के अन्तर्गत रिपोर्ट कर उस पर जुर्माना करा देता है और सारी की सारी कार्यवाही उसके खिलाफ होती है। और अगर ग्राम समाज की १०-१५ एकड़ जमीन पर कोई बड़ा आदमी का कब्जा है तो उनके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यह हरिजन कल्याण विभाग है, संयोग से आज हमारे राजा और रानी साहिबा के हाथों में है और रानी और राजा की प्रथा जो हमारे मुल्क में रही है उसको देखते हुये मैं कभी भी यह विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि इनके द्वारा कोई कल्याण होगा। इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो कहानी कही गई वह अब नहीं चलेगी। नानी और दादी के द्वारा यह कहानी कही जाती थी कि राजा राज करते थे और प्रजा सुखी रहती थी। अगर राजा राज करेगा तो प्रजा सुखी नहीं रहेगी। यह बेढंगी बातें छोड़नी पड़ेंगी।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री महीलाल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जब तक स्वर्गीय पन्त जी हमारे मुख्य मंत्री रहे तब तक वह इस अनुदान पर होने वाली बहस पर हमेशा उपस्थित रहे लेकिन दुर्भाग्य से बहस के इतनी देर तक चलने के बाद भी वर्तमान मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। १९६१ की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में हरिजनों की संख्या २१ प्रतिशत है और पिछड़े वर्ग की ५० प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में ७५ प्रतिशत से अधिक हरिजन और दूसरी पिछड़ी जातियां हैं।

मान्यवर, चकबन्दी में यह निश्चित हुआ है कि हम निकाली हुई जमीन हरिजनों और भूमिहीनों को देना चाहते हैं। चकबन्दी चल रही है लेकिन अगर हरिजन का घर खेत में आ गया है तो हमारे चकबन्दी के जो अधिकारी हैं उनको यह अधिकार नहीं है कि उनके (आबाद व्यक्ति के) नाम में आबादी लिख दिया जाय। नतीजा यह होता है कि वह जमीन हरिजन या पिछड़े वर्ग वालों को मिल नहीं पाती है। वह न सही रूप में वोट दे सकता है और न अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसमें परिवर्तन करें क्योंकि यह अधिकार चकबन्दी अधिकारी को न होने के कारण लोगों को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। लिहाजा यह अधिकार चकबन्दी अधिकारी को देना चाहिये अगर सरकार की नीयत साफ है। सीलिंग की जमीन जो हरिजनों या भूमिहीनों के पास है वह उनको मिल आना चाहिये। भू-अभिलेख में इस तरह से कब्जा लिखा होने से उनको जमीन मिल नहीं सकती है। मेरा यह भी कहना है कि शहर में जिस तरह से गुन्डों पर नियंत्रण के लिये ऐक्ट है उसी तरह से हरिजनों और भूमिहीनों को जमीने दिलाने में फोर्स होना चाहिये। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो जमीन का पट्टा हरिजन या भूमिहीन के नाम में होगा लेकिन कब्जा किसी दूसरे का होगा।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। हरिजन अनुदान से जो फायदा होता है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्ति जाति और पिछड़ी जाति के मोमिन अन्सार को फायदा पहुंचता है। मोमिन अन्सार लोगों को सभी बातों में फायदा नहीं मिलता है इस लिये मेरी प्रार्थना है चूंकि उनकी संख्या अधिक नहीं है, उनको सभी बातों में लाभ पहुंचाया जाय कांग्रेस में मैं भी एक सदस्य की हैसियत से था। जो लोग मंत्रिमंडल में हैं चाहे वह इधर बैठे हों या उधर बैठे हो, उनकी हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन न मिलने में जिम्मेदारी है

पिछले वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की है। सन् ६७ में राज्यपाल ने जनजाति में बोक्सा, वैरागी और जौनसारी को भी घोषित किया। उनके लिए भी इस मर्तबा व्यवस्था की है लेकिन जो व्यवस्था की गयी है वह चतुर्थ योजना में अपर्याप्त है। १०७ लाख रुपया हमारी प्रदेशीय सरकार देगी और ६२ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देगी। सन् ६१ की जनगणना के अनुसार १ लाख ९५ हजार इनकी संख्या थी।

आज १९७१ म जनगणना हो चुकी है और उनकी संख्या और बढ़ गयी होगी। अनुसूचित जन जातियों के लोग मिर्जापुर, इलाहाबाद, झांसी, बांदा, तराई भावर और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाये जाते हैं। इनकी जनसंख्या यहां पर ज्यादा है। इनको वैसे ही सहायता दी जाती है जिस प्रकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, मकान बनाने, कुवें बनाने के लिये में दी जाती है। एक चीज में कहना चाहता हूं कि दो गिनतियां ऐसी हैं जिनको हर व्यक्ति, चाहे शहर का हो या गांव का, जानता है। एक है ४२० और दूसरी है १११। इस समय रूलिंग पार्टी की संख्या २२२ है। १११ में अगर २ का गुणा कर दें तो २२२ हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि १११ का दुगना महत्व बढ़ गया। अगर २२२ को तीन बार कहें तो, दो, दो तो क्या दो ? मतलब यह कि टैक्स दो। इस तरह की गिनती वाली सरकार यहां पर है तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारी इस सरकार ने और क्या किया है ? हरिजनों के साथ ४२० की है। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं।

कृषि के अनुदान में ४२० हजार की स्वीकृति इसमें है। इस सरकार ने ४२० को अब भी नहीं छोड़ा है। ऐसी सरकार ने प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे। प्राइमरी स्कूलों में, जिला परिषदों के माध्यम से चलते हैं, कक्षा एक से लेकर पांच तक और जूनियर हाई स्कूल में भी वजीफे दिये जाते हैं। एक दो रुपया प्राइमरी स्कूलों में तथा पुस्तकीय सहायता दी जाती है और यह सहायता जिला परिषदों के माध्यम से वितरित की जाती है। मैं प्रतापगढ़ की बात कहता हूं। वहां पर अधिकांश वजीफे और पुस्तकीय सहायता बच्चों को मार्च के महीने में या जब कि इम्तिहान खत्म हो जाते हैं दी जाती है। उन्हें कोई फायदा नहीं होता। मेरा सुझाव है कि इसको समाप्त कर देना चाहिये और इस वजीफे और पुस्तकीय सहायता का। रुपया दर्जा छः से लेकर कक्षा तक हरिजन बच्चों को वजीफे के रूप में अनिवार्य रूपसे देना चाहिये। प्रतापगढ़ में एक स्कूल लोकमान्य तिलक के नाम से है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट का समय और दें। इस लोकमान्य तिलक स्कूल में वजीफे का जो रुपया जाता है वह बच्चों को नहीं मिलता। उस सारे रुपये को लोग खा जाते हैं। मैंने कई बार लिखकर भेजा लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई।

इस तरह तृतीय योजना में १२३ छात्रावास खोले गये जिनमें से ११७ को १० हजार के हिसाब से और ६ को पांच हजार के हिसाब से अनुदान दिया गया। इस प्रकार १२ लाख रुपया तृतीय योजना में क्षात्रावास के लिए अनुदान दिया गया। लेकिन इन छात्रावासों में हरिजन छात्र नहीं रहते। इसमें भी एक प्रकार से राजनीति था। प्रतापगढ़ में दो छात्रावास हैं जिनमें एक भी हरिजन छात्र नहीं रहता। और यह केवल राजनतिक दृष्टिकोण से किया गया था, मैं चाहता हूं इसका जांच होना चाहिये।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज एक भी छात्रावास ऐसा नहीं है जिसमें हरिजन और अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्र तथा छात्रायें रह सकें। इनके लिये एक छात्रावास की नितांत आवश्यकता है। सरकार को इसके लिये व्यवस्था करना चाहिये।

[श्री रामकिंकर]

मान्यवर, १९७०–७१ में संविद की सरकार थी तो विमुक्त जाति के लिये केंद्रीय सरकार कुछ रुपया देती थी । पहली बार जहां दो लाख रुपया इनके लिए सेंक्शन हुआ था, इस बार केंद्रीय सरकार ने उसे घटा कर डेढ लाख ही कर दिया । घर आदि बनाने के लिये जहां २ लाख का प्राविजन पहले था उसे भी घटा कर डेढ लाख कर दिया । तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । श्रीमती जी, महिलाओं से बहुत प्रसन्न हैं । मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उन्होने महिलाओं के लिये क्या किया ?

मान्यवर, दो लाख रुपया आदिम जाति के छात्राओं के छात्रावास बनाने के लिए रखा गया है । यह नैनीताल में बनाने की योजना है जब कि वहां पर इस जाति के छात्रों छात्राओं की संख्या बहुत ही कम है । सरकार को इस पर सोचना चाहिये, यह छात्रावास अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लिये होना चाहिये ।

मान्यवर, जब संविद की सरकार थी तो चौधरी चरण सिंह जी ने लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य की नियुक्ति की थी । इसी प्रकार इस सरकार को एक ऐसी कमेटी गठित करना चाहिये जो यह देखें कि हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति आदि दी जाती है वह उनको मिलती है या नहीं तथा जो और सुविधायें सरकार उनको देती है वह उनको मिल पाती है अथवा नहीं । यदि कोई अधिकारी नौकरी में उनको संरक्षण नहीं देता है या अन्य जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये हीं दी जाती हैं तो उनका चरित्र पंजिका में एन्ट्री होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करने की कृपा करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

बाढ़ पर, श्रीमन्, कब चर्चा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष––

सामान्य कार्य के अपरान्त आज एक घंटा तथा कल एक घंटा ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी (जिला हरदोई)––

मा० उपाध्यक्ष जी सदन का कुछ समय बढ़ा दिया जाय । हमें विशेष परिस्थिति समझ कर, श्रीमन्, समय दे दें ।

उपाध्यक्ष––

समय और नहीं बढ़ेगा । आप तो सरकारी पक्ष के हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

मान्यवर, मैं कुछ और कहने वाला था, मगर मैं अब चूंकि समय कम है वह नहीं कहूंगा ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी––

मान्यवर, मैं कुछ और कहने वाला था, मगर मैं अब चूंकि समय कम है वह नहीं कहूंगा ।

माननीय मंत्री हरिजन कल्याण विभाग राजा साहब और बेगम साहिबा के विचारों से कुछ परिचित हुं । श्रीमान मैं तो इनके दिल का आभाष लेकर कहना चाहता हूं कि मुहब्बत के लिये कुछ खास दिल मखसूस होते हैं यह वह नगमा है कि हर साज पर गाया नहीं जाता । उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों की समस्या है और अब मैं क्या बतलाऊ कुछ लोग जब इधर बैठते थे, तो उधर की सरकार पर आरोप लगाते थे और कुछ लोग जब उधर बैठते हैं तो इधर की सरकार पर आरोप लगाते हैं । लेकिन मैं तो सन् ५२ से देख रहा हूं, मुझे इसमें एक बात याद आती है-जानते तो हैं हम जन्नत

की हकीकत लेकिन । दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है । तो ख्याल बना लिया जाता है, तो उससे दिल बहल जाता है । श्रीमन् मैं जल्दी में कुछ सुझाव दूंगा । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजा साहब से कि वह मेहतरों की समस्या सुधारने को प्राथमिकता दें । क्योंकि हर जगह पर इस तबके की बुरी हालत है, उसे सताया जाता है ।

सारे प्रदेश में छुआछूत का रोग लगा गया है, लेकिन यह छुआछूत और हरिजनों के साथ नहीं केवल मेहतर-भंगियों के साथ ही बरती जाती है । सिर्फ भंगी और मेहतर वर्ग पर क्यों ? क्योंकि यह इतना गंदा पेसा करते हैं । उसके गंदे का को देखकर उससे घृणा करते हैं क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव है । वैसे तो उससे ज्यादा गंदा काम हो अस्पतालों क डाक्टर्स करते हैं, किन्तु चूंकि उनके पास साधन हैं पैसा है, तौलिया है, साबुन है इसलिये उनसे लोग दूर नहीं भागते हैं । किन्तु इन गरीब मेहतरों के पास यह साधन नहीं हैं । मैं तो मुख्य मंत्री जो को एक बात बतला दूं उनके पास हरदोई और शाहजहांपुर से मेहतरों का एक डेपूटेशन मिलने आया था, वह बाल्मीकियों का डेपूटेशन था और उसके लोगों ने मुख्य मंत्री के पैर बड़े प्रेमपूर्वक छुवे। वे लोग बाहर निकल कर हमसे कहने लगे, बाल्मीकि जी आप चाहे विश्वास करें या न करें किन्तु हमें विश्वास है कि हारी समस्याएं इनके मुख्य मंत्रितत्व काल में अवश्य हल हो जायेगी, क्योंकि उन्होंने अपने साफ चिकने पैर हमें छू लेने दिया और उन्हें समेटा नहीं। क्योंकि हम जब देहातों में ब्राह्मणों के पैर छूने जाते हैं तो वे हमें छूने नहीं देते हैं । पैर हटा लेते हैं । इस तरह से अब मेहतरों के दिल में आशा बंधी है ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चीजों को वह अवश्य देखें । मान्यवर, इनकी बड़ी करुण कहानी है । यहां के कृषि भवन में कई साल पहले एक बाल्मीकि-युवक मुझे मिला था इस समय वह भूमि संरक्षण निरीक्षक, हमीरपुर सुमेरपुर में है । कृषि भवन में एप्वाइन्टमेंट लेटर देने के लिये डीलिंग क्लर्क ने उसे बुलाया। डीलिंग क्लर्क ठाकुर था, उसने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया धूम सिंह। इस पर उस डीलिंग क्लर्क ने नाराज होकर कर तुमको अपने बाल्मीकि नहीं कहते, सिंह बताते हो । वह इस अत्याचार से परेशान होकर वहां तीन दिन तक पड़ा रहा । बेचारा आंख से आंसू बहाता रहा । संयोग से जब मैं पहुंचा तो मैंने उसके मसले को हल किया । इस समय वह धूम सिंह बाल्मीकि हमीरपुर में सुमेरपुर हैं वहां हमीरपुर में जहां उसकी पोस्टिंग हुई है, उसके साथ बड़ी छुआछूत बरती जाती है, वह परेशान है और उसने इसमें चिट्टी में लिखकर बताया है कि कैसे हम नौकरी यहां कर पायेंगे । मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इह चीज को देखें और मेहतर वर्ग के लिये एक आयोग का गठन करें और यह देखें कि इसके साथ में सामाजिक आर्थिक और जितनी इनकी समस्या हैं, वे कौन-कौन हैं और उन्हें कैसे-कैसे दूर किया जाये ? अभी मैं पार्टी मीटिंग में कह रहा था बरेली का एक किस्सा है, वहां काशीपुर से बाल्मीकि की एक बारात आई थी । शायद १ वर्ष पूर्व बारात के लोग चाय पीने जब एक दुकान पर गये तो उस दुकानदार रामसेवक ने कहा कि हम तुमको चाय नहीं पिलायेंगे क्योंकि तुम लोग भंगी हो जब उन्होंने जिद करके कहा कि अब छुआछूत की बीमारी खत्म हो गयी । तुम को चाय देना चाहिये । तब उक्त दुकानदार ने चाय १ रुपया प्रति गिलास देने की बात की वे लोग एक रुपया गिलास पर राजी हो गये । उन्होंने चाय पी ली । १५-२० लड़के थे, उसके बाद दुकानदार ने गिलास तोड़ दिये जिसमें चाय पी गई थी और टेलीफोन से दुकानदार ने थाने यह शिकायत कर दी । लड़के गिरफ्तार हुए । किसी को चोरी में रखा, किसी को जुआ खलने में रखा ।

[श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी]

आज भी इन हरिजनों में केवल बाल्मीकि समाज के लोगों से ही छूतछात की जाती है । यह ऐसे दूर नहीं होगी । मैं मानता हूं कि सारे हरिजन समाज को ऊपर उठाना चाहिये । लेकिन इस बड़ी जंजीर में जो सबसे कमजार कड़ी है उसको पहले देखा जाय । अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई, तो इस मंदिर से छोटा सा जानवर नहीं बांध सकते । मैं हरिजन भाइयों से निवेदन करूंगा, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस डिपार्टमेंट में हरिजन वर्ग का ही मंत्री हो । हम तो श्रीमन् ऐसे लोग हैं । संकोच होता है कहते हुए, लेकिन कहना पड़ता है कि हम से दूसरी बिरादरी के हरिजन भी छूतछात का बरताब करते हैं। भाई महीलाल जी, मुरादाबाद में जाटव नाम से मशहूर हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में जहां जाटवों की बस्तयां होती हैं तो उन्हें बताते हैं कि यह जाटवों की बस्ती है । जहां बाल्मीकि होते हैं तो कहते हैं यह हरिजनों की बस्ती है। अभी जनसंघ के माननीय सदस्य बोल रहे थे । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं "कि हमें मसीहा के अहसान से बचा लेना, तुम्हीं ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा देना ।" यह मर्ज आपने ही दिया, आप ही उसकी दवा दें । अपना हृदय इतना विशाल कर लें ताकि इनकी समस्यायें हल हो जायं । वह गरीब है । आह बुरी गरीब की हरि सों सही न जाय, मरे चाम की धौंकनी लोहा देत गलाय" वे बेचारे कुछ नहीं कहते, मूक शब्दों में हाय करते रहेंग ।

श्रीमन्, मैंने इसमें बहुत लिखा था कहने के लिये लेकिन इतना समय नहीं है। इतना जरूर विचार किया जाय, आवास की समस्या, कुटीर उद्योग की समस्या, इसमें लिखा है, पानी पीने की समस्या । ये तीन चार समस्यायें ऐसी हैं जिन से ये बाल्मीकि बंचित रह जाते हैं । मेरा सुझाव यह है कि शहरों में रहने वाले भंगी बाल्मीकि को आवास के लिये, कुटीर उद्योग के लिये और पानी की व्यवस्था के लिये, देहात के रहने वाले हरिजनों के समान अनुदान मिले आवास के लिये स्थानीय निकायों का सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह ऐसे न दे कर सीधा इन लोगों को ही दिया जाय उससे कुछ लाभ नहीं होता है । वह नौकर के नौकर रहते हैं । जब नौकरी छूट जाती है तो क्वार्टर से भी हटाये जात हैं । इनकी सहकारिता समिति बनायें या व्यक्तिगत रूप से सहायता दी जाय। ज्यादातर मेहतरों की संख्या शहरों में है । देहातों में वैसी समस्या नहीं है । वहां वह झोपड़ी डाल कर भी काम चला लेता है । मैं लगभग ६० साल से लखनऊ शहर में रह रहा हूं। मेरे पास अपना मकान नहीं है । किराये के मकान में रहता हूं । मेरे हजारों बाल्मीकि रहने वाले लोग हैं । इस लिये देहातों की तरह माननीय राजा साहब शहर के बाल्मीकि मेहतरों को भी मकान बनाने के लिए अनुदान दें । मेरा यह अनुरोध है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

(श्री मोतीलाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महीलाल—

मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि कन्हैयालाल जी ने कहा पिछड़ा रिकार्ड उठा कर आप देखें कि इस अनुदान पर १ घंटे से २ घंटे हमेशा बढा है । मेरा सुझाव है कि सदन का समय १ घंटे बढा दिया जाय । मेरे अलावा मेरी पार्टी से इस पर कोई नहीं बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दल के दो सदस्य बोले हैं । रामकिंकर जी आप जानते हैं कि पूरे मंत्री रहे हैं कैबिनेट स्तर के अगर परप्परा के अनुसार चला जाय तो उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री महीलाल––

एक आध बैकवर्ड क्लास के सदस्य को भी बोल लेने दें । सभी हरिजन वर्ग के बोले हैं ।

श्री रामबचन (जिला आजमगढ़)––

यह अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति का अनुदान है। पिछड़ी जाति के सदस्यों को फिर भी मौका नहीं दिया जाता है हालांकि उनकी संख्या ५० फीसदी है । अगर हम अपन सुझाव नहीं रखेंगो तो समस्या कैसे हल होगी । यह राष्ट्रीय समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह बात सही नहीं है । मैंने माननीय राम किंकर तथा मोतीलाल देहलवी को समय दिया है । अभी कन्हैयालाल बाल्मीकि बोल चुके हैं । इसलिये यह आप नहीं कह सकते कि पिछड़ी जाति के सदस्यों को मैंने मौका नहीं दिया ।

श्री महीलाल––

इस समस्या का हल यही है कि सदन का समय १ घंटा बढा दिया जाय । माता प्रसाद जी ने प्रस्ताव रखा था । उधर के सदस्य और इधर के सदस्य सभी चाहते हैं कि आप सदन का समय बढा दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

'कार्य मंत्रणा समिति में यह बात तय हो चुकी है और सदन उसे मान चुका है । आप अधिक समय चाहते थे तो लिखित भेज सकते थे कि हरिजन कल्याण पर दो दिन बहस हो । आपका ही निर्णय है ।

श्री महीलाल––

कार्य मंत्रणा समिति का कोई प्रश्न नहीं है जब इधर तथा उधर क बहुत से माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि आप सदन का समय बढ़ा दें । फिर आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आज तो आपने जितना समय रखा है उतना ही मिलगा । अगल साल आप दो दिन पास करा लें ।

एक सदस्य––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें । मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया । इस हरिजन अनुदान पर मुझे भी बोल लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

समय सबको मिले इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जितना समय आपने मुझे दिया है उसी में सबको बोलना है । उसमें कैसे बढ़ा सकता हूं ?

श्री राम प्यारे––

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी भी बड़े उपेक्षित हैं । उनको केंद्रीय सरकार ने मान्यता नहीं दी । केवल ५ जातियों को जो पहाड़ की रहने वाली हैं उन्हीं को मान्यता मिली है । इसलिये इस पर मुझे प्रकाश डालने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष

५,५ मिनट में आप लोग बोल लें।

श्री बांकेलाल—

बाढ़ से संबंधित बहस कै बजे से होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज भी एक घंटा दिया है और कल भी एक घंटा दिया गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभीतक जिन सदस्यों ने बहस में भाग लिया है और जितने लोग हरिजन और समाज कल्याण पर बोले हैं उसके संबंध में हमारा यह निश्चित विश्वास है कि वे सारे के सारे भाषण यथास्थिति को कायम रखने वाले हुये हैं। हरिजन कल्याण और समाज कल्याण की समस्या यथास्थिति और बुनियादी परिवर्तन तथा समाजवाद से सम्बद्ध समस्या है। मान्यवर, इतिहास को जानने वाले सभी लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब से इस देश में या इस दुनियां में अमीरी गरीबी शुरू हुई, शासन शुरू हुआ शोषक और शोषित दो वर्ग बने, तब से निरन्तर चाहे वह सामन्तवादी युग रहा हो, चाहे वह राजाओं का युग रहा हो और चाहे वह अंग्रेजों का युग रहा हो, अथवा कांग्रेस का युग हो यथास्थिति को कायम रखने का प्रयत्न इस देश और तमाम दुनियां में निरन्तर चल रहा है। प्रश्न यह है कि यथास्थिति को कायम रखकर क्या समाजवाद आ सकेगा। यथास्थिति को कायम रखकर क्या बुनियादी परिवर्तन हो सकेगा ? मान्यवर, हमारा निश्चित विश्वास है कि समाजवाद असंभव है वह आ ही नहीं सकता है और इसीलिए हरिजन व गरीब समाज का कल्याण असंभव है। अगर इस देश में समाजवाद लाना है तो फिर बुनियादी परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। बुनियादी परिवर्तन किये बगैर समाजवाद की कल्पना करना दुनिया को और अपने आप को धोखा देना है, भ्रम में रखना है।

आप जानते हैं कि इस देश में अगर हरिजनों और समाज का कल्याण करना है तो आपको समाज में बुनियादी परिवर्तन करना बहुतही जरूरी, आवश्यक और अनिवार्य है। अगर वह बुनियादी परिवर्तन हो जाय तो सही माने में और वास्तव में हरिजन और समाज का कल्याण होगा। उस यथास्थिति को इधर के बैठने वाले लोग भी जानते हैं और वही भाषण वाद रहे है उधर के बठने वाले भी जानते हैं और वही भाषण वे भी दे रहे हैं कि हरिजनों की ये ये डिफीकल्टीज हैं, ये ये परेशानियां हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता उनको नौकरियां नहीं मिलतीं, उनको आरक्षण नहीं मिलता। मान्यवर, यह ठीक उसी तरह की बातें हैं, जैसे कि किसी को भिखारी बनाये रखो और उसके लिये बार-बार कहते रहो यह भिखारी रोज-रोड भीख मगता है इसका पेट नहीं भरता है, उसके पास कपड़ा नहीं है। उस भिखारी को कभी खाना खिलादो और दो एक कपड़े दे दो तो उसको भी तसल्ली हो और आंसू बहाने वाले को भी संतोष हो जाय कि हां, मैंने कुछ किया है। वही काम अब तक होता आ रहा है। अगर आप सही मानों में हरिजन और समाज कल्याण चाहते हैं तो बुनियादी परिवर्तन के कुछ काम आपको करने होंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आप चुनकर आये हुये प्रतिनिधि अपने मतदाताओं और प्रांत के साथ और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

मान्यवर, सब जानते हैं कि हरिजनों के पास जमीन नहीं है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आज २३ साल से बराबर निरन्तर इस पर संघर्ष करती आ रही है, आन्दोलन करती आ रही है, सत्याग्रह करती आ रही है। हमारा कहना है कि किसी भी परिवार के पास ३ हल बैल से जितनी खेती हो सकती है उससे ज्यादा जमीन नहीं रहने देनी चाहिये। बाकी

जमीन को लो और जो हल चलाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको दो। दूसरी बात यह है कि आमदनी और खर्चे की सीमा बांधों। सभी जानते हैं कि गांव का चौकीदार हरिजन होता है। बहुत मुश्किल से सौ में एक आदमी दूसरी जाति का मिलगा, और आज २३ वर्षों के बाद भी गांव के उस हरिजन चौकीदार की तनख्वाह केवल १० रुपया महीना है। पहले ५ रुपया महीना थी, अब २३ सालों म बढकर १० रुपया हुई है। अध्यापक अभी भी सौ सवा सौ पा रहे हैं। आज राष्ट्रपति की तनख्वाह देखिये गवर्नर साहब की देखिये, प्रधान मंत्री की तनख्वाह और ठाठ-बाट और खर्चों को देखिये मुख्य मंत्री के ठाठ-बाट और खर्चों को तथा टाटा बिड़ला की आय व खर्चों को देखिये एक जमीन आसमान का फर्क बना हुआ है। अगर आप सही मान में हरिजनों का व पूरे समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो जैसे बाल्मीकि जी कह रहे थे अपने भाषण में कि पं० कमलापति त्रिपाठी छू लेने देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिन्दगी भर इसीलिये बन हुए हैं कि पैर छुआ करें। आपने कभी यह नहीं सोचा कि हम हरिजन नहीं हैं, मेहतर नहीं है। हम तमाम लोगों से ऊपर हैं, हम पैर छने वाले ही क्यों बने रहेंगे यह बुनियादी परिवर्तन की भावना नहीं है, पूरा तरह किसी गरीब का कल्याण नहीं होना है।

मान्यवर, अगर इस समाज में आमदनी और खर्च की सीमा बांध दी जाय, यानी किसी को इस देश के अन्दर डेढ हजार रुपया महीने से ज्यादा आमदनी और खर्चा करने का अधिकार नहीं रहे और कम से कम डेढ सौ से कम किसी की आमदनी नहीं रहे तो हरिजन व अन्य गरीबों का कल्याण आरम्भ हो जाय यह व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हम लोग पूर्णतया बराबरी की बात नहीं करते हैं। हम लोग संभव बराबरी की बात करते हैं। तो मान्यवर, बहुत से नेताओं का नाम लिया गया, लेकिन केवल एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है जिसके नेता स्व० डाक्टर राममनोहर लोहिया को तकलीफ थी हरिजनों के मामले में, असली तकलीफ और वेदना थी और इसीलिये उन्होंने हरिजनों के लिए कहा कि हर सरकारी स्थान पर, फौज में, पल्टन में, हर नौकरी में विशेष सुविधा उनको देनी चाहिय। विशेष अवसर की बात इस मुल्क में अकेले डा० लोहिया ने कही है हरिजनों के लिए लेकिन जितने दल इस मुल्क में हैं सब समान अवसर की बात करते हैं। यह समान अवसर उसी प्रकार की बात है कि जैसे एक पहलवान को और मरीज को बराबर दौड़ कराइये और उससे कह दीजिये कि जो आगे निकल जायगा उसको इनाम मिल जायगा। यह तो सब जानत हैं कि एक पहलवान के मुकाबले में कोई मरीज दौड़ में आगे निकल कैसे सकता है? अगर सही मानों में आपके हरिजनों के लिये कोई वेदना है, कोई टीस है तो आपको उन्हें विशेष अवसर देना चाहिये। इस विशेष अवसर के सिद्धांत को मानिये।

इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि हरिजनों को राहत देने के लिये अगर इस तरह का आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने समाजवाद का कोई तो नमूना पेश करके हमको दिखाइये। हरिजनों की आमदनी कम है, जमीन उनके पास नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके वह आमदनी करते हैं, वह कहां चली जाती है। वह सब तिजोरियों में चली जाती है, वहां कैद हो जाती है क्योंकि इसकी आपने उनको छुट्टी दे रखी है। तिजोरियों में कैद होने की वजह है मंहगाई। जीवन की सारी उपयोगी वस्तुएं के दाम २३ सालों में इतने ज्यादा बढ़ गये हैं और बढ़ते जा रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे कौन दुखी है, कौन परेशान है किस की जिन्दगी खराब हो रही है? वही हरिजनों और कम आय वाले गरीबों की। थोड़ी आमदनी और मंहगाई ज्यादा। अगर आप हरिजनों को और समाज को कुछ कल्याण करना चाहते हैं, और आप समाजवाद को लाना चाहते हैं तो आप कानून द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं क दाम बांध कर उसको आसानी से कर सकते हैं। आपके हाथ में ताकत है। अगर आपकी नीयत हो ऐसा करन की तो लोक सभा में उसके लिये आप इसी तरह का कानून बना सकते हैं कि किसी

[श्री मोती लाल देहलवी]

भी चीज के दाम उसकी लागत के ड्योढ़ी से ज्यादा नहीं होगी । इससे ही हरिजनों व सभी गरीबों को राहत मिल जायगी, लेकिन हमारा यह दावा है कि आप इस तरह का कानून बनाने वाले नहीं हैं ।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । पहले तो मैं यह गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूं कि इस समाजवाद के जमाने में इस सदन के सभी सदस्य बराबर हैं, उसमें तो सारे भेदभाव को दूर करना चाहिये न कि किसी एक नयी जाति को ईजाद करना । इस सदन का कोई भी सदस्य राजा और बेगम नहीं है, वह तो सब सदस्यों के बराबर है । जो भी राजा और बेगम यहां बैठे हों वे भी सबकी तरह से जनता के चुने हुए नुमायन्दे हैं । न तो वह हरिजनों से किसी तरह ऊंचे हैं और न नीचे हैं, वह तो देश और जनता की सेवा करने के लिये ही यहां आये हुए हैं, राजनीति में आये हैं । हमारे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई राजा या बेगम अपने तन, मन, धन से हरिजनों की सेवा करना चाहता है, तो उसको इजाजत नहीं होगी । हरिजन भाइयों ने जब हमें यहां अपनी वोट देकर भेजा है तो हमारा यह ऐन फर्ज हो जाता है कि हम उनके कल्याण की सोचें । हरिजन कल्याण और समाज कल्याण देश में समाजवाद के मानी का निचोड़ है । जितने भी और विभाग हैं वे सब इस विभाग को मदद देने के लिये हों । हमारी जनता सुखी हो, हमारे समाज में कल्याण आये, इसलिये ये सारी समाजवादी संस्थायें हैं और समाजवादी काम हो रहे हैं ।

जैसा कि भाई महीलाल जी ने कहा था कि इसमें विरोधी दल के और सरकारी पक्ष के सभी लोग जुटे हुए हैं । जो काम नहीं हुए हैं । उसमें हम जाना नहीं चाहते बल्कि हम यह चाहते हैं कि जो काम नहीं हुए हैं वे होने चाहये हम कहते हैं कि हमने जनता से वायदा किया है कि गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी, जुल्म और ज्यादतियां दूर होंगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, फिरकापरस्ती दूर होगी तो उस वायदे को हमें पूरा करना चाहिये । आज गरीब और बेरोजगार सब से ज्यादा कौन है? हरिजन भाई और बहन हैं, सब से ज्यादा कमजोर हरिजन भाई हैं और ये गरीबी और बेरोजगारी के शिकार हैं । उनको दूर करने के लिये हमने वायदा किया है, इलेक्शन जीता है, जिस दल के हम नुमाइन्दे हैं उसी दल ने बैंकों का नेशनेलाइजेशन किया ताकि गरीबों की मदद हो और गरीबी दूर हो । हमारे ही दल ने राजाओं की प्रिवीपरसेज को खत्म किया जिससे गरीबों की मदद हो । (व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

ये भाषण दे रहीं हैं या प्रिवी परसेज के बारे में कह रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी जवाब दे रही हैं ।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, हमारी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इनको समाज कल्याण पर बोलना चाहिये । लेकिन वे अलग बोल रही हैं और विषयान्तर हो रहा है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रिवी परसेज की बात कही है उससे हरिजनों का क्या लाभ हुआ है ?

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं। चूंकि महीलाल जी ने कहा था कि गरीबी ओर बेरोजगारी को मिटाने के लिये जरूरी है कि इस विभाग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाय। इसमें अच्छे से अच्छे कर्मचारी चुने जाने चाहिये, इसका मिनिस्टर भी बहुत होशियार होना चाहिये और यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास होना चाहिये। मैं महीलाल जी के ही अल्फाज दोहरा रही हूं ...

श्री रामप्रसाद देशमुख---

मुझे कहना पड़ता है कि मंत्री जी अपनी नीतियों को नहीं बताना चाहती हैं इसलिये इन चीजों को कह रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

बेगम साहिबा को इन चीजों के कहने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला---

हरिजनों का कल्याण करना हमारे लिये जरूरी हो जाता है। वजीफे की बात है। यह कहा गया है कि वह वक्त पर नहीं मिलता है, जुलाई में मिलना चाहिये लेकिन साल के आखीर में मिलता है। इसी तरह से ग्रांट्स भी वक्त पर और सही नहीं मिलती है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिये कि वक्त पर वजीफे और ग्रांट्स मिल जाया करें। रिजरवेशन के बारे में कहा गया कि वह नहीं हो रहा है। मेरे पास नेशनल इंटीग्रेशन विभाग भी है इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि हमारी कोशिश यह है कि इसको जल्ब से जल्द पूरा करने की कोशिश करें और जब तक पूरा न हो ४५ परसेंट इनको लिया जाय। यह भी हम देख रहे हैं कि यह क्यों नहीं हुआ है। और कौन-कौन इसमें खराबियां हैं। मैं महीलाल जी की बात मानती हूं कि हमारे विभाग में भी अभी तक पूरी तरह से इसकी पूर्ति नहीं हुई है। मैं देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पूर्ति हो क्योंकि यही इसका खास काम है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये।

जो बात आपने ज्यादा नहीं उठायी वह है हरिजनों के मकान के बारे में। उसके लिये इसमें ३१ लाख रुपया रखा गया है। उनको जिस तरीके से अभी तक रुपया दिया जाता है सौ-सौ, दो-दो सौ उसमें कोई घर नहीं बन सकता। इसके लिये सोचा जा रहा है कि किस तरह से इन्तजाम हो कि उनके घर बन सकें ताकि वह अपने थोड़े-थोड़े रुपये दूसरे कामों में न खर्च करें।

एक और स्कीम न्यूट्रोशन की चल रही है इस विभाग के तहत में जिसमें बच्चों को रोटी वगैरह दी जाती है। इसमें दूसरे लोग भी मदद कर रहे हैं। वह भी बच्चों को नहीं पहुंच रही है। इसमें भी हम परिवर्तन ला रहें हैं। अभी तक हम स्कूलों के जरिये से देते थे। अब इसमें कुछ कुछ वालंटरी सर्विसेज को सामने ला रहे हैं।

आपने कहा कि कमेटियां बनानी चाहिये जो चेक करें। कमेटियां बन रही हैं और वह आप ही लोगों की राय से बनायी जायंगी ताकि वह चेक रखें कि जो कुछ हरिजन विभाग की कागजी कारवाई है वह अमल में लायी जाय। आपकी और सरकार की भी यह शिकायत है कि कागजी कारवाई तो अच्छी हुई है मगर वह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सरकार इसके ऊपर तुली हुई है कि उस पर अमल हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने हरिजन भाइयों को खत लिखा कि मुझे सुझाव दो तो सिर्फ तीन भाइयों के जवाब आये, एक माता प्रसाद जी का, एक सरस्वती टमटा जी का और एक मुन्शीलाल जी का बहरहाल, वह सुझाव अच्छे थे। सुझाव ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिये :

अफसानये हजरात को तरतीब तो हम देंगे,
अफसनाए हजरात का उनवान नहीं मिलता।

[श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला]

मैं विरोधी दल की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये क्योंकि जब सुझाव आयेंगे और हमें याद दिलाया जायगा कि यह काम नहीं हुआ तब हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे ।

समाज कल्याण की बाबत सिर्फ इतना कहना है कि मुझे अफसोस है कि पूरे सदन में किसी न भी औरतों और बच्चों की समस्या के ऊपर रोशनी नहीं डाली । वह भी बहुत कमजोर हालत में हैं । विधवाओं के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा सेन्टर्स चाहिये । जो प्रोबेशन सेन्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे गरीबी की वजह से न जाने किन किन आदतों में पड़ जाते हैं उनकी देख भाल करना हमारा फर्ज है । यह काम भी हमारे विभाग की तरफ से चल रहा है । इसमें ज्यादा चेकिंग होनी चाहिय ताकि उसमें भ्रष्टाचार और बेख्याली न हो ।

इसी तरह से हमारे यहां होस्टल्स बनाने की बात है और सरकार सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा होल्टस बनाये ।

इंडस्ट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, २२ इंडस्ट्रीज हरिजनों के लिये हैं । उनमें से वह कोई भी चुन लें । केन बनाने वाली इंडस्ट्री, बीड मेकिंग । अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी ।

इसी तरह से जो लावारिस बच्चे हैं । एक-एक, दो-दो महीने के बच्चे बाहर डाल जाते हैं । उनकी देखभाल बड़ी मुश्किल होती है । उन पर हमारी सरकार की तरफ से ४० रुपये माहवार खर्च होता है । उनको ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करनी चाहिये । उसमें तमाम कमेटियां ऐक्टिव हो जायंगीं । ताकि वहां कुछ गड़बड़ी न हो ।

हमारे यहां बैगर्स के लिये बैगर होम हैं । कई बने हैं और बनाये जा रहें हैं मगर उसमें भी बहुत सी बातें सोचना है । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो वजीफे वगैरा की बात है यह सरकार बहुत गौर से सोच रही है कि बच्चों तक ग्रान्ट और वजीफे नहीं पहुंच पाते हैं या देर से पहुंचते हैं उसमें जल्दी हो । मैं यह भी अपने विरोधी दल के भाइयों से कहना चाहती हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें और हम भी उनसे ज्यादा से ज्यादा सुझाव लें, ज्यादा से ज्यादा मदद लें ताकि उनका जल्दी कल्याण हो सके । उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल को याद दिलना चाहती हूं कि सरकार किसी एक दल की नहीं होती है । सरकार सब दलों की होती है । आपकी भी वह सरकार है तो आपका फर्ज है कि उसकी जितनी भी स्कीम हरिजनों के लिये हैं उनकी कामयाबी के लिये, हरिजन कल्याण और समाज कल्याण को कामयाब बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा सुझाव दिये जांय और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी मदद रहेगी तो हम इस में जल्दी कामयाब हो सकेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि हम भिखारियों के लिये आवास वगैरा का प्रबन्ध करेंगे तो क्या यह बात भी सरकार के विचाराधीन है कि इस प्रदेश में भिक्षावृत्ति को समाप्त कर दिया जाय ? इसको कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया जाय ?

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला—

यह इस तरह के सवाल हैं कि जिनपर आप लोगों से बातचीत करके विचार किया जायगा । मैं यह कहना चाहती हूं कि विरोधी दल के भाइयों कि मदद से और जनता की मदद से वह सब खराबियां जो इस विभाग में हैं, समाज कल्याण या हरिजन कल्याण में हैं और जिनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनको दूर किया जायगा । अगर ये विभाग सही चलते हैं तो सारे समाज का कल्याण होता है । इसलिये गरीबी को दूर करने के लिये, बेरोजगारी को दूर करने

के लिये, समाजवाद को यहां पर लाने के लिये, भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कमर बांधकर तैयार हो जाना चाहिये।

हमीं इस अन्दाज से पयामें जिन्दगी देंगे
रहेगा कैफ बरसों हम वह जामे जिन्दगी देंगे।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। यहां पर जो हरिजन समस्या क विषय में बात उठाई गई ह वह बहुत अहम समस्या है। यह समाज के ठेकेदार प्राचीन काल से ही हरिजनों को सताते आये हैं। यह हिन्दू समाज है जिसने इस समाज को गिराया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी हिन्दू समाज के ऊपर है इसलिये इस समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो समाज सदियों से गिरा है उसको उठाया जाय और उसको सही जगह पा लाया जाय ताकि समाज में वह अपना स्थान प्राप्त कर सके और ऊपर आ सके। और हरिजन और सवर्ण के नाम पर जो खाई बहुत दिनों से चली आ रही है वह सदा के लिये समाप्त हो जायगी। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या सर्वविदित है। सभी लोग इस बात को कहते ह, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी होती है पर उस तरफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे हरिजनों की सारी समस्या हल हो सकें और हरिजन आराम की सांस ले सकें। यदि हरिजनों का विकास करना है तो इसके लिये सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। उनके लिये शिक्षा और आर्थिक दोनों तरह से उनका उत्थान होना आवश्यक है। जब तक हरिजनों का उत्थान नहीं होगा, जितन व गिरे हुए हैं उतना ही उनकी दशा हो ठीक नहीं किया जायगा तब तक उनका आर्थिक विकास नही हो सकता है और न उनका कोई सुधार हो सकता है।

शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी सरकार का जहां तक सहायता का सम्बन्ध है उसको देखा जाय तो विदेशों में जो छात्र शिक्षा के लिये जाते हैं उनके लिये कोई खास व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे छात्र विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस कारण वे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भविष्य में उनको पूरा खर्चा दिया जाय ताकि अच्छी शिक्षा पाकर वह समाज का सुधार कर सकें। छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था है वह इतनी खराब है कि वह सही रूप में बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है। इसके लिये सरकार ऐसे नियम बनाये ताकि समय पर लड़कों को छात्रवृत्ति मिल जाय दूसरी बात यह है कि उद्योग धन्धे और बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगाई जाती हैं लेकिन जो योग्य और प्राविधिक ज्ञान वाले हरिजन है और फैक्टरी लगा सकते हैं उनको कोई सुविधा या सहायता उसके लिये नहीं दी जाती है। उनको किसी प्रकार के निर्देश या शिक्षा भी इस दिशा में नहीं दी जाती है इसलिये वह कोई अपनी फैक्टरी नहीं चला पाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हरिजन फैक्टरी लगाने के खुब सक्षम हैं उन को प्राथमिकता दी जाय ताकि वह भी समाज में आगे बढ़ सके।

इसके अलावा हरिजनों को नौकरियों में सुविधा दी जाती है उसके विषय में भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर देखा जाय तो आज हरिजन और पिछड़े वर्गों को मिलाकर उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का ८५ प्रतिशत है और १५ प्रतिशत आबादी अन्य जातियों की है लेकिन उनको पूरी छूट है और हरिजनों का रिजर्वेशन ताकि हरिजन अधिक न पहुंचने पायें। मैं चाहता हूं कि हरिजनों को पूरी छूट होनी चाहिये ताकि वह भी खुलकर नौकरियों में पहुंच सके और वह भी विधान सभा और संसद में जाकर देश का और इन सारी जनजातियों का कल्याण कर सके। अगर इतना किया जाय तो यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा। आज सरकार ऐसा इंतजाम करे कि यह ८५ प्रतिशत लोग आगे बढ़ सकें और १५ प्रतिशत लोग तबतक आगे न बढ़ें जबतक इनका कोटा पूरा न हो।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

एक बात मैं भूमिहीन हरिजनोंके बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां मिर्जापुर में वन विभाग ने सारी जमीन जो हरिजनों के पास थी अपने कब्जे में कर ली है, राजा साहब हमारे वन मंत्री हैं, वह देखें कि तमाम जमीन छीन कर वहां वन विभाग ने पत्थर लगा दिये हैं। वह हरिजन जिनकी जमीन मिर्जापुर में वर्ग ४ में हड़प ली गई है वह मैं चाहता हूं कि पौरन छोड़ दें तो बड़ा उपकार उन लोगों का होगा।

इसी तरह से हरिजन जो मेहतर हैं उन का सवाल है, वह बेचारे इतना घृणित काम करते हैं और बार-बार कहा जाता है कि उन के द्वारा सिर पर मैले की टोकरी रखकर फेंकने की प्रथा को समाप्त किया जाय लेकिन वह नहीं हो पाता। आज मशीनरी का युग है, ऐसी कोई मशीन या चीज उन को दी जा ताकि उन को इस तरह का मैला न ढोना पड़े। इन लोगों को और अधिकार जो टोकरी का काम करते हैं उन को टोकरी के लिये बांस भी जंगल से फी नहीं दिये जाते। इसके अलावा वन विभाग से चमड़े के काम के लिये (चमार) हरिजनों को पत्तों और छाल की जरूरत होती है वह भी उनको परी मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की सस्याओं के लिये विधायकों की और अधिकारियों की एक समिति बनाई जाय जो सारी उन की आवश्यकताओं का अध्ययन करे और उनको सुविधायें पहुंचाये और अपनी रिपोर्ट भी सदन के सामने रखे।

इसके अलावा जो हरिजन हैं उनको लिपिक तथा अवर वर्ग में तो सुविधा मिलती है परन्तु क्लास १ और क्लास २ सर्विसेज में प्रोमोशन नहीं दिया जाता। उनको सर्विसेज में आगे बढ़ने की विशेष सुविधा दी जाय। इन शब्दों के साथ श्री महीलाल जी की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री मही लाल को उत्तर भाषण के लिये पुकारे जाने पर)

श्री रामप्यारे—

उपाध्यक्ष जी, अभी तक सदन में आदिवासियों की समस्या पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है। बड़े दुख की बात है कि देश के हर राज्य में आदिवासियों को मान्यता मिल गई है और उनके सारे विकास के काम अन्यत्र हो रहे हैं लेकिन हमारे यहां की सरकार अभी तक उनके विषय में लापरवाही बरत रही है और आज भी वह पहले की तरह पिछड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि नियमानुसार हरिजनों की समस्या पर सब माननीय सदस्यों की राय होगी तो उस का दूसरा ढंग हो सकता है और समय दिया जा सकता है लेकिन अब आज समय नहीं है।

श्री राम प्यारे—

माननीय महीलाल जी हमें बोलने दें, यह दस लाख आदिवासियों की समस्या है। श्रीमन्, आज देश के सारे प्रदेशों में आदिवासियों को मान्यता मिल गयी है। मुझे २ मिनट का समय दे दीजिये?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, अब अधिक समय नहीं है।

श्री गुलाब सिंह—

यह जो पुस्तिका वितरित की गयी है अगर माननीय सदस्य उसको देखने का कष्ट करें तो इसमें कहा गया है कि मिर्जापुर के आदिवासियों का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम प्यारे—

श्रीमन्, माननीय उप-मंत्री जी के जिले देहरादून के भावर क्षेत्र के आदिवासियों को भी मान्यता मिली नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कृपया मुझे २ मिनट का समय दे दें। इसी प्रकार मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा बुन्देलखंड के आदिवासियों को मान्यता नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है, मैंने श्री महीलाल जी को पुकारा है। आप कृपया बैठें।

श्री राम प्यारे—

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे इजाजत नहीं देते हैं तो मैं सदन छोड़ता हूं। उन की समस्या के बारे में कुछ निवेदन करा चाहता हूं लेकिन आपने २ मिनट का समय भी नहीं दिया।

(श्री राम प्यारे सदन त्याग कर चले गये।)

***श्री महीलाल—**

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के प्रति हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिये और हमें किसी राजनैतिक दृष्टि से इस पर विचार नहीं करना चाहिये। मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस को राजनतिक रंग देने की कोशिश की है। बहुत से माननीय सदस्यों ने जिन्होंने सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारा पूरा समाज एक जंजीर के रूप में है, अगर इसमें से एक कड़ी भी कमजोर रहेगी तो पूरी जंजीर कमजोर होगी और समाज कमजोर होगा। इस भावना से प्रेरित होकर हमें इस कार्य को करना है और इस दृष्टिकोण से इस को देखना है कि इस समस्या का हल निकल सके। राजनैतिक बात इसलिये कही थी कि हमारे शासक दल को जनता ने प्रबल बहुमत दिया है, इस विधान सभा में और लोकसभा में भी, उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं आप का बजट क्रान्तिकारी बजट होना चाहिये था और उन लोगों ने यह आशा भी लगाई थी कि जब आपकी सरकार बनेगी तो आप उन की बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये चमत्कारिक रूप से बजट लायेंगे। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि इस बजट के साहित्य को देखने से एक भी अंश ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई परिवर्तन माननीय मंत्री जी ने बजट द्वारा पेश किया हो।

एक बात जरूर कह सकता हूं कि पिछड़े वर्ग के लिये इस बजट में ५० हजार रुपया कम जरूर हुए हैं जब कि यह धनराशि बढ़नी चाहिये थी। छात्रवृत्ति जो इन गरीब छात्रों को दी जाती थी, हमें आशा थी वह बढ़ जायगी, हमें यह भी आशा थी कि विभाग का बदला हुआ रूप हमारे सामने आयगा लेकिन इस समय जो विभाग की स्थिति है उस को मैं दयनीय स्थिति ही कह सकता हूं। उस हरिजन अधिकारी को जो किसी जिले से शिकायतों पर हटाया जाता है इस विभाग का डायरेक्टर बनाया जाता है या कोई आई० ए० एस० जो किसी काम का नहीं समझा जाता है उस को डायरेक्टर बनाया जाता है। मैंने सुना है वही फिर होने जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी इस विभाग को अपनी संरक्षता दें और ऐसे अधिकारियों को वहां भेजें जो पूरे प्रदेश के शासन तंत्र से इसकी रक्षा कर सके। विभाग एक खैरात खाना न रहे, दान बांटने वाला विभाग नहीं होना चाहिये। मैं तो इस विभाग को हरिजनों के विभाग के अधिकारियों के रक्षक के रूप में देखना चाहता हूं। वह एक रक्षक का काम करे। हर विभाग में हरिजनों को, पिछड़े हुए लोगों को जो उनके उचित अधिकार हैं वे मिलते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

या नहीं । वह चाहे बिजली का मुहकमा हो, सिंचाई का मुहकमा हो, उद्योग का मुहकमा हो ।

पुलिस के मुहकमे की तो क्या कहूं । पुलिस के महकमे की यह कैफियत है कि वहां जो जबरदस्त किस्म के मुल्जिम हैं उन पर पुलिस वाले हाथ नहीं डालते । गरीब हरिजनों को पकड़कर, उल्टा-सीधा चालान भरकर जेल म भर देते हैं । अमेरिकन राइटर की यह किताब है । उन्होंने लिखा है कि जेलें, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निरपराधियों को सजा दिलाने के लिये होती हैं । जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जेलों में ज्यातादर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके गाल दबे हुए, गाल की हड्डियां उभरी हुई, आंखें बैठी हुई, इस तरह के लोग जेलों में मिलेंगे । तो मान्यवर, इस विभाग का रूप ऐसा होना चाहिये कि अगर किसी एसे निरपराध के खिलाफ पुलिस के सब इन्सपेक्टर ने अत्याचार किये हैं तो इस विभाग का अधिकारी उसको रक्षा कर सक । अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बने हुए लम्बा समय हो गया । आज तक हमारे प्रदेश की सरकार नहीं कह सकती कि उसके बारे में कोई प्रभावशाली कदम उठायें ह । इस विभाग को यह अधिकार होना चाहिये कि पुलिस के एस०पी० के अधिकार उसके हों और जो सूबे के स्तर से या जेल के स्तर से जो छुआछूत की शुरुआत करते हों, जातीयता को बढ़ावा देते हों, उनको कठोर दंड दिलाया जाय ।

मेरा तो ख्याल है कि इस कानून के होते हुए भी एक दर्जन मुकदमों का चालान भी नहीं हुआ होगा । बाहर का आदमी इस कानून को देखकर यह समझेगा कि हमारे यहां अब अस्पृश्यता बाकी नहीं है । जहां तक हरिजन अधिकारों की स्थिति है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी अनुसूचित जाति का डिस्ट्रिक्ट मजस्टेट किसी जिले में तीन वर्ष तक नहीं रह पया है । पूरे समय नहीं रह पाता । उनको संरक्षण मिलना चाहिये । जहां बेचारे प्रगतिशील नीतियों का विस्तार लेते हैं वहां उनके विरोध की शुरुआत हो जाती है, तबादला हो जाता है । मेरा सुझाव है कि हरिजनों के नाम से अलग पाठशालायें, अलग छात्रावास और अलग लाइब्रेरियां नहीं होनी चाहिये । क्योंकि हम एक समाज बनाने वाले हैं तो उसमें ये अलग छात्रावास, समाप्त हों, अलग स्कूल समाप्त हों, अलग लाइब्रेरियां समाप्त हों । यह भावनायें पैदा हों कि वे एक ही समाज के अंग हैं कोई अलग चीज नहीं हैं ।

ग्रामों में जो अत्याचार बढ़ रहेहैं उनके प्रति भी सरकार को सजग होना चाहिये । एक नहीं अनेक नियम ५१ के अन्तर्गत आपके पास भी आते हैं लेकिन करीब-करीब सभी पर चर्चा होती है कि हरिजनों पर लाठी चला दी हैं, गोली चला दी है मार डाला, कत्ल कर डाला । या इसमें सच्चाई नहीं है । आप स्वयं उसके साक्षी हैं । उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये । छात्रवृत्तियां बढाई जानी चाहिये, रेलवे में जिस तरह से प्रोमोशन्स पर रिजरवेशन है, कान्स्टीट्यूशन की दृष्टि से भी सुप्रीम कोर्ट से जिसको मान्यता मिलयी है रेलवे की तरह से इस शासन को भी पदोन्नति करते समय रिजरवेशन दिला दिया जाय । इस शासन के कोष से जो संस्थायें पोषित होती हैं चाहे उनको ऋण या अनुदान दिया जाता है उनके लिये अनिवार्य किया जाय कि वे शासन की नीति के अनुसार सेवाओं में हरिजनों का उनकी संख्या के अनुपात में रिजरवशन रख सकें । ऋण देते समय अनुदान देते समय ऐसा उनसे कहा जाय परन्तु इसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है ।

चाहे आप सहकारिता को ले लें, चाहे विद्युत् परिषद् को ले लें और चाहे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ले लें । धन हमारे खजाने से जाता है और वह व्यक्तिगत रूप से खर्च हो जाता है । जो रुपया आप रखते हैं वह ज्यादातर जीपों पर खर्च हो जाता है । जनजातियों के लिये जो रुपया रखा है, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है, आपने जीप खरीदने में रखवा दिया । जनजातियों के लिये कालसी में एक योजना है, वहां भी जीप को रख दिया । सब जगह जीप, जीप, जीप । वह सब रुपया गाड़ियों, कमीशन और रिश्वत में चला जाता है । जिनके लिये

रखा गया है उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग के रूप को बदले, इसको शक्तिशाली बनायें, जिससे समाज के इस वर्ग ने जो आशायें की हैं वह पूरी हो सकें ।

सबसे जरूरी बात आर्थिक क्रांति की है । जब तक आर्थिक क्रांति नहीं आयेगी समाज में तब तक इस वर्ग का कुछ भला नहीं होना वाला । आर्थिक क्रांति लाने के लिये अगर आपके दल को संबिधान में संशोधन करना है तो जल्दी से जल्दी करिये । प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग इधर बैठे हैं वह आपके संशोधन का स्वागत करेंगे लेकिन अब देर का मौका नहीं है, जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था कीजिये । अभी आपका बजट संतोषप्रद नहीं है ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों की बात बड़े गौर से सुनता रहा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चन्द सदस्यों छोड़कर, किसी माननीय सदस्य ने ऐसे सुझाव नहीं दिये जिन पर शासन विचार करें । महीलाल जी ने और एक-दो सदस्यों ने जरूर ऐसी दो-चार बातें कहीं हैं जिन पर शासन बहुत गम्भीरता से सोचा । सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं । अगर हम हरिजनों को उठाना चाहते हैं तो उनकी शिक्षा के लिये खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा । जितने भी कल्याणकारी कार्य है उन सबके मुकाबले में शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये । बिना इसके कामयाबी नहीं हो सकती। इसी के साथ-साथ छोट उद्योगों में भी इनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिये । उसमें सरकार जितनी मदद कर सके, करनी चाहिये । इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों अनुदानों को पास करने की कृपा करें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन् यह जो अनुदान है दो करोड़ हरिजनों से संबंधित है । माननीय उपमंत्री बोलें तो प्रोवीपर्स पर बोलते ह और राजा साहब बोलें तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह करना वह करना चाहिये । सरकार क्या करना चाहती है और क्या योजना है यह नहीं बताया । मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ बताने की कृपा करें । अभी हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा । इस वर्ग की इतनी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३८,८०,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,५०,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

छितौनी बांध तथा बाढ़ पर होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पहले से विदित है कि और प्रश्न स्वीकृत नहीं हुये हैं, केवल छितौनी बांध और बेरिया बांध पर २ घंटे की बहस स्वीकृत हुयी है जिसमें से १ घंटा बहस आज होगी और १ घंटा बहस कल होगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

छितौनी बांध के अतिरिक्त और जो बाढ़ आयी हुयी है उसका विवरण भी होना चाहिये । आपको याद होगा कि फ्राइडे के दिन, इलाहाबाद से गाजीपुर और बलिया तक जो बाढ आयी हुयी है, उसके बारे में निर्णय दिया गया था और हमारा प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत भी हुआ था । हमने लिख कर भी दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

गंगा की बाढ़ के बारे में समय देना पड़ेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

छितौनी बांध का तो अलग केस । आपने २ घंटे का समय उसके लिये दिया वह सबको स्वीकृत है मगर फ्राइडे के दिन उसी कुर्सी से निर्णय दिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो तय है उसके लिए समय निश्चित करना पड़ेगा ।
माननीय अध्यक्ष ने पहले ही उसे स्वीकृत कर लिया है । अब समय खाली होगा और सबको सुविधा होगी, उस पर बहस हो जायेगी ।

नियम ५१, ५२ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, नियम ५६,५२ व ५१ के बारे में तो कुछ नहीं बताया । हमने नोटिस भी दी थी । ग्राम अव अरांव जगदीश जिला गोरखपुर में हरिजनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं । वहां पर आग धीरे-धीरे बढ रही है । आप इसके लिये समय दे दें ।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, हमने भी नोटिस दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी भी है । एक सूचना माननीय मनफूल सिंह ने भी दी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस संबंध में कोई कार्यवाही कर देते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज सम्भव नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

तो, मान्यवर, बाढ़ के लिए कौन-सा दिन निश्चित हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

जिस दिन सुविधाजनक होगा, उस दिन बहस हो जायेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप इसको कल रखे दें तो अच्छा हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखा जायेगा । अगर दो प्रश्न स्वीकृत हुये हैं तो एक ही तो आज आ सकेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

हम लोगों की तरफ गंगा की बाढ़ से बड़ा नुकशान हो रहा है । (व्यवधान)

केन्द्रीय विद्युत् वेतन मण्डल की संस्तुतियों को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, यह जो आइटम नं१२ के संबंध में वक्तव्य छपा हुआ मिला है इसमें ऊपर हैडिंग में नित्यानन्द स्वामी का नाम सबसे पहल कर दिया गया है, जब सबसे पहले मैंने यह सूचना दी थी और कार्यसूची में भी सबसे पहला मेरा नाम था ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको देख लेंगे, वैसे हमारे यहां की कार्य सूची में तो आपका नाम है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

श्रीमन्, मेरा नाम सबसे आखिर में कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रीमन्, यह वक्तव्य १० पृष्ठों का है, मैं निवेदन करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय और हम लोगों को प्रश्न करने का अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या सदन की यह अनुमति है कि इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(कोई आपत्ति नहीं होने पर)

(कुछ समय उपरान्त)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरी वैधानिक आपत्ति है । इसकी कापी सदन के हर सदस्य को नहीं मिली है, इसलिये जब तक इसकी प्रति हर माननीय सदस्य को न मिल जाय, पढ़ा हुआ कैसे माना जा सकता है । यह तो सदन की प्रापर्टी है, इसे पढ़वा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन निश्चय कर चुका है कि यह पढा हुआ माना जाय, फिर जिन माननीय सदस्यों का यह प्रश्न था, उन्हीं को आपत्ति नहीं है ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

यह तो सदन की प्रापर्टी है, उनकी आपत्ति न होने से कैसे काम चलेगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । सदन ने इसको स्वीकार कर लिया है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

[वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, भारत सरकार ने अपने आदेश, दिनांक २८ मई, १९६६ द्वारा देश के विद्युत् उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन मंडल का गठिन किया था । वेतन मंडल ने अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को प्रस्तुत किया । भारत सरकार ने अपने संकल्प, दिनांक १३ जुलाई, १९७० को प्रकाशित किया ।

केन्द्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों को कार्यान्वित किये जाने हेतु राज्य शासन के श्रम (ग) विभाग ने एक त्रिदलीय सम्मेलन जनवरी, १९७१ में बुलाया, जिस में मोटे तौर पर संस्तुतियों को कार्यावित करने पर सहमति हुई । राज्य शासन के श्रम (ग) विभाग ने अपनी अधिसूचना, दिनांक ११ फरवरी, १९७१ द्वारा उक्त अनुशंसाओं को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं निजी क्षेत्र के विद्युत प्रतिष्ठानों में लागू किये जाने के आदेश निगत किये । इस अधिसूचना में दिनांक १८ जून, १९७१ की अधिसूचना के अनुसार कुछ आवश्यक एवं वांछित संशोधन किये गये । केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण और २१ वेतन मानों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को समाविष्ट किया जाना था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् शासन के आदेशानुसार पहले से ही इस के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही कर रही थी । परिषद् में विभिन्न पद, वग और श्रेणी के कर्मचारीगण हैं, परिषद के गठन से पूर्व विद्युत् विभाग के कर्मचारीगण जो परिषद में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति हैं, परिषद के बनने के बाद परिषद् द्वारा सीधी भर्ती किये गये कर्मचारीगण , तथा परिषद द्वारा खरीदी गई बिजली कम्पनियों के कर्मचारीगण, जिन्हें परिषद द्वारा अपनी सेवा में लिया गया है । इन विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन मंडल द्वारा प्रस्तावित २१ वेतन मानों में आवृत्त किया जाना था । विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने पक्ष और स्वत्वों को प्रस्तुत किये जाने का मौका दिया जाना अपेक्षि त था । यह सब एक विशाल कार्य था और इसको संपादित करने के लिये परिषद ने एक वेज सेल की स्थापना की; जिसने कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त अपनी संस्तुति परिषद् को प्रस्तुत किया । तदनुसार, परिषद् ने अपने आदेश दिनांक ३ जून, १९७१ के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन मानों के संबंध में, जो वर्तमान वेतन मानों के स्थान पर दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से लागू समझे जायेंगे, आदेश निर्गत किये । इस आदेश को कार्यान्वित किये जाने की प्रणाली, वेतन निर्धारण प्रक्रिया आदि से संबंधित आदेश

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक २५ जून, १९७१ को परिषद् द्वारा जारी किये गये। परिषद् ने यह भी आदेश दिया कि जून मास का पुनरीक्षित दरों का वेतन जुलाई मास तक अवश्य वितरित कर दिया जाय। यही नहीं परिषद ने दिनांक १ अप्रैल, १९६९ से पुनरीक्षित वेतन के कारण उत्पन्न होने वाले बकाये के दिये जाने के लिये आदेश दिये हैं। यह धनराशि बहुत बड़ी होगी और उसे कर्मचारियों को तीन किस्तों में, पहली किस्त दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७१ तक, दूसरी किस्त दिनांक ३० जून, १९७२ तक तथा तीसरी किस्त दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७२ तक दे दिया जायगा।

२——कर्मचारियों के वर्गीकरण और केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं के अनुसार फिटमेंट के संबंध में परिषद द्वारा जारी किये गये आदेशों से कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों में असन्तोष हुआ और यू० पी० इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों इत्यादि ने मुख्य मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया कि परिषद द्वारा वर्ग करण और फिटनेस के आदेशों से कतिपय श्रेणी के कर्मचारी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तथा इन में इसके कारण क्षोभ है। मुख्य मंत्री जी ने परिषद् के सदस्य सचिव को इस बात से अवगत कराते हुए निदेश दिया कि कर्मचारियों को सामाजिक न्याय दिये जाने के लिये जहां इतना प्रयास किया जा रहा वहां ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिये कि किसी वर्ग का कर्मचारी न्याय से वंचित रह जाय। अतएव, यदि कोई कर्मचारी अपने वर्गीकरण और वेतन मान से सन्तुष्ट नहीं है तो उससे प्रत्यावेदन लिया जाय और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। तदनुसार, परिषद के सदस्य सचिव ने दिनांक १८ जून, १९७१ को इस आशय की प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की कि यदि कोई कर्मचारी वेतन मानों के फिटमेंट के संबंध में प्रत्यावेदन देना चाहता है तो वह अपना प्रत्यावेदन, उप सचिव, मजूरी बोर्ड, अनुभाग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ, को दिनांक ५ जुलाई, १९७१ तक भेजे। परिषद ने अपने समस्त कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया कि उन सभी प्रत्यावेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विस्तारपूर्वक एवं शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जायेगा। परिषद की यह कार्यवाही कर्मचारियों के सहयोग और सद्भावना पर आधारित थी और प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था।

३——परिषद के कर्मचारियों ने इसका सोत्साह लाभ उठाया और बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है, जिसके निम्नांकित सदस्य हैं:

(१) श्री सन्तोष कुमार चौधरी, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विद्युत, विभाग, — संयोजक

(२) श्री एम० वरदराजन, सदस्य, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, — सदस्य

(३) श्री एच० के० मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग। — सदस्य

(४) श्री बी० एन० मेहरोत्रा, महा प्रबन्धक, कानपुर विद्युत संपूर्ति प्रशासन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, — सदस्य

(५) श्री गोपाल दत्त पन्त, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, — सदस्य

(६) श्री आदित्य भूषण पांडेय, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग। — सदस्य

प्राप्त हुए सभी प्रत्यावेदन उक्त समिति के समक्ष हैं और समिति दिनांक १९ जुलाई, १९७१ से इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही है। समिति के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों/यूनियनों के प्रतिनिधि अपने बयान दे चुके हैं, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक एवं गंभीरता से समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि यू० पी० हाइड्रो-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन उक्त समिति के सामने दिनांक २२ जुलाई, १९७१ को पेश होकर आपरेटिंग स्टाफ के जितन भी पद के वेतन निर्धारण में इस यूनियन को आपत्ति थी, उन सभी पदों के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। दिनांक २१ जुलाई, १९७१ को कानपुर बिजली मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री विमल मेहरोत्रा, तथा जेनरल सेक्रेटरी, श्री महेश नारायण चतुर्वेदी, को समिति ने ध्यानपवक सुना और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मामले में समिति न्यायपूर्ण संस्तुति करेगी। मान्यता प्राप्त एवं पांच यूनियनों को ही नहीं किन्तु परिषद् के कर्मचारियों के सभी यूनियनों और संगठनों को जिनके सदस्यों की संख्या काफी है, अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, ताकि किसी श्रेणी के कर्मचारियों का पक्ष अप्रस्तुत न रह जाय। यह भी उल्लखनीय है कि मुख्य मंत्री जी ने निदेश दिया है कि उपरोक्त समिति १० अगस्त, १९७१ तक अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दे।

राज्य शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन परिषद् द्वारा किया जाय। यदि परिषद् और उनके कर्मचारियों के बीच पूर्वोक्त समिति की संस्तुतियों के बाद भी कोई ऐसा विवाद शेष रह जाता है जिस पर दोनों पक्षों में आपसी समझौता न हो पाये तो ऐसे सभी विवादों को संराधन के लिये शासन द्वारा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र का गठन कर दिया गया है। इस प्रकार के सभी विवाद संराधन के लिये अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर, को अभिदिष्ट किये जायंगे। किसी मामले में समझौता न होने की दशा में उक्त प्राधिकारी राज्य सरकार को आख्या भेजेंगे और उस मामले म शासन द्वारा निणय लिया जायेगा।

४—उपरोक्त से स्पष्ट है कि वे सभी प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे परिषद् के कर्मचारियों का हित हो और उन्हें उचित न्याय मिले, किन्तु यह खेदपूर्ण है कि शान्तिपूर्ण ढंग से और शीघ्रातिशीघ्र समस्या को सुलझान के बजाय, कतिपय यूनियनें/संगठन इस वातावरण को दूषित बना कर तथा अराजकता और अव्यवस्था फैलाकर कर्मचारियों को गुमराह करना चाहती है। श्री विमल मेहरोत्रा एवं महेश नारायण चतुर्वेदी, कानपुर बिजली मजदूर, सभा, जिनको समिति ने पूण रूप से आश्वस्त किया था कि केन्द्रीय वेतन मंडल की संस्तुतियों को सही तरीके लागू करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उनकी यूनियन तथा अन्य यूनियनों की आपत्तियों पर विस्तार एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, न दड संहिता की धारा १४४ तोड़ कर गैरकानूनी कार्य किया है। यहीं नहीं, इस यूनियन ने दिनांक २३–२४ जुलाई, १९७१ को १२ बजे रात्रि से २४–२५ जुलाई, १९७१ की रात्रि १२ बजे तक कानपुर विद्युत् संपूर्ति प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा 'ट्रूल डाउन' हड़ताल करा दिया तथा प्रदशन किये। इससे कानपुर में बिजली की अव्यवस्था उत्पन्न हुई और विद्यत् जनन ५५ मेगा वाट से घट कर १६ मेगावाट ही हो पाया। हायडिल १२ से १५ मेगावाट लेने के बजाय उस दिन ३० से ३५ मेगावाट बिजली लेने पर भी कमी हो जाने के फलस्वरूप कतिपय औद्योगिक संस्थानों को १४ जुलाई, १९७१ को बिजली की सप्लाई बन्द कर देनी पड़ी। लखनऊ में एबट रोड सब स्टेशन के एक कर्मचारी को एक उपभोक्ता द्वारा दिनांक २० जुलाई, १९७१ की शाम के सब स्टेशन पर मारपीट किये जाने की घटना को लेकर बिजली कर्मचारी संघ ने मांग की कि यदि दो घंटे के अन्दर बिजली नहीं काटी गई और उस उपभोक्ता से क्षमा नहीं दिलाई गई तो स्थिति बहुत ही असन्तोषजनक हो जायगी। बिजली कर्मचारी संघ की उपरोक्त मांग न्याय और विधि के अनुकल नहीं थी और धारा ३३२ आई०पी०सी० के अन्तर्गत थाना सदर में मुकदमा कायम होने के बाद भी दिनांक २१ जुलाई, १९७१ को प्रातः लखनऊ इलेट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के अनुरक्षण विभाग के कर्मारियों ने 'ट्रूल डाउन' हड़ताल कर दिया तथा रजीडेंट इंजीनियर के कार्यालय व अनुरक्षण विभाग के कर्मचारी गण (लगभग ६५०) काम पर नहीं आये और आन्दोलन करते रहे। दिनांक २२ जुलाई, १९७१ को सभी कर्मचारी काम पर वापिस लौट आये। दिनांक २१ जुलाई, १९७१ की

रात्रि में उपभोक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। इस प्रकार की घटना को लेकर कानून के रास्ते को छोड़ कर आन्दोलन का रास्ता अपनाना नितान्त अवांछनीय था। यही नहीं केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन संबंधी पूर्वोक्त शासन और परिषद् के तमाम सहानुभूतिपूर्ण प्रयत्नों के बावजूद अव्यवस्था फैलाने और शांति पूर्ण वातावरण को भंग करने की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी यूनियनों/संघों ने परिषद् को नोटिस दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे दिनांक ९ अगस्त, १९७१ से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिये बाध्य होंगे—

(१) हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन,
(२) कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर,
(३) विद्युत् कर्मचारी संयुक्त समिति, जिन में निम्न यूनियन/संघ सम्मिलित है—

१—अधीनस्थ अभियन्ता (जल विद्युत्) संगठन,
२—उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ,
३—कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कस, यूनियन,
४—राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारी संघ,
५—राज्य विद्युत् कार्यालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश,
६—यू० पी० स्टेट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्पलाइज, यूनियन,
७—विद्युत् श्रमिक संघ, उत्तर प्रदेश।

इनमें से हाइड्रोइलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन ने यह भी धमकी दी है कि दिनांक १० अगस्त, १९७१ को जो लोग आत्मदाह करना चाहेंगे उन्हें यूनियन से इजाजत दी जा सकती है। सदस्यगण अनुभव कर सकते हैं कि यह कहां तक शोभनीय है जब कि वर्तमान सरकार श्रमिकों के हितों के लिये जागरूक है और आवश्यक सुविधाओं एवं उनकी उचित मांगों के लिए सदैव प्रयत्नशील है।

बिजली संघों द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ मांगों के बारे में मैं प्रकाश भी डाल देना चाहता हूं।

(१) वर्कचार्ज स्टाफ को रेगुलर के बराबर वेतन, उन्हें ३ वर्ष बाद रेगुलर किया जाना, वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार वेतन मंडल ने संस्तुति की है कि अकुशल दैनिक वेतन भोगी कार्य प्रभारी कर्मचारियों को ३.५० रु० प्रति दिन की दर से संहेत वेतन दिया जाय लेकिन जिन कर्मचारियों को इससे अधिक वेतन दिया जाता है या अधिक सुविधायें दी जाती है वह पूर्ववत् रहें। शासनादेश द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को न्यूनतम परिलब्धियां मजदूरी बोर्ड द्वारा संस्तुति से अधिक रक्खी गयी है। इस प्रकार कार्य प्रभारित श्रेणी के कर्मचारियों की परिलब्धियां उस हद तक भविष्य में सीमित रक्खी जायेंगी जिस सीमा तक उन्हें इस समय देय है। इस आधार पर शासनादेश पारित हुआ। इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन की ओर से आपत्तियां आई हैं। उनकी समस्याओं को सुना गया। वित्त एवं विद्युत् मंत्री के समक्ष विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्यायें रक्खीं और उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और १८ जून, १९७१ के शासनादेश से इस प्रकार के भ्रम या असंतुष्टि को शीघ्र ही निराकरण कर देने के प्रयास किये जा रहे हैं। जहां तक इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रेगुलर होने का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने २९ जून, १९७१ के कालागढ़ की सभा में स्पष्ट घोषणा में यह निश्चित कर दिया है कि अनुरक्षण (मेनटीनेन्स) के शतप्रतिशत तथा निर्माण कार्य के

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

५० प्रतिशत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जायगा और भविष्य में इस प्रकार के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की साधारणतया नियुक्ति नहीं होगी। कार्य प्रभारित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता आदि के सम्बन्ध में २३ जुलाई, १९७१ को यह आदेश पारित किये गये हैं कि ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। यदि किसी असाधारण परिस्थिति में इस प्रकार की यात्रा आवश्यक है तो उन्हें वास्तविक यात्रा-व्यय दिया जाना निश्चित हुआ है।

(२) दूसरी आपत्ति उनको यह है कि मजदूरी बोर्ड की अनुसंशाओं को लागू करने में ६८ पदों का स्केल गलत हुआ है। इस आपत्ति के बारे में ध्यानपूर्वक विचार करने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने १८ जून, १९७१ को यह आदेश पारित किये कि अविलम्ब एक विज्ञप्ति निकाली जाय कि जिन लोगों को इस फिटमेन्ट में कोई आपत्ति हो वह ५ जुलाई, १९७१ तक अपनी आपत्ति परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। उस पर अविलम्ब निर्णय लिया जायगा। इसी उद्देश्य से माननीय वित्त एवं विद्युत मंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी की नियुक्ति की है जिसके संयोजक एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसकी बैठक १९ जुलाई, १९७१ से शुरू है और उसे यह आदेश है कि १० अगस्त तक अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दे। इस संबंध में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि बेसा के प्रतिनिधिगण, श्री विमल मेहरोत्रा और श्री महेश नारायण चतुर्वेदी २१ तारीख को इस समिति के समक्ष उपस्थित हुये और उन्होंने अपनी आपत्तियां कमेटी के सामने प्रस्तुत कीं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्रमिकों की विशेष सुविधाओं के लिये शासनादेश २५ जुलाई, १९७१ के द्वारा एक विशेष संराधन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। श्रमिकों की विशेष समस्याओं को सुलझाने हेतु उन्हें यह भी सुविधा दी गई है कि यदि उनकी कोई आपत्ति ऐसी हो जिसका समाधान न हो सका हो तो वह शासन के समक्ष भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

(३) श्रमिकों की तीसरी मुख्य मांग यह है कि फिटमेन्ट के सिलसिले में मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों की सलाह ली गई। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि फिटमेंट को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिये दो स्तर पर आमंत्रित किया गया था और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये फिटमेंट में संशोधन किया गया था। इसके पूर्व ही जनवरी, १९७१ में त्रिदलीय सम्मेलन भी किया गया था जिसमें मोटे तौर पर संस्तुतियों को कार्यान्वित करने पर सहमति हुई थी। ऐसी दशा में यह कहना कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सम्मति की फिटमेन्ट के सम्बन्ध में अवहेलना की गई है बहुत उचित नहीं है।

जहां तक सेवा शर्तों का प्रश्न है विद्युत परिषद ने ११ वर्गों की सेवा शर्तें बना दी हैं और उन्हें प्रकाशित भी कर चुका है। ५ सेवा शर्तें विचाराधीन हैं जिन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

इसके पश्चात् हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन ने अपनी एक मांग यह भी रखी है कि पिछले समझौते लागू नहीं किये गये हैं। यह एक ऐसी अनिश्चित मांग है जिस पर बिना निश्चित प्रकाश डाले हुये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पिछले समझौते के बारे में संबंधित संगठनों से यह कहा गया है कि कृपया उन मांगों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें कि वह कौन से समझौते हैं जिनको अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न इकाइयों के श्रमिकों द्वारा अनेक तरह की मांगें की गई हैं। उन पर विचार हुआ। निर्णय लिये गये हैं औ उनको कार्यान्वित किया गया। जहां तक शासन को जानकारी है विभिन्न समझौते द्वारा जो मांगे मांगी गई हैं परिषद द्वारा उन पर स्पष्ट आदेश समय समय पर पारित कर दिये गये हैं। यदि कोई समझौता शेष रह गया हो तो उस पर भी निश्चित निर्णय लिये जाने के प्रयास किये जा सकते हैं।

एक मांग यह भी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के २७ कर्मचारी जो नौकरी से निकाल दिये गये हैं उन्हें सवेतन सेवा में वापस लिया जाय। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली हड़ताल के सिलसिले में जितने श्रमिक और कर्मचारियों के ऊपर इस प्रकार की कार्यवाही हुई थी उनमें सभी को प्रायः कार्य पर वापस ले लिया गया है लेकिन जिन पर हिंसात्मक आरोप हैं उन पर विचार हो रहा है। ऐसे ही मामलों में दो को अपी पुनः नियुक्ति के आदेश प्रदान किये गये हैं। इन २७ के बारे में, जहां तक मेरी जानकारी है, हड़ताल से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। अनेक विभिन्न आरोपों में इनके विरुद्ध विभिन्न कार्यवाहियां हुई हैं। लेकिन शीघ्र ही इन पर पुनर्विचार किया जायगा। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही आश्वासन दिया जा सकता है कि अपीलों में इनके साथ अन्याय नहीं होने पायगा।

६--उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासन की सदैव यह नीति रही है कि परिषद के कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध हो। परिषद अपने स्तर पर समिति बना कर केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं के अनुसार वर्गीकरण संबंधी विवादों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप का ही परिणाम है। आशा है कि अधिकतर विवाद सौहार्द्रपूर्ण रूप से हल हो जायेंगे। यदि परिषद के कर्मचारियों अथवा उनके यूनियनों को समिति के किसी निर्णय से सन्तोष नहीं होता है तो वे संराधन की कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना करेंगे। संराधन अधिकारी यदि किसी मामले में समझौता कराने में असमर्थ होंगे, तो वे उस मामले को शासन को संदर्भित कर देंगे। इन सब विधिक व्यवस्थाओं और उपलब्धियों को न अपना कर यदि कर्मचारीगण हड़ताल के लिये तत्पर हैं, तो खेदपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। फिर वर्तमान परिस्थितियों में भी शासन का सतत प्रयास है कि समस्याओं का समाधान आपसी वार्ता से हो जाय। अभी दिनांक २६ जुलाई, १९७१ ३० जुलाई, १९७१ को वित्त व विद्युत मंत्री एवं राज्य मंत्री से कुछ बिजली यूनियनों के पदाधिकारियों से वार्ता भी हुई। उनकी आपत्तियों को सुन कर १८ जून, १९७१ के शासनादेश के बारे में विचार के लिये ३ अगस्त, १९७१ को मंत्रि परिषद के विचारणीय विषयों में यह एक विषय माना गया है। अब भी शासन प्रयत्नशील है कि इन सभी समस्याओं का सुन्दर ढंग से समाधान हो जाय।]

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

सरकार ने अपने वक्तव्य में अपनी नीति का स्पष्टीकरण कियाहै कि वे बिजली कर्मचारियों की मांगों के बारे में उचित व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या सरकार के लिये सम्भव है कि दो तीन चार दिन का फासला देकर विद्युत कर्मचारियोंकी जितनी संस्थाएं हैं उन सबके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर और अपनी कठिनाइयों को उनके सामने रखकर इस प्रश्न को सुलझावें?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

माननीय सदस्य का सुझाव अवश्य अवलोकनीय है। इस प्रसंग में मैं उन्हें सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार विद्युत परिषद् के अध्यक्ष, सचिव, विद्युत विभाग के सचिव, मैं स्वयं और राज्य मंत्री जी जो अलग अलग श्रेणियों की संस्थायें हैं उनसे परामर्श करते रहे हैं और यह क्रम अभी जारी है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि तीन चार दिन के अन्दर उनकी जो मुख्य मांगें हैं उनपर कुछ निर्णय ले लिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या उनके प्रतिनिधियों का कोई सामूहिक सम्मेलन बुलावेंगे ?

श्री राम करण सिंह (जिला गोरखपुर)---

जो सम्बन्धित यूनियनें हैं उन्होंने ९ तारीख से हड़ताल की नोटिस दी है। वह नोटिस सरकार को कब प्राप्त हुई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अलग-अलग यूनियनों ने अलग-अलग समय पर नोटिसें दी है । एक आध नोटिस सामूहिक रूप से भी आयी हैं । अलग-अलग नोटिसें जो आयी हैं उनकी ठीक तिथि इस समय नहीं मालूम है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमने कहा था कि ९ अगस्त से बिजली कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ५ अगस्त तक इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेंगे । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने विद्युत कर्मचारियों से बातचीत करके कोई हल निकाल लिया है और अब हड़ताल होगी या नहीं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सम्मानित उपनेता विरोधीदल ने जो सुझाव मुख्य मंत्री जी को दिया था और मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसी के अनुसार पांच छः अगस्त तक कोई निर्णय ले लिया जायगा । कल इस पर मंत्री परिषद् में विचार भी हो रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया था कि क्या आप २-४ दिन का फासला देकर विद्युत् कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों का सामूहिक सम्मेलन बुलाने के लिये तैयार हैं और दूसरे यह कि जो वर्गीकरण आप करने जा रहे हैं उसमें किसी भी कर्मचारी का वेतन कम नहीं होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सम्मानित सदस्य ने जो सुझाव दिया तो ५ अगस्त नरसों है और सब यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाने में देर हो सकती है । यहां अब भी जिन प्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं उनमें यूनियनों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं । यह हो सकता है कि जो समस्याएं रह जायं उनके बारे में मैं फिर सम्मेलन बुला लूं । जो मुख्य मांगें हैं उन पर जल्दी निर्णय लेना है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इधर से किसी को प्रश्न नहीं करना है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो मुझे समय दे दें ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर जो उठता नहीं है उन्हें कह कर आप उठा रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जो उठते नहीं हैं, उन्हें उठाना जरूरी है । आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह बहुत महत्वपूर्ण है । दो तीन स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हैं ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल))---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने कहा है कि कल मंत्रिमंडल की बठक इसपर होने वाली है, मंत्रिमंडल की बैठकके तत्काल बाद आप इस सदन में घोषणा करेंगे कि आपने कौन-कौन निर्णय लिये हैं यानी कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की हैं ?

केन्द्रीय विद्युत् वेतन मण्डल की संस्तुतियों को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम ७१३ ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आप सहमत होंगे और यह सम्मानित सदस्य भी कि इस प्रकार की घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ही की जा सकती है ।

श्री रामविलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

मंत्रीजी ने वक्तव्य में कहा है कुछ कर्मचारी जो निकाले गये हैं, उसमें से वही अब रह गये हैं जिन पर हिंसात्मक आरोप हैं, लेकिन उसीके बाद उन्होंने कहा है कि उनमें से भी दो की पुर्न-नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं, तो यदि इन दो पर हिंसात्मक आरोप होते हुए नियुक्ति के आदेश दे दिये गये ह तो क्या कारण है कि शेष २७ आदमियों को उससे वंचित रखा गया है ?

विद्युत् राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)---

जिनकी सूचना आ गयीहै कि वे हिंसात्मक आरोप के दोषी नहीं पाये गये उन्हें ले लिया गया है और बाकी पर जब विचार हो जायगा तो उन पर भी सोचा जायगा ।

श्री बंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)---

जो उनकी मांगें हैं, उसमें से कितनी सरकार को मानने में कठिनाई हो रही है, अन्यथा उसे तुरन्त घोषित कर देना चाहिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जो सबसे अधिक कठिनाई प्रतीत हुई है अब तक वह दो-तीन प्रश्नों पर पड़ी है । एक तो यह कि फिटमेंट हैं, वह किस आधार पर किया जाय । क्योंकि सेन्ट्रल वेज बोर्ड ने अपना प्वाइन्ट रेटिंग का तरीका निकाला है कि एक यूनिट में इतना होना चाहिये, इस हिसाब से होना चाहिये । तो यहीं पर फिटमेंट के बारे में देर है । इसी के इन्टरप्रेटेशन में ३-४ रायें हो गयी हैं । तो किस पर कितना ऊंचा नीचा फिटमेंट पड़ता है इसको देखना है । उसको देखते हुये कठिनाई आ रही है । दूसरी कठिनाई आ रही है वर्कचार्ज के बारे में, वर्कचार्ज किस हद तक किया जाय । उनको विद्युत् परिषद् में जो सुविधायें मिलती हैं, वेज बोर्ड ने उसके बारे में अपनी सिफारिशें की हैं । तीसरी बात कर्मचारियों के बारे में है । कुछ वहां पर राज्य कर्मचारी ह जो कि विद्युत परिषद् में काम कर रहेंहैं, और कुछ विद्युत् परिषद् के अपने कर्मचारी हैं । इस प्रकार वहां दो प्रकार के कर्मचारी हैं । इन दोनों कर्मचारियों पर विचार हो रहा है कि यह गवर्नमेंट सरवेंट पर भी लागू होगा और उनके सवट पर भी लागू होगा । तो इन सब मुख्य-मुख्य बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मंत्रीजी मंत्रिमंडल के समय इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति आदि का उत्तरदायित्व अब तक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिग इंजीनियर पर था, उस काम को चेयरमन, विद्युत् परिषद् ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे जो लोग नियुक्त की लिस्ट में उम्मीदवार हैं, उन्हें चांसेज मिलने की गुंजायश की कमी हो गयी है और यहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है । इसे देखते हुये क्या मंत्री जी फिर से विकेन्द्रीकरण करके इस व्वयस्था को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर व सुप्रिटेंडिग इंजीनियर को दुबारा देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह जो प्रश्न है अपनी जगह महत्व का है, लेकिन इसमें इसका सवाल नहीं आता है । इसलिये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि वह लिखकर दे देंगे तो अलग से हम विचार कर लेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

वेज बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने मान लिया है और विद्युत् परिषद् उसमें संशोधन करके लागू कर रही है तो क्या-क्या संशोधन उसने किये हैं ? और क्या वह सर्वसम्मत सिफारिश को जिसे केन्द्र ने माना है लागू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो विद्युत् परिषद् ने अपनी कठिनाई प्रस्तुत की हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी हैं, केसा के कर्मचारी हैं, एल०ई०एस०सी० के कर्मचारी हैं, उनके वर्गीकरण के सम्बन्ध में उसने अपनी समस्यायें रखी हैं। उनके वर्गीकरण में उनके लिये कुछ अपनी समस्यायें रखी हैं। उसको लेकर मंत्रि परषद् में विचार हो कर निर्णय लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो वेज बोर्ड ने सिफारिशें दी हैं, गुजरात के उद्योगों को वे बना कर दी हैं, लेकिन बहुत से पद जो गुजरात में हैं वे यहां नहीं हैं, इसके कारण बड़ी असुविधा हो रही है, इसको ध्यान में रख कर कि उस कार्य के करने वाले को वही वेतन मिले, जो विधान मंडल की भावना है, इस बात विचार करेंगे ? दूसरी बात यह है कि संराधन समिति कायम करेंगे। उसके बजाय जो विवाद हो उसको ऐडजुडीकेशन में देने के लिये तैयार होंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार का निर्णय है कि वेज बोर्ड के आधार पर काम किया जाय। वेज बोर्ड लागू करने का निर्णय हो चुका है। लेकिन कुछ प्वाइंट रेटिंग वगैरह, जिस पर वेज बोर्ड खुद फिटमेंट तय नहीं करता है, उसको हमें तय करना है। उस पर बुनियादी झगड़ा है। उसको हल करने के लिये छः सदस्यों की कमेटी बनायी है। वह कार्य पूरा करने वाली है। गुजरात का पैटर्न जो आपने कहा, हमारे सामने, चाहे गुजरात का पैटर्न हो, जो सेंट्रल वेज बोर्ड ने संस्तुति की है उसको लागू करना है। जहां तक दूसरे विषय का प्रश्न है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कंसीलिएशन में टाइम न लगे ऐंडजुडीकेशन में दे दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दूसरी बात आपने कही। त्रिदलीय सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि एक ऐसा संराधन अधिकारी बनाया जाय उसके अनुसार जी० ओ० में भी प्राविधान किया गया था। अगर यह संराधन अधिकारी समझौता नहीं करा पाते हैं तो फिर शासन के पास आये। शासन जरूरी समझेगा तो ऐंडजूडीकेशन में भेजा जायगा।

श्री गोविन्द सिंह—

इस बात को देखते हुये कि त्रिदलीय सम्मेलन में जो पास हुआ है, उस पर अमल नहीं किया गया, लगातार मसला चलता आ रहा है, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद जो विवाद रह जायगा उस विवाद को कंसीलियेशन के बाद ऐडजुडीकेशन के बाद आर्बिट्रेशन करवाने में माननीय मंत्री जी को क्या एतराज है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, अगर सम्मानित सदस्य का सहयोग होगा और सदन का आशीर्वाद होगा तो मुख्य बातें विवाद की रह नहीं जायंगी।

सरकारी सस्ती दूकानों पर चीनी का भाव बढ़ जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तगत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची–१३ । माननीय वीरेन्द्र वर्मा, अब आप चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मान्यवर, पिछली एक तारीख में इस सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी माननीय शम्भू नाथ चौधरी के प्रश्न के उत्तर में १५ जूलाई को स्पष्टतयः अपने विचार चीनी के वितरण पर न रख सके थे । क्योंकि बहुत सी शुगर फैक्टरियों ने इस बीच हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी और प्रदेश की सरकार की तरफ से, जैसा कि उनके नोट में बताया गया है, उसके विरुद्ध कोई पैरवी भी नहीं की गयी थी यह भी नहीं बताया गया इस नोट में कि किन केन्द्रीय सरकार की तरफ से क्या उसमें पैरवी की गयी और अब वह किस स्थिति में है, क्या उसके ऊपर केन्द्रीय सरकार की तरफ से अथवा प्रदेशीय सरकार की तरफ से पैरवी किया जा रहा है, उस नोट में वह स्पष्ट नहीं है । उन्होंने अपने नोट में यह भी दिया है कि चीनी की कीमत १३ रुपये से २२ रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है लेकिन उससे गन्ना उत्पादकों को कुछ न मिल सका।

यह भी उन्होंने नोट में स्वतः लिखा है कि चीनी की कीमत निकालने में गन्ने के मुल्य का भी एक अंश होता है और दो तिहाई से भी अधिक उसका मूल्य चीनी के मूल्य में लगाया जाता है और जब चीनी की कीमत हाई कोर्ट ने बढ़ा दी तो अपने आप ही कृषकों को उस बढ़े हुये मूल्य की कीमत मिलनी चाहिये जिस प्रकार की बोनस के रूप में वहां के मजदूर को दी जायगी लेकिन उस नोट से साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिये केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर नहीं डाला गया कि चीनी की बढ़ी हुई कीमत में से वह काश्तकार को भी बढ़े हुये दाम दिलाने का प्रयास करेंगे । आप देखें कि ६९–७० तथा ७०–७१ में चीनी वालों ने हाई कोर्ट से अपनी कीमत बढ़वा ली और केन्द्रीय सरकार कुछ भी करने में असमर्थ रही । उस दृष्टि से मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो चीनी की बढ़ी हुई कीमत जिलाधिकारियों के पास रखी है और इस बीच में चीनी का नियंत्रण हटा दिया गया है तो उस बढ़े हुये रुपये का वितरण चीनी मिल मालिकों से किसान तथा मजदूर को किस रेश्यो से करायेंगे, इस पर भी अपने उत्तर में वह प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ।

उस दिन उन्होंने यह जो कहा था कि चीनी की कीमत जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की जाती है यह उनकी बात सही नहीं थ । चीनी की कीमत सरकार द्वारा अलग-अलग जोन्स की निर्धारित की जाती है । यह बात सह है कि २ रुपये ६८ पैसे या उसके लगभग जो खर्चा होता है यातायात, जो मुनाफा होता है होलसेलर तथा रिटेलर का वह अलग से उसमें जोड़ा जाता है । उस समय जो चीनी की कीमत बढ़ी थी जिस पर प्रश्न किया गया था उसका भी कोई माकूल उत्तर मंत्री जी की तरफ से नहीं दिया जा सका । आज सारे आंकड़े उनके पास उपलब्ध हैं । इसलिये वह इन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे कि चीनी की बढ़ती कीमत को वह क्यों नहीं रोक सके, आज किस स्तर पर उच्च न्यायालय में मामला पड़ा है और मिल मालिकों से लड़ने में तथा अपनी पैरवी करने में उनकी तरफ से क्या कोशिशें जारी हैं ? और क्या उन किसानों को जिनके गन्ने से चीनी बनती है, कोई मुनाफा न होकर सारा मुनाफा केवल मिल मालिक ही खायेगा और क्या बढ़ी हुई कीमत काश्तकार और उपभोक्ता ही बर्दाश्त करेगा ?

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु इतना निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि किन-किन तरीकों को क्या-क्या राहत माननीय मंत्री जी दिला सकेंगे, इस पर भी वे प्रकाश डालने की कृपा करें। और भी माननीय सदस्य इस

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पर बोलना चाहेंगे अतः मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिये समुचित पैरवी करने की कृपा करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि इस सरकारने अभी तक केन्द्रीय सरकार को यह भी नहीं लिखा है कि बढ़ी हुई चीनी की कीमत में कृषकों को भी कुछ अंश मिलना चाहिये। यदि यही लिख देते, प्रयास करते तो हमको कुछ संतोष होता। अतः आप कृपया किसानों के लिये इस बात का प्रयास करें कि बढ़े हुये दामों का कुछ अंश उन्हें भी मिल सके और आप इसमें सफलता प्राप्त करें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

श्रीमन्,अगर आप आज्ञा दें तो इन सब बातों का जवाब मेरे पास एक स्टेटमेंट है उसे पढ़कर, दे दूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बहुत लम्बा है.....

श्री बेनी सिंह—

सवाल भी लम्बा है तो जवाब भी लम्बा ही होगा। बात यह है कि इस मामले में कोई चीज छिपाई नहीं गई है। मैं हाउस को कान्फिडेन्स में लेना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई चीज नहीं मिलती है और कहां की कहां ले आते हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि गन्ने की कीमत गवर्नमेंट आफ इंडिया निर्धारित करती है। मैंने इसमें लिखा है कि गन्ने की कीमत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने पूछा है इसलिये इसका पूरा जवाब देना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उन्होंने लिखा है चीनी के बढ़े हुये दामों से गन्ने की अधिक कीमत प्रति क्विंटल देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा हर मिल के लिये निर्धारित किया जाता है तथा लेवी प्राइस के पुनरीक्षण से गन्ने के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता है... गन्ना मूल्य तो चीनी के कास्ट आफ प्रोडक्शन का एक अंग है और चीनी का दाम "कुछ हद तक"...आपने स्वयं कुछ हद तक कहा है और मैंने २/३ हिस्से तक कहा है. गन्ने के दाम पर निर्भर करता है....

श्री बेनी सिंह—

इस मामले से सम्बन्धित देहात में एक कहावत है, "मारो घुटना फूटी आंखें।" इसलिये मान्यवर, मैं इसे पूरा पढ़ देता हूं। सभी सवालों का जवाब इसमें आ जायेगा.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कहावत उन्होंने कही है उसको यहां पर चरितार्थ न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य-मुख्य बातें इसमें जो हैं उसे आप पढ़ दें कार्यवाही में तो सब आ ही जायेगा....

श्री बेनी सिंह—

गन्ने का जहां तक ताल्लुक है उसका भाव गवर्नमेंट आफ इंडिया ही तय करती है। हमको उसका हक भी नहीं है। इसमें लिखा है—गन्ने के मूल्य सम्बन्धी उठाया गया प्रश्न उद्योग विभाग से संबंधित है परन्तु सदस्यों को जानकारी के लिये उद्योग विभाग से जो सूचना उपलब्ध हुई है प्रस्तुत है—

उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेश देकर लेवी प्राइस को एक उच्च दर पर निर्धारित किया और यह आदेश दिये कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर और उच्च

न्यायालय द्वारा निर्धारित दर में जो अन्तर है उसको जिलाधिकारी के यहां जमा कर दिया जाय जब तक कि रिट याचिकाओं में अंतिम आदेश नहीं हो जाते चीनी के बढ़े हुये दामों से गन्ने की अधिक कीमत प्रति क्विंटल देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा हर मिल के लिये निर्धारित किया जाता है तथा लेवी प्राइस के परीक्षण से गन्ना मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। गन्ना मूल्य तो चीनी के कास्ट आफ प्रोडक्शन का एक अंग है और चीनी का दाम कुछ हद तक गन्ने के दाम पर निर्भर करता है। परन्तु इसके विपरीत नहीं होता। जो पैसा चीनी मालिकों को उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों द्वारा मिलना था वह भी अभी जिलाधिकारियों के पास खाते में जमा है और चीनी मालिकों को नहीं मिल पाया है। इस रुपये का उपयोग कैसे हो यह उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों पर निर्भर करेगा।"

यह सब इसमें मौजूद है। अब मैं क्या बताऊं। आप सब प्रश्नों का उत्तर इसमें पायेंगे। इसीलिये मैं चाहता था कि इसको पढ़ दिया जाता तो स्पष्ट हो जाता। जिनके पास पहुंच गया है वह तो जानते हैं, जिनके पास नहीं पहुंचा उनको पता नहीं है कि कहां से क्या होगा। इसलिये इजाजत दें तो इसको पूरा-पूरा पढ़ दूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

हमको भी मौका मिलना चाहिये। आपने कह दिया तो मैं चुप रहा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

खाद्यमंत्री जी, जितना आपने शरू में लिखा है उसकी जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

शुरू का जो है उसको छोड़ दीजिये। सारांश बता दीजिये।

श्री बेनी सिंह---

हमको जवाब देना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा पढ़े देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मंत्री जी पुराने सदस्य हैं। यहां पर यह नियम रहा है कि कोई भाषण होगा तो लिख कर पढ़ा नहीं जायगा। जो कुछ उनको कहना है अपनी याददाश्त के सहारे अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन यह तो पढ़ रहे हैं, ऐसा करना क्या उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा कि इसको* पढ़ा हुआ माना जाय, और आप उसकी मुख्य-मुख्य बातें बता दें, इसपर सवाल होगा।

(व्यवधान)

यह तो पूरा का पूरा आ जायगा कार्यवाही में। इसपर समय आधे घंटे का है। १०-१२ मिनट हैं। आधा घंटा तो पढ़ने में ही लग जायगा।

(*पढ़ी हुई मानी गयी। सामग्री के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४०–७४७ पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसलिये वीरेंद्र वर्मा, जो श्री दीपनारायण मणि, श्री चन्द्रभानशर्मा, श्री राम गोपाल संड तथा श्री विजय बहादुर जी इसके बारे म प्रश्न पूछेंगे आप उनका जवाब दे दें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जो आधा घंटे की चर्चा है यह एक विशेष प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य इसके बारे में दे दिया । १५ तारीख के उत्तर में और उसमें कुछ फर्क था इसलिये हमको यह शंका हो गयी थी । उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में रिट कर दिया । लेकिन मिल मालिकों की तरफ से हाईकोर्ट में रिट गया लेकिन उसके पहले ही चीनी के दाम बढ़ गये, ऐसा क्यों हुआ ? फिर रिट में क्या फैसला हुआ और अगर चीनी के दाम बढ़े तो गन्ने के दाम क्यों नहीं बढ़े ? इन सब बातों से लगता है कि यह सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है, इसलिये चीनी के दाम तो बढ़ गये लेकिन किसानों के गन्ने का दाम नहीं बढ़ा । हम यह देखना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश शासन इस बारे में जागरूक था या नहीं ? अगर जागरूक होता तो चीनी के दामों के साथ ही गन्ने के भी बढ़ गये होते ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक हाईकोर्ट से स्टे कब लाये । इस प्रदेश में सस्ते गल्ले की दूकानों पर चीनी के दाम कब बढ़े ? चीनी के दाम क्या पहले बढ़ गये थे और रिट बाद में दायर हुई थी ?

दूसरी बात यह है कि हमें इस सरकार से आशा तो यह है कि यह प्रोअर्स को प्रोटेक्ट करेगी, जब चीनी के दाम बढ़ाये गये तो सरकार को गन्ने के दाम भी बढ़वाने चाहिये थे । लेकिन गन्ने का उचित मूल्य दिलाने में यह सरकार असमर्थ रही । मैं पूछना चाहता हूं कि उसने इस बारे में केंद्रीय सरकार को कुछ लिखा या नहीं ? अगर नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा इससे साफ जाहिर है कि प्रदेशीय सरकार मिल मालिकों के साथ मिल कर साजिश कर रही है ।

श्री बेनी सिंह—

रिट दायर होने पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया । हाईकोर्ट ने जो नोटिस इश्यू किया उसमें यह लिखा गया कि शुगर की कीमत यह होगी और वह कीमत अलग जमा रहेगी, बाद में इसका फैसला होगा । उन्होंने फैक्ट्रीवाइज कीमतों को बढ़ा दिया । अब जो फुटकर खरीदने वाले थे उनके ऊपर तो यह कीमत लग ही गयी, हालांकि वह कीमत जमा है, लेकिन उसके लिये तो बढ़ ही गयी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह मान भी लिया जाय कि केंद्रीय सरकार ने चीनी के दाम बढाये, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बात मालूम थी कि जो चीनी के दाम तय किये जाते हैं उसके अनुपात में गन्ने के दाम होते हैं और उसे तय करने में प्रदेश कि सरकार का एक प्रतिनिधि भी होता है । तो जब इस प्रदेश में चीनी का दाम बढ़ा तो सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री बेनीसिंह—

मैंने अर्ज किया कि नोटिस देने पर ही उन्होंने बढ़ा दिया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा प्रश्न सीधा था कि आपने कोई ऐसा प्रश्न रखा केंद्रीय सरकार के सामने कि चीनी की कीमत न बढ़ावें ?

श्री बेनी सिंह—

यह उद्योग विभाग का मामला है । उनसे पूछा जाय । यह सवाल हमसे संबंधित नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उद्योग मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं और खाद्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह दाम अप्रैल के पहले हफ्ता में बढे जैसा कि शम्भूनाथ जी का सवाल था और हाई कोर्ट का जजमेंट कब हुआ ? दोनों की तारीख बता वें ?

श्री बेनी सिंह—

१९ दिसम्बर ७० को रिट हाई कोर्ट में दायर हुई और उसके बाद भाव बढे। ११ मई को डिकंट्रोल हो गया । यह हुआ कि यह प्राइस जमा रहेगी हाई कोर्ट के फैसला होने तक ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मंत्री जी ने जवाब दिया कि चीनी का मूल्य हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया और गन्ने का नहीं बढाया । यह हाई कोर्ट का फैसला देखने में जनहित विरोधी और गलत मालूम देता है है और हम विश्वास नहीं होता कि हाई कोर्ट का ऐसा प्रतिक्रियावादी फैसला हो सकता है । क्या उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि पैरोकारों ने कुछ बातें छिपा ली हों और ऐसी परिस्थिति ला दी हो कि चीनी मिल मालिकों के पक्ष में हाई कोर्ट को फैसला देना पड़ा जो अन्यायपूर्ण था ?

श्री बेनी सिंह—

यह रिट गवर्नमेंट आफ इंडिया के खिलाफ दायर हुई । प्रदेशीय सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है । हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की यह बात हमारे सामने नहीं आती है । जब तक कि हाई कोर्ट फैसला न कर दें तब तक हम क्या कर सकते हैं । हम पार्टी भी नहीं हो सकते हैं और एपीयर भी नहीं हो सकते हैं । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर है । इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जब हाई कोर्ट का स्टे मालूम हुआ, चीनी के दाम बढ गय और गन्ने क दाम नहीं बढे तो क्या केंद्रीय सरकार को कोई सुझाव दिया गया कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पूछा जा चुका है ।

श्री राव अब्दुर्राफे खां (जिला मुजफ्जर नगर)—

क्या प्रदेशीय सरकार ने कोई खत ऐसा लिखा है कि जब हाई कोर्ट ने चीनी के दाम बढ़ा दिये हैं तो गन्ने के दाम बढ़ायें जायं ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह दूसरे विभाग का मामला है मैं इसको नहीं बता सकता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चीनी की प्राइस चीनी की रिकवरी से लिंक-अप है और चीनी की रिकवरी गिरने के कारण उसी बेसिस पर हाई कोर्ट ने उसकी कीमत बढ़ायी है ?

श्री बेनी सिंह—

हाई कोर्ट का इंटरिम आर्डर मैं पढ़ कर सुना दूं । उसकी नकल मेरे पास है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी तारीख नहीं बता सकते और यह भी नहीं बता सकते कि उसमें कुछ किया गया है या नहीं । कहते हैं कि उद्योग विभाग का मामला है । तो फिर वे किस बात का जवाब देने के लिये आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब देते तो हैं ।

श्री बेनी सिंह—

ORDER

ISSUE NOTICE

In the meantime, the petitioner can, until further orders sell the Levy sugar quota of 1970-71, which has not been lifted, at the rate of Rs.141.74 per quintal for Grade D/29 sugar, provided that the price in excess of what is fixed by the Government of India, is deposited with the State Bank of India, at Padrauna, under a new account to be opened in the name of the District Magistrate, Deoria. The deposit shall be made weekly. The account can be operated by the District Magistrate only and not by the petitioner. The amount deposited will be refundable to the purchasers in case the writ petition is eventually dismissed, but if the writ petition is allowed, the petitioner will be entitled to he refund of such amoun as may be due under the orders of this Court. Final orders regarding this matter will be passed at the time of final hearing of the Writ Petition.

A copy of this order will be sent to the District Magistrate, Deoria, by name to enable him to open the account whenever approached by the petitioner."

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बांकेलाल....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं सवाल नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाद पर बहस हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । वह आता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो रिट हुई स्टेट गवर्नमेंट उसमें फरीक थी और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह ८ करोड़ उपभोक्ताओं के खिलाफ था । तो क्या सरकार ने अपने सरकारी वकील से यह राय मांगी कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाय? यदि नहीं मांगी तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, अगर धृष्टता माफ हो वंसे तो यह जवाब उन बेंचेज को देना चाहिये क्योंकि उनके सामने ही यह हुआ था । बहरहाल, मैं बार-बार अर्ज कर चुका हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोई पार्टी नहीं है । यह रिट गवर्नमेंट आफ इंडिया के खिलाफ है । उन्होंने ही इसकी पैरवी की होगी उन्हीं को हक था कि इस इंटरिम आर्डर के खिलाफ अपील करते । इसमें हमारी बात कहीं से आती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जब मंत्री जी यहां जवाब देने चले आये तो कम से कम उनको. . . (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

आध घंटे के समय से ज्यादा हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। अब चूंकि इसे समाप्त करना है इसलिये माननीय वीरेन्द्र वर्मा का जवाब होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, जिस उद्देश्य से नियम ४९ में चर्चा उठाई गई थी मुझे अत्यन्त दुख है कि माननीय खाद्य मंत्री उसका संतोषजनक उत्तर न दे सके । कई प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यही कहा कि इसका वास्ता उनके विभाग से नहीं बल्कि उद्योग विभाग से है । सौभाग्य से हमारे उद्योग मंत्री, मुख्य मंत्री जी जिनके पास यह उद्योग विभाग है वह भी इस समय यहां पर उपस्थिति हैं । सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है । अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात के ऊपर प्रकाश डाल देते । खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री सब इस समय यहां पर मौजूद हैं । सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ७·३७ रुपया फी क्विंटल जिस समय गन्ने की कीमत मुकर्रर की गई तो उसी समय फी क्विंटल चीनी की कीमत भी मुकर्रर की जाती है जिसमें गन्ने की कीमत चीनी की कास्ट आफ प्रोडेक्शन का २/३ अंश निकलता है क्योंकि वह उसी के साथ मुकर्रर होती है । जब चीनी की कीमत एक तरफ मिलमालिकों की रिट पर हाई कोर्ट ने बढ़ा दी तब आपकी सरकार के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि उपभोक्ता और उत्पादकों दोनों के इन्टरेस्ट में उसकी पैरवी करते । आप यह कहते हैं कि हमारा वास्ता नहीं है ।

इस प्रदेश में ९ करोड़ व्यक्ति रहते हैं । अगर चीनी की कीमत १३ से २२ रु० तक बढ़ा दी पर क्विंटल तो उसका सारा भार उपभोक्ताओं पर पड़ा । बढ़ी हुई चीनी की कीमत का लाभ गन्ना उत्पादकों को नहीं मिला तो इसका असर गन्ना उत्पादकों पर पड़ा। इसलिये खाद्य मंत्री जी का यह कहना कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं नहीं आती है बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह यहां के प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से और गन्ना उत्पादकों के हित की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के जरिये से इस बात की कोशिश करें । मुझे इस बात का भी दुख है कि यहां की सरकार ने

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

इसके संबंध में पैरवी करने में कोई प्रयत्न नहीं दिखाया । आगे भी यदि कानून इजाजत दे और पैरवी आप कर सकें तो प्रदेश के उपभोक्ता और गन्ना उत्पादकों के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिये आपको एक पार्टी बन जाना चाहिये और केंद्रीय सरकार के जरिये से भी इस बात की कोशिश करनी चाहिये ताकि उपभोक्ता और गन्ना उत्पादकों दोनों की रक्षा की जा सके । मैं पुनः आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से इस बात की अपील करता हूं।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

मेरी गाड़ी छूट रही है। मैं जाने वाला हूं । आप अगले विषय को ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह समाप्त हो रहा है।

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, जो रिट पैटीशन वहां हुई उसमें इंटरिम आर्डर हाईकोर्ट का है। उस आर्डर की अपील कहीं नहीं होती है । जब वह पेश होगा बाद को तभी वह वैकेट होगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि उन्होंने बढ़ा दी है चीनी की कीमत और गन्ने की कीमत को नहीं बढ़ाया है तो अब यह सवाल उठा। जब एक पैटीशन पर निर्णय हो जाय तभी हम देखें । बीच में जब तक फाइनल डिसीजन न हो जाय क्या देखें। इस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम बीच में नहीं आ सकते । अगर कुछ कर सकती हैं तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया कर सकती है क्योंकि उनका ही यह अधिकार है । गन्ने की कीमत को निर्धारित करने का भी उनका ही अधिकार है । बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखकर वह निर्णय करती है ।

एक बात और आप देखें कि यह जो इंटरिम आर्डर हुआ है उस रिट के ऊपर हुआ जो १९७०–७१ के प्रोडक्शन पर है । उस समय गन्ना पिर चुका था और उसकी कीमत तय हो चुकी थी और उसका पेमेंट भी हो गया है।

उनकी कीमत के बारे में भी हम नहीं जानते और गन्ने के संबंध में भी अभी नहीं बता सकते लेकिन शायद रिकवरी कम थी और लैवी ज्यादा थी इसलिये हाईकोर्ट ने कीमत बढाई हो लेकिन अभी उनका निर्णय नहीं हुआ है वह अभी गौर करेंगे और उसके बाद जो पैसा जमा है, संभव है वह वापस हो जाय या मिल मालिकान के पास जाय । यह हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही तय होगा । जहांतक इन सुझावों की बात है जो दिये गये हैं उन पर हम गौर करेंगे और जो उचित होंगे उनको मानने का भी प्रयास किया जायगा।

छितौनी बांध तथा बलिया-बेरिया बांध टूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है कि देवरिया जनपद और छितौनी बांध के संबंध में जो यह वक्तव्य बटा है उस पर नीचे किसी के भी सरकार की तरफ से हस्ताक्षर नहीं है । सदन में कभी भी कोई वक्तव्य ऐसा नहीं आता जिस पर जिस मंत्री का वह वक्तव्य हो उसका नाम अंकित न हो । यह पहला वक्तव्य बिना हस्ताक्षर के आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो इसमें उन्होंने केवल जो स्थिति है वह बताई है, यह कोई वक्तव्य नहीं है और जो चर्चा अब यहां होगी उसका अलग से वह कल उत्तर देंगे । यह तो केवल जो वस्तुस्थिति

है जो सूचना उनके पास है वह रख दी गई है । यह वक्तव्य नहीं है । अब इस प्रश्न पर एक घंटे की ....।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

वह तो ठीक है जो आपने कहा लेकिन जो यह पत्र बटा है गवर्नमेंट की तरफ से बटा है, उस पर किसी न किसी क हस्ताक्षर तो होना ही चाहिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ठीक है कि सरकार की ओर से बटा है लेकिन इस में केवल वस्तुस्थिति ही बताई गई है यह कोई वक्तव्य नहीं है ।

श्री इन्द्रमणि —

लेकिन किसी की तरफ से तो वह होगा, किस ने यहां बांट दिया, किसी के हस्ताक्षर तो होते ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह होते तब तो यह वक्तव्य ही हो जाता । यह तो आपकी सुविधा के लिये सूचना दी गई है । अब इसमें जो प्रश्न आज की बहस के लिये निर्दिष्ट है वह श्री सुरेंद्र विक्रम, श्री रामधारी शास्त्री, श्री बांके लाल और श्री हरबंश सहाय का छितौनी बांध के विषय में है और एक और एक यह दूसरा बेरिया बांध के बारे में है श्री हिम्मत सिंह आदि की उस पर चर्चा श्री रामधारी शास्त्री आरम्भ करें ।

श्री बांकेलाल —

इस पर केवल हम लोग जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं वही बोलें औरों को आप अवसर न दें, हमें तथ्यों की जानकारी है और लोगों को क्या मालूम वे तो केवल अखबार से पढ़ लिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी मौका मिलेगा लेकिन अभी मैं रामधारी जी शास्त्री से कहूंगा कि वह चर्चा का आरम्भ करें ।

(व्यवधान)

जब चर्चा के लिये यह विषय लिया गया है तो कोई तो पहले उसे आरम्भ करेगा । मैंने पहले उसके लिये श्री रामधारी शास्त्री को बुलाया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, साढे ६ की गाड़ी से मुझे जाना है, मुझे गाड़ी मिल जाय इस हिसाब से आप हमें भी समय दे दें ?

श्री बांकेलाल—

आप केवल उसी जिले के संबंधित लोगों को बोलने दें क्योंकि और लोग जिनको जानकारी नहीं है वे तो अनर्गल प्रलाप करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्या उनको न बोलने दिया जाय । उन को आप बोलने दें उसके बाद देखेंगे कि किस को समय दिया जाय । अब ६ बजे हैं यह ७ बजे तक चर्चा चलेगी ।

श्री मैनेजर सिंह---

हमें श्रीमन्, साढे ६ की गाड़ी पकड़ना है, उसके अन्दर ही आप हमें समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मजबूरी है हम क्या करें, जिसके नाम से नोटिस है उनमें से कोई पहले नियमानुसार आरम्भ कर दे, उस के बाद देखेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, नोटिस में तो सबसे पहले मेरा नाम था आपने मेरा हक छीन कर श्री रामधारी शास्त्री को दे दिया ।

श्रीमन्, सब सदस्यों को अधिकार है कि वे बोलें....

श्री उपाध्यक्ष---

आप शुरू करेंगे तो उनको समय नहीं मिलेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम सबसे पहले है....

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बहुत संक्षेप में छितौनी बांध की समस्या रखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, आप आदेश देंगे वे मानेंगे । आपने मेरा नाम....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, आप इसमें टाइम नियत कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी इसमें अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष---

समय निश्चित कर देंगे । लेकिन नियम ५४ में है कि---

"५४-औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी । विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।"

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, यह छितौनी बांध कोई नयी समस्या नहीं है....

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

श्रीमन्, धारा ५५ में है कि समय निर्धारण करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि ये संक्षेप में नहीं कहेंगे तो समय सीमा निर्धारण करूंगा ।

*श्री रामधारी शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा करके आपने छितौनी बांध के संबंध में मुझे विवाद का अवसर प्रदान किया था । माननीय, छितौनी रेलवे लाइन पर उस वक्त समस्या उत्पन्न हो गई। २ जुलाई को ११ बजे दिन में जब रेलवे लाइन का तट-बंध टूट गया था दो फर्लांग की चौड़ाई में जिसकी वजह से दस गांव बह गये थे, हजारों जानवर बह गये और पांच सौ के करीब आदमी बह गये । अब श्रीमन्, यह आज दूसरी समस्या आई है । उस समय सिंचाई मंत्री जी ने और वह अखबारों में भी छपा था, वक्तव्य दिया था कि अब कोई खतरा नहीं है । वीरभार की जो ठोकर है उसमें भी कोई खतरा नहीं है और उसी लहजे में यह भी कहा था कि मुझे किसी के मरने की कोई सूचना नहीं है । यह अखबारों में छपा । लेकिन उसके बाद एकाएक यह खबर तमाम अखबारों में छपी है । यह स्वतंत्र भारत है जिसमें पहले ही कालम पर छपा है । छितौनी बांध में २०० फीट लम्बी नई दरार । २०० फीट लम्बी एक और नई दरार पड़ गई है जिससे जिले की आबादी के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । बाढ़ इंजीनियर श्री ओ० पी० शर्मा मौके पर पहुंच गये हैं । भारी भरकम काम हो रहा है । श्रीमन्, वहां का लोकल अखबार है, जहां उसके स्थानीय सम्वाददाता रहते हैं । उसने जो खबर दी वह टूटने की ही है । लेकिन जो इंजीनियरस ने सतर्कता दिखाई उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं—

"छितौनी बांध पर बने एक मील लम्बे बीरभार ठोकर को गम्भीर रूप से खतरा पैदा हो गया है । ठोकर का आधा से अधिक भाग बुरी तरह गण्डक नदी के चपेट में आ गया है तथा बगल की लहलहाती फसल सहित जमीन कट-कट कर नदी के गर्भ में विलीन होती जा रही है । सिंचाई विभाग के इंजीनियर बहादुरी केसाथ मुकाबिला करते हुए पीछे हटते चले आ रहे हैं । कटाव की गति यदि इसी प्रकार तीव्र रही तो किसी समय बांध के कट जाने की आशंका है ।"

श्रीमन्, मैं एक आधारभूत प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पिछली बार भी मैंने मांग की थी कि वहां की स्थिति ऐसी है कि केवल विभागीय अधिकारी उसकी जांच करें यह उचित नहीं होगा क्योंकि बड़ा भारी विवादास्पद प्रश्न है । श्रीमन्, इसी सदन में २६ जुलाई, १९६६ को एक प्रश्न के सिलसिले में तत्कालीन सिंचाई उप मंत्री डा० राम नारायण पांडे ने जो उत्तर दिया था उसे भी पढ़ देना चाहता हूं—

"श्रीमन्, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है यह बात सही है कि यह बांध गलत जगह पर बना हुआ है । यह बांध नदी के पेटे के अन्दर है, यह बात सत्य है । यह बांध शुरू में ही गलत जगह पर बन गया । इस बांध के प्रभाव में केवल २१ गांव ७ हजार एकड़ जमीन के हैं । यह जमीन उस लेविल से नीची है । इसका जो लेविल है वह उस बांध के लेविल से नीचा है जिससे पानी पहुंच जाता है । उसके पानी का प्रभाव इस जमीन तक पहुंचता है तो नीची होने के कारण यह जमीन सदा पानी में रहेगी । जब तक यह बांध उस पेटे के अन्दर बना हुआ है तो उसकी मजबूती वैसी नहीं हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी ली जा सके ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामधारी शास्त्री]—

इसी सिलसिले में श्री रियासत हुसैन ने एक डाकूमेन्ट पढ़कर सुनाया था जिसमें चीफ इंजीनियर की राय थी, जो इस प्रकार है—

Had I been the Chief Engineer, when the bund was constructed in 1953, I would not have undertaken its construction in the meander belt because it can never afford to give permanent protection to the locality, even if we spend any amount, and there would be no end to recurring expenditure on repairs."

तो श्रीमन्, यह उस जमाने के चीफ इंजीनियर की राय है और उस समय भी श्रीमन् यही सरकार थी। यह मामला लोक लेखा समिति में भी आया और उन्होंने विनियोग लेखे १९६४-६५ एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६ की अपनी रिपोर्ट में पेज २५ पर यह लिखा है—

"११७—इस सम्बन्ध में समिति को विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से समिति को सन्तोष नहीं है। समिति को विदित हुआ कि सन् १९५५ से लगातार १९६५ तक इस बांध के निर्माण तथा इसके रख रखाव पर जितना भी व्यय हुआ है वह निरर्थक रहा, जिसका मूल कारण यह है कि बांध गलत जगह पर बनाया गया। छितौनी बांध के सम्बन्ध में सदन में भी काफी विवाद हुआ है।

इस सम्बन्ध में विधान सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुये सम्बन्धित उप मंत्री ने २६ जुलाई, १९६६ को यह स्वीकार किया था कि बांध का निर्माण उपयुक्त स्थान पर नहीं किया गया। समिति के सदस्यगण भी ८ अक्तूबर, १९६६ को बांध का स्थानीय निरीक्षण करने गये थे। सदस्यों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में बांध का निर्माण सही स्थान पर नहीं किया गया जिसका परिणाम यह है कि बांध बाढ़ के समय सदा टूटता रहा और वर्ष प्रति वर्ष उसके रख रखाव में व्यय बढ़ता रहा। समिति चाहती है कि जिन अधिकारियों ने इस बांध के निर्माण के लिये गलत स्थल को चुना एवं जिसके फलस्वरुप सरकार को प्रतिवर्ष बांध के रखरखाव और मरम्मत में लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हैं, उनके ऊपर उत्तर दायित्व निश्चित किया जाय और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो।'

फिर इसके आगे पैरा ११८ में लिखा है—

"समिति को यह कहने में खेद है कि समिति के सदस्यगण जब ८ अक्तूबर, १९६६ को बांध का निरीक्षण करने गये तो वहां चीफ इंजीनियर द्वारा समिति के समक्ष दिये गये विवरण से, भिन्न स्थिति उनको देखने को मिली जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी गण समिति को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराते हैं। समिति इस प्रवृत्ति को घोर निन्दा करती है एवं आशा करती है कि भविष्य में विभाग समिति को वास्तविक स्थिति की जानकारी देने में तत्पर रहेगा।

११९—छितौनी बांध १९५५ में बना और तब से इसके बचाव और सुरक्षा के लिये लगातार व्यय होता रहा। समिति को आश्चर्य है कि शासन के इतने टेक्निकल एक्सपर्टस ने, नदी के रुख को देखते हुये, बांध के स्थायी बचाव का कोई सुझाव नहीं दिया, न ही कोई रिवर ट्रेनिंग स्कीम ही बनाई। समिति का मत है कि इस योजना में बिना सोचे समझे करोड़ों रुपये की धनराशि उपर्युक्त कारणों से ही निरर्थक व्यय हुई है। समिति चाहती है कि इस लापरवाही के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार पाये जायं उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय।'

श्रीमन्, इतना सब पढ़ देने का केवल यही उद्देश्य था कि आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकूं और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि छितौनी बांध के

निर्माण में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। पहले इस बांध में १४ लाख रुपया लगा, फिर २७ लाख रुपया लगा और बाद में ६-१/२-करोड़ रुपया हो गया केवल मरम्मत पर।

इस बांध पर अतुल धन खर्च हो चुका है और अब भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बांध बचाया जा सकेगा या नहीं, यह राय चीफ इंजीनियर की उस जमाने की थी।

श्रीमन्, दूसरा वक्तव्य उप मन्त्री जी ने दिया। अब मैं सदन का ध्यान विधान सभा की कार्यवाही दिनांक २६ जुलाई, १९६६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें डा० राम नारायण पाण्डेय ने कहा था:—

"भारत सरकार से इस पर राय ली गयी थी। वाटर पावर कमीशन के चेयरमैन महोदय ने स्वयं जाकर उस बांध को देखा। उसके बाद उस माडेल को जांच के लिये दिया गया। उन्होंने अपने प्रस्ताव दिये और उन सुझावों को यहां की एक्सपर्ट्स कमेटी ने भी स्वयं जाकर साइट पर देखा और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि वहां पर बनने के बाद बांध की गारंटी आगे भी की जा सकती है, यह संदेहात्मक है।"

तो श्रीमन्, समिति की यह राय थी। बांध के उत्तर के हिस्से में २७ छोटे बड़े गांव थे। उन गांवों का कोई बचाव नहीं हुआ और सिंचाई विभाग के अधिकारी कान में तेल डाल कर सोये हैं। सरकार यह जानती है कि वे २७ गांव सिर्फ कागज पर हैं और धरती पर उन का कोई नामोनिशान नहीं है। बांध के दक्षिण के क्षेत्र का भी कोई बचाव नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सदन की एक समिति का गठन होना चाहिये और वह मौके पर जाकर देखे। अगर आप चाहें तो उसमें एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर दिया जाये।

एक तथ्य और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बांध के बचाव का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि वहां पर बांध के टूटने से पहले एक भी पत्थर नहीं था। पहले वहां पर श्री ओ० डी० शर्मा, एस० ई० रहते थे और अब उनको एडिशनल चीफ इंजीनियर बना दिया गया है। इतने लोगों को मुसीबत में डाल दिया गया है। बांध के टूटने की खबर किसी सिंचाई अधिकारी ने नहीं दी, बल्कि रेवेन्यू विभाग के किसी नायब तहसीलदार या तहसीलदार ने दी। वीरभार की ठोकर भी टूट गयी। वहां पर कोई सिंचाई अधिकारी नहीं था। मान्यवर, अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

इनका जो राशन देने का इन्तजाम है उस पर इनको बड़ा नाज है। श्रीमन्, हफ्ते भर के लिये केवल १ किलोग्राम राशन दिया है सारे परिवार के लिये। जितना गल्ला बंटा है वह प्राइवेट एजेन्सी ने बांटा है और इसलिये मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बजाये इसके कि लोग खिचड़ी खायं, हमारा मौलिक प्रश्न है, जिस पर आप ध्यान दें, कि क्या इस बांध को बनाया जाये?

श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो कोई बड़ी स्कीम बनावें और ऊपर से लेकर नदी को बांधे नहीं तो मेहरबानी करके खुदा के नाम पर छोड़ दें। आप आधारभूत ढंग से इस पर विचार करें वरना लाखों लोगों को आप बहाते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक २२ हजार लोग कैम्प में दाने-दाने को तड़प रहे हैं। बच्चे देखते रहते हैं कि कोई आदमी बोरे में चना लेकर तो नहीं आ रहा है। भिखमंगों जैसी उनकी दयनीय स्थिति हो गयी है। आपके अधिकारी कैम्प में नहीं जाते। वे खड़डा मिल के रैस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। एक ए० डी० ओ० कैम्प में था जिसने कहा कि मैं पूरी इत्तिला नहीं दे सकता। इस तरह से मान्यवर वहां जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री का जो वक्तव्य शुक्रवार को हुआ था उसको मैंने देखा। आज जो सूचना माननीय सदस्यों को दी गयी है उसको भी मैंने देखा है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो सूचनाएं बलिया से सरकारी एजेन्सो ने प्राप्त सूचनायें वे बिल्कुल सत्य से परे हैं। आज जो बलिया में जैसा नुकसान है, तबाही है उसका कोई चित्र इन सूचनाओं से नहीं मिलता है। श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी पिछले शुक्रवार को बलिया गये थे। उन्होंने स्वयं देखा कि बलिया में पश्चिम से पूर्व तक पानी फैला हुआ था। वह ४५ मील सड़क से गये और उन्होंने देखा कि बैरिया के आगे दायें बांये दोनों तरफ गंगा का पानी फैला हुआ था। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुये थे। उनके आने के बाद स्थिति और भी बदतर हो गयी है। बलिया बैरिया बांध अधिकांश स्थानों पर पानी से डूब रहा है। बलिया बैरिया बांध पानी से केवल एक फिट ऊपर रह गया है।

वहां आज बहुत खतरा पैदा हो गया है। अगर पानी एक फिट और बढ़ गया तो बलिया बैरिया बांध के ऊपर होकर पानी बहना शुरू हो जायेगा जो हमारे जिले का हिस्सा रेलवे लाइन और बांध के बीच का भू भाग और आधिक जल प्लावित हो जायगा। शुक्रवार को दी गयी सूचना में केवल ६२ घरों के कटने की रिपोर्ट थी। जो कमालपुर और चांदपुर में हैं। मैं कमालपुर और चांदपुर तो नहीं गया लेकिन मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग १०० घर गिरे हैं। चूंकि मैं वहां खुद नहीं गया इस लिये इसको सअधिकार नहीं कह सकता। इसी तरह गायघाट ठोकर के निकट भी ५० एकड़ फारा के नीचे और ५० एकड़ ऊपर जमीन कटी है। कई सौ एकड़ जमीन कमालपुर और चांदपुर में कटी है। अगर श्रीमन् इस नुकसान का मूल्यांकन किया जाय तो करीब ८५ लाख से अधिक का नुकसान हुआ होगा। शुक्रवार के वक्तव्य में कहा गया कि ५० हजार की क्षति हुई है। मैं उसको पढ़ कर हैरत में रह गया। मैंने जो हिसाब लगाया पूरे जनपद में केवल जमीन कटने और मकान गिरने से ही तो ८५ लाख से अधिक का ही नुकसान हुआ है। सल आदि की हानि तो अलग है, कुल कई करोड़ रुपये की क्षति केवल फसल की हानि से ही हुई।

श्रीमन्, हमारे जिले का आधा क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। तुर्तीपार श्री नगर बंधा के उत्तर की तरफ देवरिया जनपद से लेकर बिहार के सारन जिले की सीमा तक सारा इलाका जलप्लावित है। ३–४ दिन पहले तक घाघरा का पानी खतरे के विन्दु से नीचे रहा, किन्तु इधर उसका जल स्तर इतना बढ़ा है कि एक इन्च भूमि भी दिखाई नहीं दे रही है, सब जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तुर्तीपार श्री नगर बांध के दक्षिण की सारी फसल नष्ट हो गयी है, तमाम घर गिर चुके हैं। बलिया से लेकर ३५ मील का पूरा इलाका पानी से भरा है। करीब २३–२४ मील की लम्बाई तथा १५ मील चौड़ाई तक पूरा दुाबा का क्षेत्र जल प्लावित है। गांव के अन्दर पानी घुस रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां १५–२० घर गिरे न हों। लोग हजारों की संख्या में मचान पर चढ़े हुये हैं। घरों की छतों पर हैं। उनके लिये गल्ले आदि की तथा नाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

आज ४–५ दिन हो गये, लोग मचान पर चढ़े हुये जिन्दगी के साथ खेल रहे हैं। उनकी हालत बदतर होती जा रही है। अभी मंत्री जी बलिया गये थे तो लोगों ने उनसे शिकायत की थी। माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश भी दिया था उनको फटकारा भी था नावों के लिये तथा अन्य प्रबन्ध के लिये, मगर उन आदेशों का वहां के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां के जिलाधिकारी बीमार हैं, उनको बुखार चढ़ गया है, एक अधिकारी फ्लड आफिसर छुट्टी पर चले गये हैं, हमारे दुाबा क्षेत्र में ३–४ नये डिप्टी कलेक्टर गये हैं उनको कुछ तजुर्बा नहीं है, एक नक्शा सामने रख कर बैठ जाते हैं और उसी में देखते हैं कौन गांव कहां है। श्रीमन्, जिला परिषद् का वह नक्शा भी गलत है जिस नक्शे के आधार पर वे कार्य करना चाहते हैं वे कुछ कार्य नहीं करते। लोग बड़े परेशान है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां जितनी क्षति हुई है, उसका सही सही अनुमान लगाया जाय और लोगों को राहत दी जाय। अभी तक जो भी सहागता दी जा रही है वह नगण्य है।

श्रीमन् मैं एक विकास खंड मुरली छपरा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे इस विकास खंड का पूरा क्षेत्र पानी में बाढ़ से डूबा हुआ है। वहां के कार्यालय में भी पानी घुसा हुआ है कोई मकान ही नहीं दिखाई दे रहा है। वहां की एक-एक इंच भूमि भी पानी से बाहर नहीं है। रेवती बेरिया लालगंज जो पक्की सड़क है, वह भी पानी में डूबी हुई है। बिड़ला बांध के टूटने के कारण स्थिति और अधिक खराब हुई है।

माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह बांध स्थानीय जनता का है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि स्थानीय जनता ने कठिन परिश्रम करके ५–६ मील का तटबंध बनाया था। उसको बिड़ला जी ने ईंट लगवाकर मरम्मत कराई थी। लेकिन दुर्भाग्य से सन् ४८ की बाढ़ में वह फिर टूटा। उसके बाद राज्य सरकार के सिंचाई विभाग ने उसकी मरम्मत की और सरकार द्वारा मरम्मत होने के बाद उस पर फिर कोई पैसा सिंचाई विभाग से खर्च नहीं हुआ है और धीरे-धीरे वह बंधा कमजोर हुआ है। स्थानीय जनता के प्रयास से हर वर्ष उसकी मरम्मत होती रही है। मैंने ३० तारीख को अधिकारियों से कहा था कि यदि वे सतर्क रहेंगे तो बांध टूटने नहीं पायेगा। किन्तु मैंने सुझाव दिया था कि सार्वजनिक निर्माण के कर्मचारी मजदूर लगाये जायें, जिससे बांध की रक्षा हो और साथ ही उनकी सड़क की भी रक्षा हो। साथ ही कुछ ऋण आदि की सहायता देकर ग्रामीणों को भी बांध कार्य में प्रोत्साहित किया जाय क्योंकि अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और बांध टूट गया। मुझे अफसोस है कि उन्होंने ध्यान नहीं किया, मुझे अफसोस है यदि मैं ३० तारीख को वहां रह गया होता तो बांध टूटता नहीं। जैसे सन् ६७ और ६१ की बाढ़ में अधिकारियों के सहयोग से रक्षा की गई थी, वैसे ही उसकी रक्षा हो जाती है और आज यह नौबत न आती। हमें पी०डब्लू०डी० और राजस्व के अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया था, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग ३५ दिन से लगे हुये थे, वह थक गये थे और आगे संभाल नहीं पाये और बंधा टूट गया। टूटने के कारण नदी के ४–५ मील मोड़ धारा सीधे बेरिया की ओर मुड़ गई और सब कुछ नष्ट हो गया है।

बैरिया में डाक बंगला में जो बाढ़ का दफ्तर खुला है, उसमें भी पानी घुस गया है। सिर्फ थोड़ी सी जमीन बची है, तीन चौथाई जमीन बाढ़ में डूब गई है, सर्वनाश हो गया है। मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से गत २५ ता० को निवेदन किया था कि वह बलिया चल कर दाबा के पूर्वी क्षेत्र को देखें, उन्होंने जाने का कष्ट गंवारा किया वहां जाकर थोड़ा बहुत देखा। लेकिन मुझे खेद है कि कुछ हमारे साथियों को जो हमारे बड़े मित्र हैं, जिनके साथ मिलकर मैं हर सार्वजनिक सेवा का कार्य करता हूं, को बड़ी शिकायत हुई माननीय मंत्री जी से और मुझ से बिना सूचना दिये मंत्री जी चले गये। तो यदि पार्टी का कोई प्रश्न ऐसे मामले में है, कांग्रेस दल कोई नई नीति अपनाना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक्जीक्यूटिव के कामों में यदि वह पार्टी बाजी कराना चाहते हैं, तो यह सही नहीं है। कांग्रेस दल माननीय मंत्री जी पर चाहे तो अंकुश लगाये काम करें सरकार के मंत्री के रूप में पार्टी के हित में ही काम करें, पार्टी के प्रचार में करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं चाहूंगा कि देश हित में, सार्वजनिक सेवा में वे पार्टीबाजी न करें। मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी पार्टी बाजी नहीं की है और बलिया का कोई आदमी हम पर ऐसा आरोप नहीं लगायेगा। मैं तो केवल चुनाव के दौरान राजनीति और पार्टीबाजी की बात करता हूं। यही कारण है कि इंडीकेट हो या सिंडीकेट, संसोपा हो या जनसंघ या अन्य कोई दल हो, सभी दल के माननीय सदस्यों का स्नेह मुझे ऐसे कार्यों में मिलता है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि सभी दलों के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ सेवा कार्य करते हैं। वहां पर कोई पार्टीबाजी की कटुता नहीं दिखाई देती है सारे लोग सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, वहां पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी गये, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार मंत्री के नाते बलिया के पूर्वी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र देखने गये थे। किन्तु वह उनका व्यापक दौरा नहीं था। उनका भाषण मैंने पढ़ा है कि बलिया बैरिया का जल स्तर ६७ से अधिक नहीं है, किन्तु आज मैं कहना

[श्री मैनेजर सिंह]

चाहता हूं कि केवल १ फिट पानी की ६७ के अधिकतम जल स्तर में राम घाट पर से गंगा में कमी है। परन्तु पूर्वी क्षेत्र मे ६७ के जल स्तर से अधिक पानी हो गया है। इसका कारण बिहार की बड़ी गंडक एवं सोन नदी की भयंकर बाढ़ है। जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ है। दोबारा आप जांच करवाएं।

दोआबा में १९६७ से पानी अधिक है। १९४८ की जो बाढ़ आयी थी जो बहुत भयंकर बाढ़ थी, १९४८ से ८-७ इंच पानी कम है। श्रद्धेय जय प्रकाश जी का घर पानी के अन्दर है। १९४८ मे उनके दरवाजे पर कितना पानी था और आज कितना पानी है, उस से आप को मालूम होगा कि हमारे यहां बाढ़ की स्थिति क्या है। मैं चाहूंगा कि आप जितनी क्षति है उस हिसाब से पैसा भेजवाये। हमारे यहां नये नये अधिकारी गये हैं। वे पैसा मांगने में और सही रिपोर्ट करने में डरते हैं। जैसा रोग होता है वैसी तीखी दवा दी जाती है। इसलिये रिपोर्ट का ध्यान न करके अधिक से अधिक सहायता दें। मैं बलिया जा रहा हूं। जैसी स्थिति होगी मैं सूचित करूंगा। मैं अपने उन दोस्तों से आग्रह करूंगा जिनको मुझसे और माननीय मंत्री जी से शिकायत है कि बलिया का आधा भाग जल मग्न है हमारे लिये और उनके लिए उचित नहीं है कि विधान सभा में भाषण करें चल कर अपनी उस जनता की सेवा करें जिसने हमें और उन्हें भेजा है। यह सूचना मुझे अपने साथी बच्चा पाठक से मिली थी आज बाढ़ पर वाद-विवाद है। उन्हीं की सलाह से यहां आया। नहीं तो मेरा आने का प्रोग्राम नहीं था। इतना निवेदन करना था।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष....

श्री बांके लाल—

मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था। हमको समय नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

सब का है उसी विषय पर ?

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

आज सुबह बांकेलाल ने जो प्रश्न उठाया छितौनी बांध पर, उस पर आपने एक घंटे की चर्चा दी।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां उठाने पर नहीं, इसके पूर्व ही मैंने स्वीकार किया था।

श्री बांके लाल—

मैं शुरू से खड़ा हो रहा हूं, दो तीन दफा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

सुबह बांके लाल ने और रामधारी शास्त्री ने उठाया था....

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में जो प्रश्न उठाये गये इसके पहले मैंने साढ़े दस बजे जो आया उसे स्वीकार कर लिया था जो छितौनी और बंरिया दोनों को लेकर था।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

हमेशा छितौनी बांध को पीछे कर दिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों का इसमें लिखा है । "प्रदेश में छितौनी बांध और बलिया बेरिया बांध में दरार पड़ जाने से भयंकर स्थिति है । प्रलय हो रहा है । ३४ व्यक्ति मर चुके हैं । करोड़ों की फसल नष्ट हो गयी है । ५ हजार गांव प्रभावित हैं । ११ जिले बाढ़ की चपेट में हैं । इंजीनियर संकट टालने में असमर्थ है। अतः इस निश्चित लोक महत्व के विषय पर चर्चा अत्यन्त आवश्यक है । यदि सेना न बुलायी गयी तो हजारों व्यक्ति मर जायंगे । इस को स्वीकार किया है ।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, देवरिया जिले के साथ आप भी अन्याय करते हैं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इसमें दो बांध हैं, छितौनी बांध और बलिया का बेरिया बांध । ऐसी व्यवस्था कर दें कि आज का समय · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बांके लाल से) आपके नेता बोल रहे हैं तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री बांके लाल—

हमको भी थोड़ा समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

रामधारी शास्त्री जी को मौका दिया सुरेन्द्र विक्रम जी के नाम से जो था । एक ही स्वीकार किया था उसमें सब को जोड़ दिया था ।

श्री बांकेलाल—

हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है । हमको भी समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह समझ कर कि सब सहमत हैं संशोधन के बारे में तो मैंने रामधारी शास्त्री को मौका दे दिया उस पर जो स्वीकार किया है सुरेन्द्र विक्रम जी का ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

जो रामधारी जी ने प्रश्न उठाया था · · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

विषय ही एक था तो यह भी आ गया, बलिया बेरिया भी आ गया ।

श्री रामधारी शास्त्री—

हम लोगों को आज १ घंटे का समय दिया है । आज आप देवरिया ले लें और कल बलिया बेरिया ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप देख रहे हैं कि कितने महत्व का यह है । सब लोगों को दिलचस्पी है । आपने इशारा किया तो हमने स्वीकार कर लिया ।

श्री इन्द्रमणि—

आप चाहें तो निर्धारित कर सकते हैं ।

श्री बांके लाल—

कल बलिया बैरिया ले लीजियगा। आज छितौनी रहने दीजिये।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायणशर्मा)—

मने जो वक्त दिया था सूबे में जितने जिलों में बात आई है उससे सम्बन्धित था। स्पीकर का यह आदेश था कि जो ५१ का नोटिस दिया गया उसके ऊपर आज शाम को चर्चा होगी और उसमें यह तय हुआ कि १ घंटा आज और १ घंटा कल। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि देवरिया तथा बलिया बैरिया में आज १ घंटा हो गया और जो चर्चा ओरिजिनली कल के वास्ते लगी हुई है पहले से उसका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसे बाद में ले लेंगे।

श्री बांके लाल—

छितौनी पर आज बहस होगी। दूसरी बहस ठीक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों में सरकार का विरोध ही है।

श्री बांके लाल—

कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से मिले हुये हैं। सभी विरोधी नहीं हैं। विरोध करना बड़ा मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानता हूं कि सभी बांके लाल जी नहीं हैं।

श्री बांके लाल—

छितौनी पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

समय आपको मिलेगा। (व्यवधान) एक स्वीकार हुआ है, उसको कैसे बदला जा सकता है ? इसी पर सुरेन्द्र विक्रम जी नाराज हो गये। रामधारी शास्त्री बोलने खड़े हुये तो मने समझा कि श्री रामधारी इस पर वहां के बारे में ज्यादा अच्छा कह सकते हैं और यह भी समझा कि सबकी राय हुई होगी। लिहाजा मैंने उनको इजाजत दे दी।

*श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने बलिया जिले के बाढ़-पीड़ित भाइयों के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, बलिया जिले में चार नदियों का पानी बड़ी तेजी से बह रहा है। दो बड़ी नदियां गंगा और घाघरा इस जिले के उत्तरी और दक्षिणी छोर से गुजरती हैं और बीच में टोंस और लड़कड़ा नदी पड़ती है। ये दो टोंस और लकड़ा नदियां छोटी नदियां हैं किन्तु इस वर्ष इन दोनों नदियों ने भी इस रूप धारण कर लिया है। वैसे तो मैंने पूरे जिले का दौरा नहीं किया है किन्तु जहां मैं गया हूं मैंने देखा है कि सबसे अत्यन्त खराब हालत गंगा नदी के किनारे पर बसे हुये लोगों की है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक जिले में जितने भी गांव पड़ते हैं वे सब इस बंद के दक्षिण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे पड़ते हैं और कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि पानी से डूब न गया हो। वैसे तो उन लोगों को पानी से बाहर निकालने, भोजन, खाना पीना नाव आदि की व्यवस्था जरूर की गई है किन्तु जो भी व्यवस्था वहां पर इन लोगों को राहत देने की की गई है वह मामूली मात्रा में नहीं है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से संक्षेप में अनुरोध करूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नाव और राशन-पानी की व्यवस्था करें। साथ ही साथ वहां पर जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको तेल, नमक आदि मुफ्त देने की व्यवस्था होनी चाहिये। पानी से निकालने के बाद उन लोगों के रहने के लिये जो व्यवस्था की गई है वह भी माकूल मात्रा में नहीं की गई है अतः उनके बसने के लिये भी सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये। घाघरा नदी का भी मैंने दौरा किया। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी ने वहां का दौरा क्यों नहीं किया और वे वहां नहीं जा सके। हो सकता है कि उन्हें समय न मिल पाया हो। घाघरा के किनारे भी बाढ़ बहुत काफी मात्रा में आई हुई है। यह सही बात है कि उस नदी में गंगा से ज्यादा बाढ़ नहीं आई किन्तु केवल १ -२० के रूप में है। घाघरा में सबसे ज्यादा बाढ़ से कटाव हुआ है.....(व्यवधान) चाहे वह बिरला बंद हो या सरकार बंद हो, गंगा नदी किसी को माफ करने वाली नहीं है।

जो बंद टूटा है उसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकती और वह किसी के बूते के बाहर की बात हो गई है। पानी हटने के बाद ही बिरला बांध को सम्हाला जा सकता है बलिया-बेरिया बांध टूटा नहीं है, अत्यन्त खतरे में है, कब टूट जाय, कहा नहीं जा सकता। इस पर सरकार की कड़ी निगाह होनी चाहिये। घाघरा नदी में पूरब से लेकर पश्चिम तक बड़ा कटान है। पश्चिम में कामिगंज इत्यादि और पूरब में चांदपुर दियरा आदि गांवों में घाघरा का कटान इतना जबरदस्त है कि रातों रात अगर ये गांव बरबाद हो जायं कट जायं तो आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे दुख इस बात का था कि मैं भी सिंचाई विभाग में रहा। वीरेन्द्र कुमार थे इसके वरिष्ठ मंत्री थे, इन्होंने व्यवस्था किया।

आज हमारे पड़ोसी लोग इसके मंत्री हैं लेकिन अभी घाघरा के कटान से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। बांस-बल्ली से नदी रुकने वाली नहीं है। यह बात सही है, जैसा कि राजा साहब ने कहा, छितौनी बेरिया बांध और गायघाट काफी मशहूर स्थान हो चुके हैं। जब कहीं खतरा होता है तो छितौनी बांध का नाम आ जाता है, इसलिये कि छितौनी की चर्चा हाउस में बहुत ज्यादा है। जब खतरा होता है तो गायघाट पर मिनिस्टर साहबान पहुंच जाते हैं लेकिन जहां तक कठौड़ा, बेसेचा गांव की बात है उस पर लिहाज से चर्चा नहीं होती, इसलिये मेरा निवेदन है कि उधर ध्यान देने की जरूरत है। कठौड़ा गांव आज खतरे में पड़ हुआ है, किसी भी समय बरबाद हो सकता है। जिन गांवों में खतरा है, लोग बाढ़ से पीड़ित है और घाघरा के कटान से पीड़ित हैं उनके दुख के निवारण के लिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनमें अधिकांश गरीब तबके के हैं। उनके लिये मुफ्त भोजन की व्यवस्था हो, जैसे सत्तू आ, है चने का भूजा है, तेल, नमक आदि की व्यवस्था काफी मात्रा में होनी चाहिये। साथ ही साथ बलिया के बीच में दो और नदियां हैं—रोस और रुबड़, ये भी अपना उग्र रूप धारण कर लिये है। हमने उस क्षेत्र में घूम कर देखा है, वहां गांवों के लोग तबाह हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर झांवी, भदौरा, मटिही, कलना बझौरी कोड़रा, टीरा देवरी, नगपुरा, हर्जेली, चिन्तामणिपुर, बरेंबाझे, गोपालपुर इत्यादि गांव प्रभावित है, बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। इन गांवों में जबर्दस्त आग लगी है, पर सरकार इधर देखे या इधर देखे ? गंगा के किनारे लोग ज्यादा पीड़ित हैं, इसलिये सारी सरकार की मशीनरी गंगा की बाढ़ के बचाव के लिये लगी हुई है। इन गांवों का नाम हमने लिया है इनकी तरफ आज तक कोई नहीं गया। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार का ध्यान उधर अवश्य जाना चाहिये।

[श्री जगरनाथ]

अन्त में मैं आप से टोटल बलिया जिले के लिये सरकार से अनुरोध करूंगा कि उधर सरकार विशेष सहूलियत दे। सहूलियत के रूप में देखने में तो यह आ रहा है कि सरकारी वसूली के लिये अमीन घूम रहे थे जहां कि सारे लोग बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित हैं। तो हर प्रकार की वसली को बन्द किया जाय। गरीबों को मुफ्त राशन, पैसे वालों के लिये राशन की व्यवस्था की जाय। अन्त में मैं यह अनुरोध करूंगा कि बलिया में चार नदियां चढ़ी हुई हैं इसलिये बलिया जिले के सभी छात्रों की फीस माफ कर दी जाय और तकावी तथा बीज की ज्यादा से ज्याद व्यवस्था की क्योंकि जो कुछ किसी के पास अन्न पानी होगा वह तो लोग खा जायेंगे, बुवाई केसमय उनके लिये बीज की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गंगा, घाघरा, टोंस और लकड़ा नदियों की बाढ़ से जो क्षेत्र पीड़ित हैं, उसकी ओर सरकार ध्यान दे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत परिश्रम के बाद मुझे बोलने का समय मिला है। जितने लोग देश भक्त बनते हैं वे सब बाढ़ की चर्चा पर यहां से चले गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद नहीं हैं, जिनको कि इस बारे में ज्यादा काम करना है। श्रीमन्, १४ मील लम्बा बंधा १४ लाख रुपये में तैयार हुआ और उसकी मरम्मत पर ६ करोड़ ८० लाख रुपया व्यय हो चुका है। यह रुपया कहां खर्च हुआ? कैसे खर्च हुआ या किस-किस के घर गया, यह देखने की बात है। जब मलहिया में दरार पड़ी तभी आप सतर्क हो गये होते तो आज जो गत हुई है वह नहीं हुई होती। आज तो चारों ओर समुद्र का सा दृश्य दिखायी देता है। जब मलहिया में दरार पड़ रही थी तो ओ० डी० शर्मा लखनऊ चले आये थे। आज उनके ही कारण यह सारा उपद्रव हो रहा है। खड्डा, देवरिया इलाके में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं और हजारों गांव जलमग्न होने वाले हैं। अब ओ० डी० शर्मा जांच करने के लिये गये हैं कि बांध क्यों और कैसे टूटा। मुझे यह विश्वास है और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह छितौनी बांध तो कामधेनु है मंत्री, चीफ इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक सभी को यह फायदा पहुंचाता है। जितने लोग भी छितौनी बांध से संबंधित रहे हैं उनकी ३-३, ४-४ लाख की हैसियत हो गयी है। ओ० डी० शर्मा की क्या बिसात है, जो जो भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, वे मंत्री भी इससे माला-माल हो गये हैं। इसलिये मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय कमलापति जी के पैरों की पूजा चढ़ गयी है जिसकी वजह से देवरिया बरबाद हो रहा है।

आज वह बीरभार ठोकर कटने वाला है। करेन्ट उसके ऊपर ठोकर मार रहा है। वहां इस समय बोल्डर भी नहीं है। अगर वहां बोल्डर ही रहे होते तो यह मलैया का बंधा ही न टूटा होता। ओ० डी० शर्मा इसमें मुल्जिम हैं। मैं कहूंगा कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी इसको देखें। मलहिया पर जिला के अधिकारी लोग खाली पैट्रोल फूंक रहे हैं और जनता मुट्ठी भर दाने के लिये मुहताज है, हजारों लोग बेघरबार तड़प रहे हैं। बीरभार की ठोकर अगर कट गया तो गोरखपुर पानी में डूब जायगा। हजारों गांव बरबाद हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि ओ० डी० शर्मा को बरखास्त कर दिया जाय। मेरा बस चले तो सिंचाई विभाग के बड़े कर्मचारियों को खड़ा करके पेड़ से बंधवा कर उनकी अच्छी मरम्मत कराऊं। इन लोगों की वजह से ही सैकड़ों आदमी मर गये, हजारों पशु बरबाद हो गये और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुक्सान हुआ।

मान्यवर, इस नारायणी को अगर शुरू में ही न छुआ गया होता तो जो दशा हम भोगते थे वह भोगते रहते। इतना बड़ा नुक्सान तो न होता। करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और जो तकलीफ शुरू में होती थी वही अब भी होती है। मेरे कहने का लोग बुरा मानेंगे इसलिये कि मैं खरी खोटी कहता हूं। के० एल० राव, जो केन्द्र के सिंचाई मन्त्री हैं उन्होंने स्वयं यह कहा

है कि सारी बदमाशी इंजीनियरों की है। अगर यह सतर्क होते तो मलैया बांध कभी नहीं टूटा होता। यह केन्द्रीय मंत्री का बयान है जिनकी पार्टी की सरकार है।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि श्री ओ० डी० शर्मा को जांच के लिये न भेजा जाय और सदन की ओर से मैं मांग करता हूं कि उनको मुअत्तिल कर दिया जाय माथुर साहब को मुअतिल किया जाय। सदन की एक कमेटी बनाई जाय उसमें हर दल के सदस्य हों और वह कमेटी जांच करके सदन के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके अलावा राजस्व मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। आप देखें कि किस तरह से राशन बांटा जा रहा है। क्या हो रहा है? इस तरह से एक हजार गांव जल मग्न हो जायंगे और यह इंदिरा गांव की इंडीकेट को जानते तो और सम्भवतः उन लोगों को जनता पकड़ करके गंडक में डाल देगी।

(श्री उपाध्यक्ष के श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम लोग कैसे बोल सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये एक घंटा कल भी समय है।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

हम लोग खड़े रहेंगे और आप समय नहीं देंगे तो कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके साथी बलिया को समय दिया, देवरिया वाले साथी को समय दिया। आप देख रहे हैं कि कितनी दिलचस्पी माननीय सदस्यों को है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहली चीज तो आप देखें कि इस पर दस्तखत नहीं हैं। दूसरे इसमें लिखा है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्तव्य की जरूरत इसलिये पड़ी कि आज के लिये गंगा की बाढ़ के संबंध में किया गया था। आप इसको पढ़ लीजिये। इसके ऊपर यह आगया।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर श्री ओ० डी० शर्मा मौजूद हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है। जब बैरिया बांध टूटा तो यहां पर शोरगुल हुआ। एक कमेटी बिठाई गई कि जांच होगी। इस पर हम लोगों को आपत्ति है कि हमने कहा था कि सदन की एक कमेटी बिठायें और उसमें टैक्नीकल हैंड्स भी हों। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने वक्तव्य दिया कि बांध गलत बना है, इसको रोका जाय.....

सिंचाई मन्त्री (श्री राम लखन)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है वह इस पर हो रही है कि छितौनी बांध टूट गया है। लेकिन सारी बहस यहां इस पर हो रही है श्री के० एल० राव ने क्या कहा और श्री ो० डी० शर्मा ने क्या किया। यह बातें हो रही हैं।

श्री बांकेलाल—

इसके टूटने को जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के ऊपर है। आप क्यों घबराते हैं।

*कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

....." मंत्री जी ने सही कहा कि छितौनी बांध के टूटने के ऊपर यह बहस हो रही है। लेकिन बीसों वर्ष से छितौनी बांध के बारे में बातचीत होती आयी है। अगर हम कहें कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही जवाब देना है तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसमें बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। आज हमारी सरकार ने ५० करोड़ रुपये केन्द्र से मांगे हैं। क्या वह ५० करोड़ रुपये भी जैसे कि आज ९ करोड़ बह गये उसी तरह से बह जायं इसीलिये हम यहां बैठे हुये हैं। अगर किसी समस्या का हल करना है तो उसको सही तरीके से करना चाहिये। मैंने पिछली दफा भी मांग की थी कि अगर इस बन्धे को कायदे से बनाना है तो ऊपर से नीचे तक इसका सर्वे करना चाहिये जो रुड़की में हुआ पड़ा है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग इस बन्धू को ठीक नहीं चाहता। बीसों वर्षों से सिंचाई विभाग इसको देखता रहा है, लाखों रुपया खराब हुआ है।

"मैंने इसी गंडक का गबन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी सिंचाई मंत्री थे। मैंने लिखित दिया था और माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने १४ दिन के अन्दर लिखित रिपोर्ट मांगी थी। आज दो साल हो रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन पता नहीं वह जांच कहां गयी। तार और पत्थर छितौनी बांध में हर साल बह जाते हैं। सिर्फ तार और पत्थर ही नहीं, हमारे विधान सभा के माननीय सदस्यों का ईमान भी बह रहा है। हम अगर सरकारी पक्ष में बैठे होते हैं तो पता नहीं क्यों हमको अपने गलत अफसरों को बचाना पड़ता है। अगर हमारे में कमी है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिये। डा० के० एल०राव जी की बात माननीय मंत्री जी ने कह दी। लेकिन वह एक ऐसे मंत्री हैं जिनको जानकारी है इस विभाग की और उन्होंने सही बात संसद में भी कही और ४-५ दिन हुये रेडियो पर भी कही।

एक चीज राजस्व मंत्री जी की ओर से कही गयी कि हमने वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिये प्रबन्ध कर दिया है। मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं और यह सही मानी जाय कि एक छोटा सा मौजा पड़ता है माखी कुठिलवा। वहां १,५०० यूनिट हैं लेकिन सिर्फ सवा ७ सौ आदमियों को आटा दिया जाता है एक हफ्ते का। मेरे कहने से और मंत्री जी के देखने से आटा तो ठीक हो गया लेकिन क्या हमारा यही फर्ज रह गया है कि जो बाढ़ के कारण घर द्वार छोड़ कर भागे हैं उनको हम सिर्फ आटा दें? कौन माननीय सदस्य सिर्फ आटा पर हफ्ते भर गुजर कर सकते हैं? कहा जाता कि बहुत अच्छा इन्तजाम है। लेकिन सिर्फ आटा देने से इन्तजाम अच्छा नहीं हो सकता।

मैं अधिक समय न लेकर सिर्फ एक चीज और कहूगा कि जो जिलाधीश ने यह सूचना दी है वह अगर आगे फिर आवश्यकता हो तो मंत्रीजी सिंचाई विभाग से मंगाया करें, क्योंकि अगर सिंचाई विभाग से सूचना आयेगी तो बाद में हम यह कह सकते हैं कि इनकी गलती थी। शुरू से यह हुआ कि यह बन्धा नहीं टूटेगा। लेकिन माननीय बैजनाथ जी, जो हमारे खड्डा क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को बहुत पहले सूचना दे दी थी कि मलैया बांध टूटेगा। पहले इसमें लिखा है कि यह बांध नहीं टूटेगा लेकिन आगे चल कर यह भी लिखा है कि टूट भी सकता है। हमको यह सोचना पड़ेगा कि अगर वाकई में बन्धे को बनवाना है तो मैं यह कहूंगा कि आर्मी के इंजीनियर्स को लगा कर बनवाया जाय। साल भर में वे बना देंगे। जितने भी उन्होंने कार्य किये हैं बढ़िया किये हैं। हमारे इलाके में जब पानी आया तो वह नाव लेकर आये और रात को ११ बजे से काम शुरू किया। जितना उन लोगों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बचाया शायद हमारे दूसरे कर्मचारियों ने उतना नहीं बचाया। अगर हमको अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, बंगला देश के लोगों के लिये लाखों करोड़ों रुपया हमारी सरकार खर्च करने के लिये तैयार है लेकिन क्या हमारे ही लोग जो नदी के प्रभाव के कारण भागे हुये हैं, हम यहां सदस्य बन कर उनका कोई फायदा नहीं कर सकते हैं तो हमारा यहां पर सदस्य रहना बेकार ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ अगस्त, १९७१।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

देश। (देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर)

पौड़ी गढ़वाल जिले के उन ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण १९७१–७२ में प्रस्तावित है

क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम	क्रम-संख्या	ग्रामों का नाम
१	विरोखाल	२१	अलदवा
२	दुमेला मल्ला	२२	बेन्धा
३	दुमेला तल्ला	२३	सिकट्टी
४	सेरा मल्ला	२४	किशनपुर
५	सेरा तल्ला	२५	हरि–सिंहपुर
६	कक-रोड़ा	२६	रतनपुर
७	स्यून्सी	२७	साकली
८	बांगर	२८	सेहरी
९	नां गांव	२९	हनुमन्ती
१०	बेजरो	३०	जुगल–सेन
११	वुग्गो–धार	३१	बड़ा–सेहरी
१२	रवसोल	३२	मरवा
१३	फारसूला	३३	सिन्ट्टी
१४	अपर सोला	३४	पाली
१५	लावेर–सोला	३५	सिरसू
१६	मुरैना	३६	संगांव
१७	गोदी–वाड़ी	३७	रेथा
१८	गोदी छोटो	३८	पूरन कोट
१९	चौपरा	३९	काशी–रामपुर
२०	गढ़ोली		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

जिला मेरठ में भूतपूर्व अधीक्षक द्वारा जुलाई, १९६८ से १९७० ई० तक अपने कार्य काल में जेल के अन्दर और बाहर कराये गये निर्माण संबंधी कार्यों का विवरण

क्रम-सं०	कार्य का नाम	वर्ष	
१	जेल फार्म में १४७६ गज कांटेदार तार लगाना	(१९६८–६९)	जेल के बाहर
२	एक बैंचलर ब्लाक का निर्माण ..		,,
३	वार्डरों के क्वार्टरों में २५ दरवाजे बदलवाना		,,
४	कार्यालय में लकड़ी का एक दरवाजा तथा एक खिड़की लगवाना		,, जेल के अन्दर
५	आठ आस्त्रिपायल क्वार्टरों में एवर क्लीन लैट्रीन बनवाना	१९६९–७०	जेल के बाहर
६	दो उप जेलर, चार सहायक जेलर, एक सहायक चिकित्सा-धिकारी तथा एक जेलर के क्वार्टर की मरम्मत		,,
७	दो अविवाहित बन्दी रक्षकों के निवास स्थान (ब्लाक्स) का निर्माण ..	(१९७०–७१)	,,
८	दो अविवाहित बन्दी रक्षकों के निवास स्थान (ब्लाक्स) का निर्माण।		,,
९	बैरक नं० ७ व ८ की पुरानी फ्लेश टट्टियों को ड्राप लैट्रीनस में परिवर्तित करना।		,, जेल के अन्दर

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७१७ पर)

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४९(१) के अन्तर्गत सर्वश्री वीरेन्द्र वर्मा, दीप नारायण मणि त्रिपाठी, चन्द्र भान शर्मा, राम गोपाल सण्ड, विजय बहादुर सिंह द्वारा उठाये गए विषय पर दिनांक २ अगस्त, १९७१ की सायंकाल ५ बजे विवाद हेतु सामग्री

१७ अप्रैल, १९६३ से २२ नवम्बर, १९६७ तक चीनी पर पूर्ण नियंत्रण भारत सरकार द्वारा लागू था। २३ नवम्बर, १९६७ से २४ मई, १९७१ तक आंशिक नियंत्रण रहा। २५ मई, १९७१ से भारत सरकार ने चीनी पर से सारे नियंत्रण हटा लिये। अब मूल्य वितरण एवं संचालन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है।

२—चीनी के विनियंत्रण यानी २५ मई १९७१ से ठीक पूर्व मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का ६० प्रतिशत राज्य सरकारों को अपने दुकानदारों द्वारा निश्चित मूल्य पर बिकवाने के लिये सुरक्षित की जाती थी शेष ४०% मिलों को छूट थी कि वह जिसको चाहें जिस भाव पर बेंचे।

३—सुरक्षित कोटे में से प्रत्येक मास भारत सरकार उत्तर प्रदेश को लगभग २५,००० टन चीनी एलाट करती थी। पिछले छः महीने का मासिक आवंटन निम्नलिखित है :—

अवधि		मात्रा टनों में
१—२३-११-७०	२२-१२-७०	२२०९९ (२५०० कुंभ मेला के लिए)
२—२३-१२-७०	२२-१-७१	२३९६५
३—२३-१-७१	२२-२-७१	"
४—२३-२-७१	२२-३-७१	२६०८०
५—२२-३-७१	२२-४-७१	"
६—२३-४-७१	२२-५-७१	३०७४६

४—यह चीनी प्रदेश की ७१ मिलों से आवंटित होती थी और विभिन्न मिलों से विभिन्न मात्रा में मिलती थी। प्रदेश सरकार इस चीनी का जिलों को आवंटन करती थी। आवंटन करते समय प्रयत्न यही किया जाता था कि जिलों को अपने जिले में स्थित मिल से ही चीनी मिले अथवा निकटतम मिल से मिले। चूंकि हर मास विभिन्न मिलों से विभिन्न मात्रा में चीनी मिला करती थी अतः जिलों को भी विभिन्न जिलों से दी गयी मात्रा बदलती रहती थी। जिलाधीश लेवी चीनी के थोक व्यापारियों को यह कोटा आवंटित कर देते थे और उन्हें निर्देश देते थे कि किस मिल से उनको कितनी चीनी लानी है। इसके बाद थोक व्यापारियों को यहां से यह चीनी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त फुटकर व्यापारियों को जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार दी जाती थी। फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को चीनी बेचते थे।

५—चीनी के सभी थोक व्यापारियों को चाहे वह खुले बाजार की चीनी बेचें या लेवी चीनी बेचें जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेना पड़ता था अभी भी थोक व्यापारियों को लाइसेंस लेने की प्रणाली कायम है। लेवी चीनी के थोक व्यापारी खुले बाजार की चीनी नहीं बेच सकते थे।

६--लेवी चीनी के थोक व्यापारियों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध थ और लाइसेन्स के अलावा उनको जिला मजिस्ट्रेट से एक अनुबन्ध भी करना पड़ता था और रुपया ५०० जमानत भी जमा करनी पड़ती थी। इनकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी :--

(१) दूकान व गोदाम एग्रीमेंट में दिये गये निश्चित स्थान पर ही रखेगा।

(२) चीनी जिला मैंजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार ही मिलों से लाएगा और नियमित रूप से दिया गया कोटा उठाता रहेगा।

(३) चीनी केवल जिला मैंजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त फुटकर विक्रेताओं को ही जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार बेंचेगा या अगर उसकी दुकान से चीनी लेने के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने किसी को परमिट दिया हो तो उसको बेचेगा।

(४) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित दर पर बेचेगा।

(५) जो चीनी उसके स्टाक में है उसका सैम्पुल सील बन्द करके दुकान पर लोगों के देखने के लिये रखेगा।

(६) रोज की बिक्री का हिसाब सप्लाई अफसर को देगा।

(७) लेवी चीनी के अतिरिक्त अन्य कोई चीनी नहीं बेचेगा।

७--खुले बाजार की चीनी बेचने वाले थोक व्यापारियों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध थ और अब भी लागू हैं :--

(१) व्यापार केवल लाइसेंस में निर्दिष्ट स्थान पर किया जाएगा।
(२) रोज की बिक्री का हिसाब रखा जाएगा।
(३) स्टाक में माल होने पर बेंचने से इन्कार नहीं करेगा।
(४) खरीदार को रसीद देगा।
(५) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध करेगा।

८--थोक व्यापारी के लाइसेंस की फीस रु० ५ है। लाइसेंस एक साल के लिये वैध होता है और रु० २ देकर हर साल नवीनीकरण कराना होता है।

९--खुले बाजार की चीनी के फुटकर व्यापारियों को न कोई लाइसेंस लेना होता है और न उन पर कोई प्रतिबन्ध है।

१०--लेवी चीनी के फुटकर व्यापारियों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती थी। उन व्यापारियों को जिला मजिस्ट्रेट से एक अनुबन्ध करना पड़ता था और जमानत जमा करनी पड़ती थी। नगर क्षेत्र के फुटकर चीनी विक्रेताओं से २०० रु० और ग्रामीण क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं से ५० रु० जमानत जमा कराया जाता था। सहकारी संस्थाओं से कोई जमानत जमा नहीं करायी जाती थी। किन्तु उन्हें अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। अनुबन्ध की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार थीं :--

(१) दुकान एग्रीमेन्ट में दिये गये स्थान पर रखेगा।

(२) नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेताओं के गोदाम से चीनी लायेगा और निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं के हाथ बेचेगा।

(३) लेवी चीनी के अतिरिक्त कोई अन्य चीनी नहीं बेचेगा।

(४) बिक्री का नियमानुसार हिसाब रखेगा। और जिला पूर्ति अधिकारी को वांछित सूचना उपलब्ध करेगा।

११--शहरों में आमतौर पर सस्ते गल्ले के दुकानदार ही लेवी चीनी का कार्य भी करते थे। देहातों में आमतौर से प्रत्येक न्याय पंचायत में एक लेवी चीनी का दुकानदार होता था

बाद में सरकार ने शासकीय आदेश संख्या ६०८४/२९-ख-२, दिनांक २-११-७० द्वारा यह निर्देश दिये कि हर ग्राम सभा में लेवी चीनी के फुटकर व्यापारी नियुक्त किये जायं जिससे लेवी चीनी की खपत बढ़े।

१२--लेवी चीनी के फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के यहां से माल लाकर बेचते हैं। शहरों में चीनी राशन कार्डों पर बेची जाती थी। इसकी मात्रा पहले २ किलो प्रति यूनिट प्रति मास थी चूंकि भारत सरकार से चीनी काफी मात्रा में मिल रही थी इसलिये शासकीय संख्या १९५१/२९-ख-१, दिनांक २०-४-७० तथा शासकीय संख्या ३१८६/२९-ख-१, दिनांक २३-५-७० द्वारा जिला मैजिस्ट्रेटों को यह आदेश दिये गये हैं कि राशन कार्ड पर देय मात्रा को २ किलो से बढ़ा कर ४ किलो प्रति मास तक कर सकते हैं। देहातों में पहले प्रधान की परची पर चीनी मिला करती थी परन्तु यह सुविधा दी गई कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति १० किलो तक चीनी बिना प्रधान की परची के ले सकता है।

१३--हलवाई, गट्टा बताशा बनाने वाले आदि उपभोक्ताओं को लेवी चीनी नहीं दी जाती थी। उनको अपनी मांग खुले बाजार से पूरी करनी पड़ती थी। जब लेवी चीनी की उपलब्धता बढ़ी तो शासकीय संख्या ५८८४/२९-ख-१, दिनांक २३-१०-७० द्वारा यह छूट दी गई कि यदि खराब या बदरंग चीनी स्टाक में आती है तो वह थोक उपभोक्ताओं को दी जा सकती है यदि उसकी खपत आम जनता द्वारा न हो सके।

१४--इसके अतिरक्त जेल, अस्पताल, कैन्टीन, मेस जो लाभ के लिये नहीं चलाये जाते, छुट्टी पर लौटे सैनिकों या शादी आदि धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर भी लेवी चीनी दिये जाने का प्रबन्ध था।

१५--मूल्य निर्धारण--नियंत्रण काल में लेवी चीनी का मिल-द्वार (Ex-factory) भाव भारत सरकार एसेन्सियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ के सेक्शन ५ के सब सेक्सन (३-सी) के अन्तर्गत जारी किये गये शूगर (प्राइस डिटरमिनेशन) आदेश, १९७० के अन्तर्गत समय पर करती थी।

विनियंत्रण से पूर्व अनेक वर्ष के उत्पादनों की लेवी चीनी के मिल द्वार (Ex-Factory) भाव भारत सरकार ने निर्धारित कर रखे थे। और सभी उत्पादनों की चीनी प्रदेश को एलाट होती थी, १९६८-६९ से १९७०-७१ तक चीनी के डी-२९ ग्रेड० की चीनी के भाव जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिये अधिसूचना द्वारा निर्धारित किये गये वे निम्न प्रकार हैं :--

१९६८-६९ मूल्य (सभी मूल्य २५ प्रतिशत इक्साइज डिघूटी रहित)

जोन	डी-२९ प्रति क्विंटल	
३	१४२.००	मोटे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
४	१२३.००	,, मध्य ,,
५	१२७.२८	,, पूर्वीय ,,

	१९६९-७०	१९७०-७१
पश्चिमी उ० प्र०	१२५.००	१२६.९२
मध्य उत्तर प्रदेश	१२५.३४	१२५.३४
पूर्वीय उ० प्र०	१२६.४०	१२६.४०

* चीनी के दानों के आधार पर चीनी ए, बी, सी, डी, और ई और सफेदी और स्वच्छता के आधार पर ३०, २९, २८ और २७ क्रम में विभक्त है। इस प्रकार सर्वोत्तम चीनी ए-३० और निम्नतम इण्डियन स्टेंडर्ड शुगर ई-२७ ग्रेड में विभक्त है। चीनी के ग्रेड का निर्धारण भारत सरकार के केन्द्रीय अधिकारी के अधीन ही होते थे।

जिले में चोनी आ जाने पर जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार थोक व फटकर भाव निर्धारित करते थे। यह शासकीय आदेश संख्या ८५४७/२९-ख-१-एस-५२९/६७, दिनांक १० नवम्बर, १९६७ के अन्तर्गत होता था।

थोक भाव :

१--विभिन्न ग्रेडों के चीनी का मिल द्वारा भाव प्रति क्विंटल		..	क
२--वास्तविक ढुलाई भाड़ा	,,	..	ख
३--चुंगी तथा अन्य कर	,,	..	ग
४--थोक विक्रेता का मुनाफा	,,	..	रु० २.०१
५--प्रशासनिक व्यय	,,	..	रु० ०.६७

थोक भाव प्रति क्विंटल--क+ख+ग+रु० २.६८।

फुटकर भाव :

१--थोक भाव प्रति क्विंटल	..	क+ख+ग+रु०२.६८
२-फुटकर विक्रेता का मुनाफा व अन्य खर्चे	..	रु० १.६६ (खाली बोरा मुफ्त)

फुटकर भाव प्रति किलो--क+ख+ग+रु० ४.३४।

१००

मिल वाले भारत सरकार द्वारा निर्धारित १९६९-७० व १९७०-७१ के मिल-द्वार मूल्यों से सन्तुष्ट नहीं थे। लेवी चीनी का मिल द्वारा मूल्य बढ़ जाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिटें दायर की और फैसला होने तक चीनी के मूल्य रु० १३ से रु० २२.०० प्रति क्विंटल तक बढ़वा लिया। यह रिटें १९ दिसम्बर, १९७० से लेकर ११ मई, १९७१ तक दायर हुयीं। किस मिल में कब रिट दायर की, किस वर्ष की उत्पादित चीनी के बारे में की, कितना दाम हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ा और कब से बढ़ा यह संलग्न तालिका में दिया है।

१६--आरम्भ में जब एक दो मिलों ने रिट दायर की तो मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु, जब अप्रैल, १९६९-७० के उत्पादित चीनी के सम्बन्ध में अधिकांश मिलों ने रिट दायर कर दी तो जिलों में प्रचलित मूल्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा और हर जिले में मूल्य बढ़ गये। उस समय अधिकांश चीनी जो प्रदेश सरकार को मिलती थी वह १९६९-७० के उत्पादन की थी अतः राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि १९७०-७१ की चीनी प्रदेश को दे क्योंकि उस समय तक १९७०-७१ की चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिये बहुत कम रिटें हुई थीं। अगला आवन्टन देने के पूर्व ही भारत सरकार ने चीनी का पूर्ण विनियन्त्रण कर दिया।

१७--मिल द्वारा भाव निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को था। इन रिटों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों को चुनौती दी गई थी अतः राज्य सरकार इन रिटों में शरीक नहीं थी इसलिये राज्य सरकार को कोई नोटिस या सूचना हाईकोर्ट द्वारा नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा इन रिटों का विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता। अधिकांश रिटें अप्रैल में हुईं और उच्च न्यायालय ने केवल अन्तरिम आदेश दिये थे। थोड़े समय बाद चीनी का नियन्त्रण हो गया। उस समय तक फैसला नहीं हो पाया।

गन्ने के मूल्य सम्बन्धी उठाया गया प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित है परन्तु फिर भी सदस्यों की जानकारी के लिये उद्योग विभाग से जो सूचना उपलब्ध हुई है प्रस्तुत है—

उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं में अन्तरिम आदेश देकर लेवी प्राइस को एक उच्च दर पर निर्धारित किया और यह आदेश दिये कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर में जो अन्तर हो उसको जिलाधिकारी के यहां जमा कर दिया जाय जब तक कि रिट याचिकाओं में अन्तिम आदेश नहीं हो जाते।

चीनी के बढ़े हुए दामों से गन्ने की अधिक कीमत प्रति क्विंटल देने पर प्रश्न पैदा नहीं होता गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा हर मिल के लिये निर्धारित किया जाता है तथा लेवी प्राइस के पुनरीक्षण से गन्ना मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। गन्ना मूल्य तो चीनी के कास्ट आफ प्रोडक्शन का एक अंग है और चीनी का दाम कुछ हद तक गन्ने के दाम पर निर्भर करता है परन्तु इसके विपरीत नहीं होता। जो अतिरिक्त पैसा चीनी मालिकों को उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेशों द्वारा मिलना था वह भी अभी जिलाधिकारियों के पास खाते में जमा है और चीनी मालिकों को नहीं मिल पाया है। इस रुपये का उपयोग कैसे हो, यह उच्च न्यायलय के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करेगा।

चीनी मीलों द्वारा दायर किये गये रिटों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत स्टे की तिथि तथा बी–२९ ग्रेड चीनी का मूल्य जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया

क्रम-सं०	चीनी मिल के नाम	स्टे की तिथि	उत्पादन वर्ष	उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्य डी-२९
१	२	३	४	५
				रु० पै०
१	यूनाइटेड प्रांविंसेज शुगर कम्पनी सिवराही, देवरिया।	१९-२-७१	६९–७०	१३७.५८
		२१-४-७१	७०–७१	१५१.५८
२	श्री सीताराम शुगर कम्पनी बेताल-पुर, देवरिया।			
३	कानपुर शुगर वर्क्स गौरी बाजार, देवरिया।	१७-३-७१	६९–७०	१३९.५८
		३०-३-७१	७०–७१	१४१.७४
४	मेसर्स देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया	२२-३-७१	६९–७०	१३९.५८
		१-४-७१	७०–७१	१४१.७४
५	सरया शुगर मिल्स सरदारनगर, गोरखपुर।	२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
६	पंजाब शुगर मिल्स घुघली, गोरखपुर	२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
		१९-२-७१	६९–७०	१३९.५८
७	महावीर शुगर मिल्स सिसवाबाजार, गोरखपुर।	४-५-७१	७०–७१	१४१.७४
८	शंकर शुगर मिल्स कैप्टेनगंज, देवरिया।	१९-१२-७०	६९–७०	१३९.५८
		६-४-७१	७०–७१	१४१.७४
९	विध्न प्रताप शुगर वर्क्स खड्डा, देवरिया।			
१०	रामकोला शुगर मिल्स (पंजाब) रामकोला, देवरिया।	६-५-७१	७०–७१	१४१.७४
११	कानपुर शुगर वर्क्स पड़रौना, देवरिया	३०-३-७१	,,	१४१.७४
१२	गनेश शुगर मिल्स आनन्द नगर, गोरखपुर।	२६-४-७१	७०–७१	१४१.७४
१३	बुढ़वल शुगर मिल्स बुढ़वल, बाराबंकी	रिट दायर नहीं किया।		

१	२	३	४	५
१४	सकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री, बिसवां, सीतापुर।	५-४-७१	६९–७०	१४१.०७
			७०–७१	१४७.५३
१५	बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती ..	२९-४-७१	६९–७०	१३९.५८
		२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
१६	बस्ती शुगर मिल्स वाल्टरगंज, बस्ती	२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
१७	सकसरिया शुगर मिल्स बभनान, गोंडा।	५-४-७१	६९–७०	१३९.५८
			७०–७१	१४१.७५
१८	नवाबगंज शुगर मिल्स, नवाबगंज, गोंडा।	२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
		१९-१२-७०	६९–७०	१३९.५८
१९	बलरामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर, गोंडा।	२२-३-७१	७०–७१	१४१.७४
		२४-२-७१	६९–७०	१३९.५८
२०	आर० बी० लक्ष्मनदास शुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल रोड, बहराइच।	१३-४-७१	७०–७१	१४१.७४
२१	श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद (बस्ती)	२६-४-७१	सी-२९	१४२.७४
			सी-३०	१४३.७४
			डी-२९	१४१.७४
			डी-३०	१४२.५९
			डी-३०	१४२.०४
२२	रतन शुगर मिल्स, शाहगंज, जौनपुर	२९-४-७१	७०–७१	१५१.५८
२३	रामचन्द्र एण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी।	रिट दायर नहीं की।		
२४	कमलापति मोती लाल शुगर मिल्स मसौधा पो० अ० मोतीनगर, फैजाबाद ।	३-३-७१	६९–७०	१३९.७४
		५-४-७१	७०–७१	१४२.७४
२५	अवध शुगर मिल्स हरगांव, सीतापुर	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
२६	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला-गोकरन नाथ रोड, खीरी।	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
२७	एल० एच० शुगर फैक्ट्री, पोलीभीत	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
		२-२-७१	६९–७०	१४५.७८
२८	निउली शुगर मिल्स, निउली, एटा	२३-३-७१	७०–७१	१३६.०४
२९	गोविन्द शुगर मिल्स, एरा खीरी	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
३०	एल० एच० शुगर फैक्ट्री काशीपुर, नैनीताल।	२-४-७०	७०–७१	१४७.५३
			६९–७०	१४३.१०
३१	बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री बाजपुर, नैनीताल ।	रिट दायर नहीं की।		
३२	मोदी शुगर मिल्स मोदीनगर, मेरठ	२५-३-७१	७०–७१	१४३.०३
३३	जसवन्त शुगर मिल्स लि० मेरठ	१३-४-७१	..	१४७.५३
३४	दौराला शुगर मिल्स दौराला, मेरठ	९-३-७१	..	१४३.०३
३५	दीवान शुगर मिल्स, सखैती टांडा, मेरठ।	..	..	..

१	२	३	४	५
३६	भवाना शुगर मिल्स, भवाना, मेरठ	९-३-७१	७०–७१	१३४.०३
३७	अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, मुजफ्फरनगर।	२-४-७१	७०–७१	१४३.०३
३८	सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।	१०-५-७१	७०–७१	१४७.५४
३९	अमृतसर शुगर मिल्स रेहानकलां, मुजफ्फरनगर।	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
४०	गंगा शुगर कारपोरेशन, देवबन्द, सहारनपुर	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
४१	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
४२	बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स, बागपत, मेरठ।	२-४-७१	७०–७१	१४३.०३
४३	किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, सिरसवा, सहारनपुर।	१३-५-७१	७०–७१	१४७.५३
४४	लक्ष्मी जी सगर मिल्स, महोली, सीतापुर।	१६-२-७१	..	१४७.५३
४५	लक्ष्मी जी शुगर मिल्स, हरदोई	१-२-७१	..	१४१.६८
४६	एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली	६-४-७१	६९–७०	मिल के पक्ष में मुक्त कर दी गई।
४७	रोजा शूगर वर्कस कैरिव, रोजा शाहजहांपुर	२६–४–७१	७०–७१	१४७.५३
४८	शिव प्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स बिजनौर।	१२-४-७१	७०–७१	१४७.५५
४९	अपर गगज शुगर मिल्स, शिवहारा, बिजनौर।	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
५०	श्री जानकी शुगर मिल्स, देववाला, देहरादून।	१२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
			६९–७०	१४०.८५
५१	धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, बिजनौर।	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
५२	राय राय बहादुर नरायन सिंह मिल्स, लस्कर, सहारनपुर।	२६-४-७१	७०–७१	१४७.५३
५३	अजोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहासपुर, मुरादाबाद।			
५४	कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, मुरादाबाद।	४-५-७१	७०–७१	१४७.५४
५५	सिमौली शुगर मिल्स, सिभौली, मेरठ	६-५-७१	७०–७१	१४३.०३
५६	रजा बुलन्द शुगर कम्पनी, रजा कम्पनी, रामपुर।	१६-२-७१	..	१४५.३८

१	२	३	४	५
५७	पन्नी जी शुगर मिल्स पन्नी जी, बुलन्दशहर।	११-५-७१	७०–७१	१४३.०३
५८	महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
			६९–७०	१३५.६०
५९	अपर दोआब शुगर मिल्स लि० शामली, मुजफ्फरपुर।	२-४-७१	७०–७१	१४७.५३
६०	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, लक्ष्मी-गंज, देवरिया।	५-४-७१	६९–७०	१३९.५८
		६-४-७१	७०–७१	१४१.७४
६१	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स छितौनी, देवरिया।	५-४-७१	..	१४२.५९
६२	दी प्रतापपुर कम्पनी पी० ओ० मेरवा, देवरिया।	..	..	..
६३	केसर शुगर मिल्स, बहेरी, बरेली	१४-५-७१	..	१४०.०४
६४	तुलसीपुर शुगर मिल्स, तुलसीपुर, गोंडा।	२३-३-७१	७०–७१	१४१.७४
६५	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स राम-कोला, देवरिया।	१०-५-७१	..	१४१.७४
६६	मेसर्स कानपुर शुगर वर्क्स काकुंइयां, देवरिया।	..	..	..
६७	मेसर्स डाइमन्ड शूगर मिल्स लि०, पिपराइच, गोरखपुर।	३-५-७१	७०–७१	१४१.७४
६८	मेसर्स माधव महेश शुगर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० मुण्डेरवां, बस्ती।	३०-४-७१	७०–७१	१४१.७४
			६९–७०	१३९.५८
६९	मेसर्स राम लखमन शुगर मिल्स लि०, पो० आ० मोहीउद्दीन-पुर, मेरठ।	३०-४-७१	७०–७१	१४७.५३
७०	मेसर्स कमला पति मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स, ब्रांच पो० आ० भटनी डिस्ट्रक्ट, देवरिया।	..	..	..
७१	मेसर्स किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, मझोला, जिला पीलीभीत।	..	..	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२८ एल० ए०—१९७२—८४५।